

ISSN 0974-7265

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

AN INTERNATIONAL
REFEREED & PEER REVIEWED JOURNAL

Website : www.ijosss.com

Scientific Journal Impact Factor (2020) = 5.99

Volume 34, February 2023

flash

Editor in Chief
Dr. Rishikesh Singh

INDIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

(AN INTERNATIONAL REFEREED / PEER REVIEWED JOURNAL)

Scientific Journal Impact Factor (2020) = 5.99

www.ijosss.com

Volume 34, February 2023

Editor in Chief

Dr. Rishikesh Singh

Published by

Flash Publication

Gonda / Varanasi

For

INDIAN LABORATORY OF SOCIAL SCIENCES & SOCIETIES

All rights reserved. No part of this publication including its style and presentation, may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means- electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior written concern of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies”.

Volume 34, February 2023

Biannual

International Standard Serial Number: 0974-7265

Website – www.ijosss.com

Prints -1000 Copies.

Not for sale. Only for academic use .

Edited by: Professor (Dr.) Rishikesh Singh, Director, “ Indian Laboratory of Social Sciences and Societies.” Mob. 09415458974

DTP By : Gopi Nath, Mob. 9005856561.
Published By : Flash Publication
Basant Bihar, Janaki Nagar Colony,
Baharaich Road, Gonda-271003
Uttar Pradesh, India
Mob.: 09415458974

Editorial

I feel a deep sense of pleasure in presenting the 34th volume of “Indian Journal of Social Sciences and Societies” before you. This Journal is published by Flash Publication, Gonda (U.P.) for “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” a research institute. The purpose of the Laboratory is “latest research in social sciences and societies and it shall attempt to achieve this purpose by Organizing Workshops, Seminars, Debates, Exhibitions and Publication of a journal”. This journal is an attempt in achieving the purpose of the Laboratory.

There are so many research journals of various disciplines containing the research papers of only one concerned discipline and not of others. But this type of journals does not satisfy the requirements of Inter-disciplinary Approach which is world-wide tendency in the study and researches in recent years. This journal is an attempt to satisfy such said requirements. It is based on Inter-disciplinary Approach and it contains the research papers from various disciplines namely Political Science, Sociology, Education, Economics, Psychology, Geography, Military Science, Art Subjects, Commerce, Spiritual Sciences and Natural Sciences etc. with a view to represent perfectness and wholeness of knowledge in the field of research.

I can not part without acknowledging the wholehearted co-operation and steadfast devotion, I received from the members of Governing body, Executive body, Editorial board, Refereed Board, Advisory council of “Indian Laboratory of Social Sciences and Societies” and above all from the honest researchers who sent their papers for publication and got them published here in.

I hope with firm belief that this volume will draw the attention and appreciation of learned scholars of various disciplines and the journal will, considerably, be prompting and promoting the latest researches in the field of study as a whole.

Positive and constructive suggestions are hereby heartedly invited.



(Dr. Rishikesh Singh)

Date: 28 February, 2023.

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	शोध पत्र	शोधार्थी	पृष्ठ
01.	QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES : AN OVERVIEW	DrAkanksha Singh Prof T B Singh	01—07
02.	IMPACTS OF FACEBOOK ON UNDERGRADUATE COLLEGE STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC	Kunwar Mahendra Pratap Singh Dr. Madhu Tyagi	08—17
03.	STUDIES ABOUT STRESS AUDIT OF EXECUTIVES	Ganesh Kumar Vishwakarma	18--23
04.	भारतेन्दु के नाटकों में परम्परा एवं प्रयोग	डॉ० अमिता श्रीवास्तव	24—29
05.	पं० जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति : विशेषकर भारत—पाकिस्तान सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में	डॉ० प्रमोद सिंह प्रमोद कुमार	30—35
06.	मलिन बस्तियों की महिला कामगार को आत्मनिर्भर बनाने में कौशल विकास योजना की भूमिका : समाजशास्त्रीय विश्लेषण	निधि श्रीवास्तव डॉ० कृष्ण कुमार:	36— 42
07.	स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमिता : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन	अनुराधा प्रोफेसर तेजबहादुर सिंह	43—47
08.	खेलों का विद्यालयी शिक्षा में महत्व	बृजेन्द्र कुमार सिंह	48—50
09.	महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में आधुनिक रेडियो की भूमिका का वर्तमान परिप्रेक्ष्य	सरस्वती पाठक	51—56
10.	पण्डित नेहरू की विदेश नीति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	संतोष कुमार प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह	57—70
11.	पत्रकार नरेन्द्र मोहन की कविताओं का मिथकीय अनुशीलन	लक्ष्मीनाथ पाण्डेय	71—75
12.	प्राथमिक कक्षाओं में गणित का महत्व	रवि प्रताप सिंह	76—79
13.	उत्तर—प्रदेश में दलीय प्रणाली का विकास एक विश्लेषण	प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह	80—93
14.	संवैधानिक प्रतिबद्धता में महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकार	डॉ नीरज कुमार श्रीवास्तव	94—98

QUALITATIVE RESEARCH METHODS IN SOCIAL SCIENCES : AN OVERVIEW

Dr Akanksha Singh*
Prof T B Singh**

Quantitative methods focus on the strict quantification of observations or data and on the empirical control of variables. In by doing so large-scale sampling procedures are employed followed by statistical tests. Qualitative methods on the other hand incorporate any kind of research that produces findings not arrived at by means of statistical procedures. In other words qualitative methodology produces descriptive data about the persons: People's own written or spoken words and observable behaviour.

Following are the differentiating characteristics of quantitative and qualitative approaches:

Quantitative.	Qualitative
Natural science.	Human science
Perspective	Perspective
Positivism.	Phenomenology, Idealism and Constructivism
One true reality, measurable	Multiple realities, socially constructed, & Context -dependent

***Assistant Professor, STJM Degree College, Kanpur**

****Professor, Department of Sociology, MGKVP, Varanasi**

Comte, Durkheim, Mill.	Husserl, Detester, Weber, Dilthey
Deductive.	Inductive
Theory driven.	Theory generating Hypotheses generating
Hypotheses testing Predicting.	Understanding
Quantification.	Description
Understanding.	Seeking meaning
laws and causes	
Outcome oriented, answering questions	Discovery oriented, asking questions
Objective and detached researcher	Involved and interactive researcher
Experimental.	In-depth interviews
Designs and tests	participant observations and Researcher taken as instrument
Third -person written reports.	First-person written reports
Internal validity, external validity, reliability and objectivity	Credibility, transferability, dependability, confirm ability

Multitrait

Triangulation

multi methods

Methods and procedures

Methods and procedures evolving and fluid

Predetermined

Qualitative Research is not merely 'quantitative research without numbers'. Qualitative research has its own distinctive role to play in the creation of knowledge base in a Third category of research aims at the production of reflexive knowing.

Qualitative Research Genres

Hermeneutics

Hermeneutics is concerned with the interpretation of texts. Radnitzky(1970,p22) has defined hermeneutics as the 'objectifications' of human cultural activity (texts, etc.) with a view to interpretation them to find out the intended or at least the expressed meaning in order to establish a co-understanding or possibly even consent which has not yet been obtained or repairing the same...; and in general to mediate traditions so that the historical dialogue of mankind may be continued or reassumed and also deepened'.

Paul Ricoeur has argued that any human action can be regarded as a text and interpreted. Any text is created in a cultural -historical context and then interpreted in a different context. It is an attempt to obtain the tradition -informed interpretation of a text.

The Phenomenological Approach:

The Phenomenological approach in qualitative research started with the writings of philosopher Husserl. The aim of this method is produce an exhaustive description of the phenomena of every day experience, thus arriving at an understanding of particular cultural context. Merleau-Ponty has offered this definition of the qualitative research:

The primary aim of qualitative research is to develop an understanding of how the World is constructed.

The notion of the world being 'contracted'

Implies that we inhabit a social, personal and relational world that is complex, layered and can be viewed from different perspectives. This social reality can be seen as multiply constructed. We construct our world through talk (stories, conversations) through action, through system of meaning, through memory, through the rituals and institutions that have been created, through the ways in which the world is physically and materially shaped.

There is an apparent paradox at the heart of qualitative research. We believe that we understand the world already. Why, then, there is a necessity to do qualitative research? There are at least two interlocking reasons why it is worthwhile to pursue qualitative research. These can be summarised as knowing and becoming a knower.

There are at least three areas within which qualitative research can produce new forms of knowing. The first one can be stated as knowledge of the other. The second one seeks to develop knowledge of phenomena.

Ethnomethodology

A variant of ethnographic method is ethnomethodology. Devised by Garfinkel, this method attempts to discover hidden norms by violating them. Most societies have ground rules and norms that are enforced by legislation. By violating them we may become aware of their existence and can draw people's attention towards them.

The Grounded Theory Method

This method arose from the work of two sociologists Barney Glaser and Anselm Strauss (1967). There are three main principles of this method. First, the key task of the researcher is to 'discover' new ways of making the essential structures of the thing itself. Husserl used the phrase 'natural attitude' to describe the network of assumptions that we usually employ to make sense of every day world. Phenomenology seeks to go beyond this natural attitude by adopting a 'transcendental attitude' that is achieved by 'bracketing off' such assumptions.

Ethnographic Approaches:

Ethnography can be defined as a 'way of Life' of a culture or group of people. Ethnographers use all aspects of human behaviour: rules, rituals, belief systems, myths, language, religion, food, history, and the physical environment. The principal method used is the participant observation.

REFERENCES

- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Esterberg, K. G. (2002). *Qualitative methods in social research*. Boston, MA: McGraw-Hill.
- Garfinkle, H. (1967). *Studies in ethnomethodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Gubrium, J. F., & Holstein, J. A. (2000). Analyzing interpretative practice. In N. Denzin & Y.S. Lincoln (Eds.), *The handbook of qualitative research* (2nd ed.), (pp. 487-508). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Heritage, J. C. (1984). *Garfinkel & ethnomethodology*. Cambridge: UK. Polity Press.
- Krippendorff, K. (2004a). Content analysis: An introduction to its methodology (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Krippendorff, K. (2004b). Reliability in content analysis: Some common misconceptions and recommendations. *Human Communication Research*, 30(3), 411-433. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.2004.tb00738.x>
- Lombard, M., Snyder-Duch, J., & Campenella Bracken, C. (2010). Practical resources for assessing and reporting intercoder reliability in content analysis research projects. Retrieved from <http://matthewlombard.com/reliability/#How%20should%20researchers%20calculate%20intercoder%20reliability%20What%20software%20is%20available>
- Palys, T., & Atchison, C. (2014). *Research decisions: Quantitative, qualitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Toronto, Canada: Nelson Education.

- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Saylor Academy. (2012). *Principles of sociological inquiry: Qualitative and quantitative methods*. Washington, DC: Saylor Academy. Retrieved from <https://www.saylor.org/site/textbooks/Principles%20of%20Sociological%20Inquiry.pdf>
- Schutt, R. K. (2012). *Investigating the social world: The process and practice of research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Sheppard, V. A., & Fennell, D. A. (2019, August). Progress in public sector tourism policy: Toward an ethic for non-human animals. *Tourism Management*, 73, 134-142. doi: <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.11.017>



IMPACTS OF FACEBOOK ON UNDERGRADUATE COLLEGE STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC

Kunwar Mahendra Pratap Singh¹

Dr. Madhu Tyagi²

Abstract:

One of the most popular social networking platforms among students is Facebook. Undergraduate students who spend most of their time on Facebook are impacted and affected by these platforms. Other people are likely to affect students who use Facebook regularly. Their studies, on the other hand, are likely to be disrupted. Instead of revising their schoolwork, students are enticed to spend a significant amount of time of Facebook. This study looked into why undergraduate college students use Facebook and what they had to say about it. In order to evaluate and analyze the data, this study used a combination of quantitative and qualitative methods. The respondents were undergraduate college students from Babu Shivnath Agrawal College, Mathura that is affiliated to Dr. B. R. Ambedkar University, Agra. According to the findings, frequent usage of social media such as Facebook can have a negative impact on student's academic performance. However, Book has the potential to improve student's academic achievement. Facebook serves as a communication

1. Assistant Professor, Deptt. Of Sociology, P.P. N. (PG) College, Kanpur (Affiliated to CSJM University, Kanpur)

2. Professor, Deptt. Of Sociology, BSA College, Mathura (Affiliated to Dr.B.R.Ambedkar University Agra)

platform, allowing users to share information and learn from one another. Facebook helps them with their studies. College students can now brainstorm and collaborate in the Group Chat on Facebook to share and trade information. As a result, learners and lecturers will benefit from the use of Facebook in learning as a tool in education during the Covid-19 pandemic.

Keywords:

Facebook, Undergraduate students, Academic Performance, Instructional Tool

Introduction:

Individuals can use social networking sites such as Instagram, Twitter, WhatsApp, Facebook to exhibit themselves, articulate their social networks and form or maintain connections with others. Users can utilize the sites to meet new individuals or communicate with people they already know offline. Facebook, the online social networking site discussed in this article, allow users to create an online profile, collect “friends” who can write comments on each other’s profiles. Member of Facebook can also create virtual groups based on shared interests, check what classes they share, and learn about each other’s hobbies, musical tastes, interests and relationship status by looking at their profiles.

Facebook was created in 2004 by Mark Zuckerberg with his some friends. Recently Facebook has 2.9 billion monthly active users and if we talk specifically about India, there are 416.6 million monthly active users (worldpopulationreview.com, 2022). This data demonstrate its impact on society and its reach among youth. Facebook’s value grew during the pandemic because it enabled people to connect and helped society communicate. During the pandemic, Facebook played a critical role. Facebook had piqued the interest of researchers who wanted to learn more about its various characteristics and how they effect society. The majority of existing academic study on Facebook has concentrated on issues of identity presentation and privacy(Gross& Acquisti,2005; Stutzman,2006). The majority of studies have focused on the negative effect of Facebook, however this study focuses on the interaction between students and their peers throughout the pandemic.

During this pandemic, the use of Facebook in learning has been practiced. This can be utilized for discussion and sharing of resources such as reading materials, presentations and other instructional material supplied via Facebook Page, messages by the teacher. Since

then, Facebook has grown in popularity and is now used by people all over the world. Because of the different platforms that Facebook provides such as obtaining information, talking with loved ones, running and advertising a business for amusement purpose, and many more, using Facebook has become one of the habits that each individual has been addicted to. Due to this phenomena Facebook has shown to be useful because it is simple and user-friendly, and it can also be used for education, particularly during this pandemic.

The students who recently entered college, particularly those who do not have sufficient resources, are using Facebook to learn new things. Because of its user-friendly atmosphere, first year college students priorities the use of Facebook. It also includes useful tools such as Facebook Groups and Messenger, which allow students to construct a virtual classroom and use it as a useful tool for their academic needs. Students from various college use Facebook to communicate in a variety of ways, including chatting, videos conferencing, posting images and videos, sharing and exchanging information and more. As a result, children develop a fondness for Facebook, which has now become an integral part of their everyday lives.

First year college students use Facebook for a variety of reasons, including enjoyment, college activities and many others that can have an impact on their academic performance. College students' use of Facebook might have a favorable or negative impact on their academic achievement.

Ellison et al (2011) in their study claims, when it comes to assignments, projects and other schoolwork, students chose to use Facebook or other social networking sites. It will have a negative impact on their academic achievement since they will be enticed to log on to Facebook instead of doing their schoolwork. Instead of looking for information about their classes, they spend a lot of time on the platform being entertained.

Boholano et al (2021) cited a few exercises towards making strides the quality of instruction within the Philippines with the conviction tht well-equipped instructors can provide great quality educating and subsequently creating all inclusive competitive learners. Besides understudies there are uncovered to utilizing Facebook to communicate, socialize and for instructive purposes. In school, for illustration, understudies are utilizing Facebook particularly when they ought to communicate with their mentor and with their classmates to

inquire for particular data and other occurrences. In line with this, understudies are too affectionate of utilizing Facebook to associated with companies and amusement.

A few analyst have coined the term “friend sickness” to allude to the trouble caused by the misfortune of association to old companions when a youthful individual moves absent to college (Paul & Brier,2001). Web advances include conspicuously in a think about of communication innovation utilize by this populace by Cummings, Lee and Kraut (2006), who found that administrations like mail and moment informing offer assistance college understudies stay near to their college companions after they take off domestic for college. We subsequently present a degree centering particularly on the support of existing social capital after this major life alter experienced by college understudies, centering on their capacity to use and keep up social associations from college.

Furthermore, as stated in the previous study, “in light of this epidemic where social separation is required and mass gathering is outlawed, educational institutions are obligated to develop ways to further capacitate teachers”. Facebook is necessary for giving assignments and discussions via Facebook Messenger or the Facebook Page. Teachers and students are utilizing technology to its best potential in order to meet the objectives of the lesson.

Several research on the use of Facebook in teaching and learning have been undertaken. This study investigates why students use Facebook and what their experiences and feedback have been on various social networking sites.

The researchers discovered that in colleges and universities, teachers and mentors use Facebook to make announcements, keep students up to date on school activities, and send and upload educational files, all of which are beneficial to college students’ learning. College students, nowadays, have reason have reason to log in their Facebook accounts on a regular basis. As a result, college students have become addicted to Facebook and reliant on the services it provides.

The purpose of this study was to see how important it is for new college students to use Facebook in their teaching and learning. Furthermore, the experience and feedback of students using Facebook as an instructional tool will be investigated.

Methods:


The result of the data acquired were determined using both qualitative and quantitative research methods in this study. The qualitative research strategy quantifies the issues by

generating numerical data or data that may be converted into meaningful statistics. Attitude, views and conduct are all quantified using this method. The quantitative data collection in this study comprises paper surveys of college students at public colleges concerning their use of Facebook.

Only random college students in Babu Shivnath Agrawal College, Mathura, Uttar Pradesh, India were given survey questionnaire. They must respond to ten questions on a questionnaire. Each choice in the questionnaire is represented by a box. Respondents are asked to check the boxes the best describe their Facebook usage and behaviors. In the second component, which is qualitative, the participants were given a table with ten scenarios and asked to check the column that corresponded to how frequently they use Facebook. They can also leave feedback on the offered space. Participants in the study were issued Google Forms. Only college students aged 18 to 21 years old from BSA College, Mathura, are eligible to participate in the study. Ethical issues are observed, such as sending an informed consent and in the case of a specific respondents rejection, the researchers are not in the authority to impose such declination, but rather to take into account the participant's decisions. This study carries no risk because all documents were distributed over Facebook Messenger to follow the required health routine in the wake of the Covid-19 pandemic. This research is entirely academic. The responses and details of the respondents were kept in strict confidence.

Results and Discussion:

The researcher tabulated, evaluated and interpreted the data based on the information acquired. For better understanding and presentation all refined data is being presented by pie chart:



The biggest reason students used Facebook is for social interaction (36.5%). This implies that students use Facebook to make new friends and expand their social circles. Additionally, students utilize Facebook to maintain continual contact with their loved ones. They socialized on Facebook by communicating openly with one another and freely expressing themselves. Facebook has become the most popular social media platform among college students because it allows them to express themselves with their peers, with social interaction accounting for the biggest percentage of other reasons for using Facebook. “Facebook is the leading site for college students”. Taylor, Mulligan and Ishida (2012) had mentioned this in their research. This is accurate in this study because the majority of students and teachers use Facebook to communicate about school events and other educational responsibilities. Facebook is especially important in the educational side of students’ lives (24.5%). Students can effortlessly send and receive documents or files for their studies using this program.

Furthermore, when students are bored, they turn to social media as a way to at least enjoy their free time (21%). Several students now use Facebook at their leisure, making it the cheapest way to watch movies, videos, news, listen to music, and other forms of media. Facebook also has a diverse selection of games that students like playing. “ Facebook seems well-suited to enhance the students’ experiences, given that through profiles highlights both commonalities and distinctions among participants”, says Ellison, Steinfield and Lampe (2007). Users can, for example, play games with people from all over the world, watch movies and listen to music. Above all, it facilitates the formation on new relationships among users on this site. These findings back up Cuesta et al (2016)’s study, which found that “Using social media in students and instructors dialogues (e.g. Chats , videos call) in a closed Facebook forum overseen by the teacher, sought to promote students integration into academic culture and implementation”. Students utilize Facebook via publishing, sharing and reacting to content, according to the research. According to Nadkarni and Hoofman (2012), “ students utilize Facebook for self-presentation”. It could be through the use of photographs to garner more likes or other responses. “It is increasingly vital to evaluate the consequences of online learning practices”. Wise, Skues and Williams (2011) write, “because most universities now have student portal and use web-based learning management system as

fundamental aspect of course delivery”. This definitely includes the use of social media platforms such as Facebook to engage students.

The following themes emerged from the narratives written by the students participants:

Theme 1: Accessibility on Facebook

As some students have stated, Facebook is an important tool for learning. Their responses demonstrates this:

“ In terms of passing tasks like projects, Facebook has had a beneficial impact on my academic success in school. It is easier to upload than to give it straight to the teacher, than to burn it on a CD, and in a variety of other ways where there is already a much easier way to focus on”.(Respondent A)

“All of the files we require have been sent, or will be sent, through the group page or group chat”.(Respondent B)

The findings suggest that Facebook can be useful as a learning tool. The integration of Facebook as an educational project or route for project submission with pre-determined purposes and results for the learning experiences becomes more relevant and productive (Kbilan et al, 2010). However in order for teachers and students to get the most out of technology, it must be easily available.

Theme 2: In the process of learning, Facebook usage activates self- awareness

Not everything is nice all of the time; everything has its limitations. In this regard, Facebook can be beneficial to people, particularly students, but it can be a source of distractions if not used responsibly. Students use Facebook to keep up with what’s going on at school, but it may also be a source of temptation for them. They were enticed to scroll down and see some posts about their peers instead of studying.

“ It has a beneficial influence on me at times, such as making me aware of what is going on at school or keeping me informed about developments in my studies. Facebook, on the other hand, ha somehow or most of the time become a source of distraction”.(Respondent C)

Students nowadays can enjoy a comfortable life while studying thanks to Facebook. However, in addition to the benefits it may provide, it may have a negative impact on pupils, particularly their academic performance. A large presence on Facebook and the

resulting increased levels of information flow management can engage students in some tasks while they are constantly engaged in interaction and socialization, which disrupts their focus on their academic tasks. One of the respondents stated that her ability to concentrate on studying is hampered since her mind is occupied with Facebook. One of the respondents also stated that she spends her time scrolling on Facebook rather than studying her notes or working on her assignments or projects. Facebook addiction disorder had been studied by many psychologists (Brailovskaia, 2018).

Theme 3: The benefits and drawbacks of Facebook use in academic performance

These days, students are heavily influenced by the use of Facebook. It can be used for a variety of purpose, including communication, acquiring information, sharing diverse points of view and thought, and forming various relationships with strangers. This could explain why they continue to use Facebook and have made it a daily habit. Furthermore, Facebook can be considered one of the distractions that can cause students' attention to be diverted from their schoolwork.

Furthermore, Facebook has little effects on college students' academic performance because it does not divert their attention away from their studies. In simple ways, as long as students use Facebook in moderation, there is no way that it will divert them from their academic achievement.

“I didn't get any negative impact on my academic performance because I had to balance my studies and usage of Facebook. I never let Facebook empowered me. I use it in control manner”. (Respondents D)

Although Facebook is beneficial for students in terms of connectivity such as exchanging knowledge, socialization and other constructive activities. The literature shows that “Facebook has become dangerously addictive, disrupting students activities and academic goals on a regular basis” (Nadeem et al, 2020). As a result, if students pay close attention to their academic business, Facebook will never be a hindrance to their academic accomplishment.

The Covid-19 pandemic ushered in a new era of instruction, particularly in higher education. Facebook is one of the learning tools used by teachers, according to the result of survey questionnaire distributed via Google Forms and completed by undergraduate students.

This is extremely beneficial to learning, as internet connectivity is constantly a concern. Furthermore, students describe Facebook as an alternate tool in teaching and learning based on their narratives.

Conclusion:

Facebook is social networking platform that may be used for both amusement and education. The usage of Facebook as a tool in education, in teaching learning benefits students' social interaction as well as their academic achievement in school. Because of its accessibility, using Facebook as an instructional tool for sending notes and presentation during the Covid-19 pandemic, it has a good impact.

REFERENCES

Bedassa, F. (2014), Impact of Facebook usage on students academic performance, GRIN Verlag.

Boholano, H.B., Jamon, B.E.V., Jamon, M.G.C.,& Boholano, G.S. (2021), The lived Experiences of Basic Education Teachers during Virtual Conferences, Solid State Technology, 64(2), 2632-2644. <https://doi.1013140/RG.2.2.26690.50882>

Brailovskaia, J., Schillack, H.&Margrat, J. (2018), Facebook Addiction Disorder in Germany, Cyberpsychology, Behaviour and Social Networking, 21(7), 450-456. <https://doi.10.1089/cyber.2018.0140>

Cain, J., &Policastri, A. (2011), Using Facebook as an Informal Learning Environment, American Journal of Pharmaceutical Education, 75(10), <https://doi.org/10.5688/ajpe7510207>

Cuesta, M., Eklund, M., Rydin, I.,& Witt, A.K. (2016), Using Facebook as a co-learning community in higher education, Learning Media and Technology, 41(1), 55-72. <https://doi.org/10.1080/17439884.2015.1064952>

Cumming, J., Lee, J., & Kraut, R. (2006), Communication Technology and Friendship During the Transition From High school to College, In R.E. Kraut, M. Brynin & S. Kiesler (Eds.), *Computer, Phone and The Internet: Domesticating Information Technology*, pp.265-278, New York: Oxford University Press.

Ellison, N.B., Steinfield, C. & Lampe, C. (2011), Connection Strategies: Social Capital Implications of Facebook-enabled Communication Practices, *New Media & Society*, 13(6), 873-892.

Ellison, N.B., Steinfield, C. & Lampe, C. (2007), The Benefits Of Facebook “friends”: Social Capital and College students’ use of online social network sites, *Journal of Computer-mediated Communication*, 12(4), 1143-1168.

Gross, R. & Acquisti, A. (2005), Information revelation and Privacy in Online social Networks, paper presented at WPE505, Alexandria, Virginia.

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/facebook-users-by-country>, retrieved on 30 April 2022.

Kabilan, M.K., Ahmad, N. & Abidin, M.J.Z. (2010), Facebook: An online environment for learning of English in institutions of higher education, *The Internet and Higher Education*, 13(4), 179-187, <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.07.003>

Nadkarni, A. & Hofmann, S.G. (2012), why do People Use Facebook?, *Personality and Individual Differences*, 52(3), 243-249, <https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.11.007>

Nadeak, B. (2020), The Effectiveness Of Distance Learning Using Social Media during the Pandemic Period of Covid-19: A Case in Universitas Kristen Indonesia, *International Journal Of Advanced Science and Technology*, 29(7), 1764-1772.

Nadeem, S., Dhool, M.A., Butt, R.M., Rasheed, A., & Bashir, A. (2020), A Systematic Review on the Impact Of Facebook Usage on Academic Performance, *Review of Management Sciences*, 2(1), 17-39.

Paul, E. & Brier, S. (2001), Friendsickness in the Transition to College: Precollege predictors and College Adjustment Correlates, *Journal Of Counseling And Development*, 79(1), 77-89.

Stutzman, F. (2006), An Evaluation Of Identity-Sharing Behaviour in Social Network Communities, Paper presented at iDMAa and IMS Code Conference, Oxford, Ohio.

Taylor, S.A., Mullign, J.R. & Ishida, C. (2012), Facebook, social networking, and Business Education, *American Journal of Business Education (AJBE)*, 5(4), 437-448, <https://doi.org/10.19030/ajbe.v5i4.7121>

Wise, L.Z., Skues, J. & Williams, B. (2011), Facebook in Higher Education Promotes Social but not Academic Engagement, *Changing Demands, Changing Directions*, *Proceedings ascilite Hobart*, 1332-1342.



STUDIES ABOUT STRESS AUDIT OF EXECUTIVES

Ganesh Kumar Vishwakarma*

Many studies and researches might be used to interpret these results. Some of them are :-

The background variables studied by Sen (1981) in relation to role stress were age, sex, education, income, family type, marital status, residence, distance from residence to place of work, distance from place of domicile to place of work, entry and previous job experience. Some of the conclusions drawn by Sen (1981) were that role stagnation decreases as people advance in age, age is negatively related with role stress. Women experience more role stress as compared to men. This is primarily because in Indian society career-oriented women are still few and far between. Role stress is inversely related to income, the less is the level of reported role stress. Sen has inferred that persons with high income hold correspondingly better assignments with higher status, esteem and more scope for satisfaction of self-actualization needs. Unmarried persons experience more stress than married persons. This may be due to their comparative lack of security need, resulting in higher self-esteem, autonomy and self-actualization needs. Persons from urban backgrounds experience more stress, growing up in rural areas may foster an attitude of self-contentment which is in sharp contrast to the fast life and activities of a city dweller. The difficulties of commuting produce more stress for people living 20-50 km away from their place of work. Family size was found to be positively associated with role stagnation and role isolation and negatively with role erosion. The former two may be attributed to advancing age, growing family size and

***Doctor of Philosophy in Psychology of V.B.S. Purvanchal University, Jaunpur.**

increasing responsibilities and at the same time limited promotion prospects leading to a feeling of exclusion and loss of linkages.

The analysis revealed that the coping styles used by bank employees varied from one bank to another. The defensive style was the most frequently adopted strategy followed by intrapersistent style and impulsive style. Managerial levels did not appear to have much impact on the coping strategies used except that junior level managers showed significantly more impulsive behaviour than top managers. Top and senior/middle level managers undertook more self-initiated action than junior managers and clerks. No significant sex differences were found. However, women employees showed slightly higher impulsive scores and lower defensive scores than males. As regards the age factor, some interesting trends were observed - people in the age group of 36-40 years exhibited more impulsive style than the other groups indicating that they are more fatalistic than those either younger or older to them. In terms of educational level, the scores were more or less similar. When income was taken as a factor, it was found that intrapersistent style generally increased with income. This could be related to the status and position of a person. The higher the status an individual has, the greater is the tendency to solve problems by one's own efforts, probably because of the power and authority the position confers. No significant differences were found with respect to family, marital status and rural or urban backgrounds.

Bhatnagar and Bose (1985) studied organizational role stresses among branch managers of a banking organization. Reviewing the Indian studies on this theme, they observed that very little systematic work has been done to understand the relative strength of different stressors for bank managers. The few studies that have examined role stress among Indian bankers, have not focused on stresses experienced specifically by branch managers who, according to the authors, play a pivotal role in the operations of a bank. The authors, however, conceived that 'branches' form the backbone of a bank and its role incumbents are simultaneously subjected to internal, organizational and environmental stresses.

In this study, an attempt was made to identify age and leadership styles as correlates of 10 types of role stresses. For this purpose, Leader Effectiveness and Adaptability Description (LEAD) (Hersey and Blanchard, 1972) and ORS Scale (Pareek, 1983c) were administered to a sample of 140 branch managers. Means, SD and Pearson's product moment coefficients of correlation were used to analyze the data.

The findings of the study revealed that branch managers scored lower on role ambiguity, self-role distance and role stagnation indicating that respondents do not really experience major stresses in these areas. In other words, they are clear about others' expectation from their roles; their self-concept and personal value system are not incongruent with the nature of their roles, and they do not feel that their personal and career growth is being blocked. On the other hand, three role stresses, namely, role erosion, interrole distance and role isolation were found to be dominant indicating that there is a slow erosion of role and authority; the inability to combine the demands of organizational life with the demands of family life; and a sense of isolation from the rest of the organization. These stresses indicate the existence of an alienation syndrome among branch managers resulting in a feeling of powerlessness.

The interrelation of age with role stress variables did not reveal any significant association between the variables. The findings did not confirm the general impression that age gives a person the strength to take stressors in his stride or that advancing age makes a person more nervous so that his perception of different stressors gets exaggerated. Stressors, however, were associated with leadership styles. For example, inter-role distance correlated negatively and significantly with high-task, low-people orientation and with high task, high-people orientation. Likewise, the overall style adaptability was associated negatively and significantly with personal inadequacy.

On the basis of these findings, the authors made the following suggestions:

- (a) The need for vigorous organizational efforts to integrate branch managers into organizational life. This suggestion was made in the light of the fact that certain stressors are dominant in managers which develop a sense of alienation in them to cope with increasing feelings of facelessness and loss of identity.
- (b) An opportunity for branch managers to acquire the latest management and banking tools and organizational opportunities to maximally utilize their potential and enhance their managerial effectiveness. This can further harness their capacity to reduce experienced stresses.
- (c) Lastly, the authors opined that bank-wise data should be collected to confirm their findings. Further, some microtestisots, such as union pressures and vulnerability to bank robbery should also be included.

KedarNath (1988) studied the effect of organizational climates, role stresses and locus of control on job involvement among banking professionals. He observed that several behavioural scientists in the west as well as in India have long recognized that these variables are crucial causal factors for job involvement among the banking personnel.

To attain the objectives of the study, four psychometric instruments — the ORS Scale (Pareek, 1983c), MAO-C (Pareek, 1989), the Social Reaction Inventory (Rotter, 1966) and the Job Involvement Scale (A.P. Singh, 1984) were administered to a randomly selected sample of 500 bank employees to assess role stresses, motivational climates, locus of control and job involvement, respectively. Statistical techniques such as critical ratio test, coefficients of correlation, variance analysis, varimax factor analysis, sub grouping and multiple regression analysis were used to test the hypotheses. The major findings of the study were as follows:

- (a) Subjects who experienced high role stress pertaining to self role distance, inter-role distance, role expectation conflict, role stagnation, role ambiguity, role overload, and personal inadequacy as well as overall role stress showed less job involvement as compared to the low role stress group. High and low scoring groups on these role stress variables were reported to differ significantly with regard to job involvement.
- (b) The high scoring group on four dimensions of *organizational* climate—achievement, *expert influence*, affiliation and dependency—scored significantly high on job involvement as compared to the groups which scored *low on these dimensions* of organizational climate. On the contrary, groups scoring high on control and extension climates scored significantly low on job involvement as compared to the group which scored low on these organizational climates.
- (c) The high external locus of control group was reported to score significantly low on job involvement in comparison to the low external locus of control group.
- (d) Role stress variables were found to be inversely associated with job involvement. Similarly, control and extension dimensions of organizational climate were inversely associated with job involvement. On the contrary, the relationships of achievement, expert influence, affiliation and dependency with job involvement were reported to be positive and statistically significant.

- (e) External locus of control was reported to be negatively and significantly associated with job involvement.
- (f) The negative relationship between organizational role stress and job involvement was reported to be higher for the high locus of control group as compared to that of the low locus of control group.
- (g) Organizational role stress was observed to be the most powerful predictor of variance in job involvement. Role stresses accounted for 31 per cent of variance in job involvement.

In the light of these findings, the author made several suggestions. First, the authorities of bank organizations must try to minimize various role stresses in order to facilitate maximum job involvement. Second, the motivational climate of the organization such as achievement, expert influence, affiliation and dependency must be improved in order to facilitate higher job involvement among the bank employees. Finally, the external locus of control should be controlled to achieve the organizational objective of higher job involvement and to improve performance.

Beena and Poduval (1991) studied gender differences in relation to the work stress with age as an independent variable. The sample consisted of 80 first-level executives of a large industrial organization. A 25-item work stress-related scale was developed by using items from the Higgings' scale (1991). The findings of the study indicated that stress experience of the executives increased with advancing age. Sex was also found to be a major factor affecting the stress condition.

In another study, Ahmad and Khanna (1992) investigated the relationship between job stress, job satisfaction and job involvement among 50 middle level hotel managers (aged 22-36 years). The analysis of the data revealed a significant negative relationship between job stress and job satisfaction irrespective of the subjects' sex, marital status, education and experience. Occupational stress was reported to be negatively correlated with job involvement, and the high job involvement group was more satisfied with their job than the low job involvement group.

Pandey (1997) conducted a study to determine the relationship between personal demographics and organizational role stress. The study was conducted on 61 personnel of

Indian Railways (aged 28-58 years). Role stresses were measured by administering the Organizational Role Stress Scale (Pareek, 1983c). The analysis revealed a positive but non-significant relationship of age with all the dimensions of role stress except role ambiguity. Similarly, education showed positive but non-significant correlation with all the 10 dimensions of role stress. Experience was reported to be positively and significantly associated with inter-role distance, role expectation conflict, role ambiguity, personal inadequacy, role stagnation, role erosion, and self-role distance.

REFERENCES

As described above.



भारतेन्दु के नाटकों में परम्परा एवं प्रयोग

डॉ० अमिता श्रीवास्तव

हिन्दी जाति की अवधारणा रामविलास शर्मा जी के साथ वस्तुगत रूप में प्रारम्भ होती है। हिन्दी जाति संबंधी चिंता राम विलास जी के लेखन में छठे दशक से ही विद्यमान है। हिन्दी भाषा के विकास और राष्ट्रभाषा की स्वीकृति को लेकर प्रयासरत रहे, लेकिन भाषावार राज्यों के पुर्नगठन के साथ उनका ध्यान असंगठित हिन्दी जाति की समस्याओं की ओर गया।¹

“हिन्दी भाषी इलाका भारत का सबसे बड़ा जातीय इलाका है। संख्या के विचार से हिन्दुस्तानी जाति दुनिया की सबसे बड़ी जातियों में गिनी जायेगी। ऋग्वेद और महाभारत की रचना यही हुई। यही नदियों के किनारे बाल्मिकी और तुलसी ने चौपाईयाँ गाईं। तानसेन, फैयाज खाँ, मीर गालिब भारतेन्दु, प्रेमचन्द्र, निराला यही के रत्न हैं। 1857 में यहीं की धरती हिन्दुओं और मुसलमानों के खून से सींची गयी है। जिस दिन यह विशाल हिन्दी प्रदेश एक होकर नए स्वाधीन जनजीवन का निर्माण करेगा, उस दिन इसकी संस्कृति एशिया का मुख उज्ज्वल करेगी। हिन्दी और उर्दू के लेखकों को जनता के हितों का ध्यान रखते हुए अपनी जातीय परम्परा के अनुसार लोकप्रिय भाषा और जनवादी साहित्य के विकास में आगे बढ़ना चाहिए।²

यह इसलिए भी कि, ‘जातीय, गठन को रोकने का अर्थ है, भाषा और संस्कृति के विकास और समृद्धि को रोकना, जातीय गठन को रोकने का अर्थ है किसी जाति के अन्दर विद्यमान राजसत्ता के जीवाणुओं को कुचलना।³

रामविलास शर्मा ने आधुनिक जातियों के निर्माण के सन्दर्भ में चार विशेषताओं को निर्णायक माना है— सामान्य भाषा, सामान्य प्रदेश, सामान्य आर्थिक, जीवन, सामान्य संस्कृति।⁴

आचार्य भरतमुनि ने भी नाट्यशास्त्र में कहा है कि योग, कर्म, सारे शास्त्र, सम्पूर्ण शिल्प तथा विविध कार्यों में कोई ऐसा कार्य नहीं जो नाटक में न पाया जाता हो।⁵ उनके अनुसार नाटक—पाठ्य (संवा) गीत, अभिनय और रस की अभिव्यंजना है।⁶ अभिनय दर्पणकार नंदिकेश्वर ने भी इसे चारों वेदों का सारतत्व कहते हुए ब्रह्मनन्द से भी अधिक आनन्द देने वाला बताया है।

कालिदास ने भी मालविकाग्निमित्र में नाटक⁷ की प्रशंसा करते हुए कहा है कि भिन्न—भिन्न रुचि वाले सब लोगों का अकेला नाटक ही तृप्त करता है।⁸ निःसन्देह नाटक जीवन की अनेकरूपता को प्रदर्शित करने वाला अपूर्व माध्यम है। नाटक मानव जीवन की सांकेतिक अनुकृति न होकर सजीव प्रतिलिपि या वास्तविक जीवन कथा एवं सजीव प्रतिच्छवि है। ‘विभागाध्यक्ष, हिन्दी—विभाग, सरस्वती देवी नारी ज्ञान स्थली पी०जी० कॉलेज गोण्डा (उ०प्र०)

राजेन्द्र सिंह गौड़ के शब्दों में 'नाटक हमारी भावनाओं का, हमारे भूतकालीन गौरव का, हमारे इतिहास और पुराण का, हमारी वर्तमान समस्याओं का दृश्य रूप है। हम उसे देखकर अपना सब कुछ जान और पहचान सकते हैं। हम नाटक नहीं देखते रंगमंच पर विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शन।⁹ मनुष्य एक अनुकरणशील प्राणी है। श्री रमाशंकर शुक्ल के ये शब्द सारयुक्त हैं— नाटक की उत्पत्ति मनुष्य की उस प्रवृत्ति की प्रेरणा से हुई है, जिसे हम अनुकरणकारिणी प्रवृत्ति कह सकते हैं जिसके कारण मनुष्य स्वभावतः दूसरों का अनुकरण करता है।¹⁰

श्री श्याम सुन्दर ने लिखा है, अनुकरण ही दृश्य काव्य की प्रधान विशेषता, व्यक्तित्व एवं आत्मा है।¹¹ अतः आँगिक, वाचिक और सात्विक अनुकरण के द्वारा लोगों का मनोरंजन करके, उन्हें सोसारिक चिंताओं से मुक्त करने के लिए तथा विशेष पर्वों और उत्सवों को संगीत, कथा और अभिनय से सुन्दर बनाकर मनोविनोद और उपदेश देने के लिए नाट्य की सृष्टि की गयी।¹²

इस प्रकार उसका यह प्रयत्न नाटकीय कृति को प्रश्रय देगा। आत्म संतोष की प्रेरणा में यदि कोई व्यक्ति उसे अच्छा लगेगा तो वह उसका अनुकरण करेगा। यदि अपने हित के लिए उसे कोई भावना ही अच्छी लगेगी तो वह उसे स्थूल रूप देने का प्रयत्न करेगा।¹³

मनुष्य की यही पूर्ण व विराट बनने की प्रवृत्ति नाटक को जन्म देती है। आत्म विस्तार की यही भावना आत्म प्रकाशन अथवा आत्माभिव्यक्ति को जन्म देती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्य आत्माभिव्यंजन करने वाला प्राणी है। उसे जो वस्तु सुन्दर आकर्षक प्रतीत होती है, उसे वह केवल स्वयं ही देखकर अथवा अनुभव कर तुष्ट नहीं होता, वह उसे दूसरों को दिखाने के लिए भी उत्कण्ठित होता है, और जब तक उसे पूर्णरूप से उसे अभिव्यक्ति नहीं कर देता है तब तक उसे मानसिक शान्ति नहीं होती।

जे. डब्लू. मेरियट के अनुसार 'वह अपने उस भावो द्वेग को नृत्य, संगीत, कायिक हलचल, मुख के विभिन्न हावों भावों, अंगों-प्रत्यंगों के तोड़ मरोड़ तथा आंतरिक भाव विन्यास के अनुसार गति शील अभिनय के द्वारा व्यक्त करता है। बिना क्रियाओं, मुख मुद्राओं या कायिक अभिनय से उसे परितुष्टि नहीं होती। जब हम किसी मर्मस्पर्शी घटना का वर्णन करते-करते शब्दों को अभिव्यक्ति के लिए अपूर्ण पाते हैं तो स्वभावतः हाथों से स्थिति को अभिनय द्वारा प्रकट कर देते हैं।¹⁴

इस प्रकार जब भावों और अनुभूतियों की प्रेरणा मानव के मन और मस्तिष्क में घनीभूत हो जाती है तो वह उसकी अभिव्यक्ति में संलग्न होता जाता है, अर्थात् किसी न किसी प्रकार से अपनी उन अमूर्त भावनाओं को नई-नई शैलियों में भरकर उसे रोचक आकर्षक बनाने का प्रयास ही नाटक को जन्म देता है।

कई विद्वान जाति रक्षा की भावना को नाटक को जन्म देने वाली मूल प्रवृत्ति मानते हैं।¹⁵ नाटक हमारे जीवन का औचित्यपूर्ण यथार्थ अनुकरण है। सांसारिक प्राणियों के चरित्र न तो एक समान ही होते हैं और न ही उनकी अवस्थाओं में एकात्म्य अथवा तादात्म्य ही होता है। किसी व्यक्ति को हम इस संसार में स्वर्ग का आनन्द लूटते पाते हैं, तो किसी दूसरे को दुख और विपत्तियों नरकमय गर्त में भाग्य को कोसते हुए पाते हैं।

नाटक द्वारा विभिन्न लोगों की क्रियाओं का सुंदर एवं स्वाभाविक चित्रण इन्हीं नाना भावों से उत्पन्न होता है, परन्तु यह सब अनुकरण पर आधारित है—चाहे वह किसी व्यक्ति के स्वर, वेश-भूषा एवं कार्यो का ही हो। यह अनुकरण जितना सजीव एवं स्वाभाविक होगा उतना ही नाटक प्रभावशाली होगा, इसमें इतना अवश्य होता है कि दर्शकों का सामूहिक सहयोग, जातीय जीवन की सुन्दर छटा, अवश्य प्रदर्शित करता है। इस आधार को दृष्टिगत रखते हुए अन्त में

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के ये शब्द उद्धृत करना अनुपयुक्त न होगा, नाटक का व्यापक अर्थ अनुकरण करना है, किसी के इशारों को किसी की बातों को तथा किसी के कार्यों को तदतु करके बतलाना, नाटक कहलाता है।¹⁶

1. **कविता की भाषा**— भारतेन्दु के अनुसार कविता की भाषा ब्रज भाषा है। उन्होंने खड़ी बोली हिन्दी कविता—भाषा का नाम 'नई भाषा' दिया है। नई भाषा में काव्य रचना के लिए उनके विचार हैं— तीन भिन्न—भिन्न छन्दों में यह अनुभव करने ही के लिए कि किस छन्द में इस भाषा का काव्य अच्छा होगा, कविता लिखी है।
2. **घर में बोलने की भाषा** — भारतेन्दु जी बनारस के रहने वाले थे। वहाँ घर में बोलचाल की भाषा बनारसी है। अपने घर की बोलचाल की भाषा के सभी रूपों के सूक्ष्म जानकार होने के नाते उन्होंने अपने नाटकों में बनारसी के विभिन्न रूपों के बोलने वाले पात्रों की अवतारणा की है।

अ. पुरवियों से प्रभावित बनारसी — पढ़िन का है पढ़ा बढ़ा कुछ भी नहिनी, एहर ओहर की दुई चार बात सीख लिहिन किरिस्तानी मते की अपने मारग की बात तो कुद जनवै नाहीं कते अवहीं के लड़का है।¹⁷

यहाँ 'पढ़िन' लहिन पुरवियों से प्रभावित क्रिया रूप है। अरे चल्लै तो ओवथई का भहराय पड़ी का सुवल थोड़े रहली हमहूँ के झपट कंधे पर रख के एहर ओहर धूम के होते तबे न इहाँ तो गगरा ढोवत ढोवत कन्धा छिल जात।¹⁸

आ. बनारसी — भारतेन्दु जी के अनुसार बनारसी वह है, जिस पर खड़ी बोली की छाप हो ' आज अभी कोई 'दरसनी परसनी नहीं आये और कहाँ तक अभहिन तक मिसरी नहीं आये अभी तक नींद न खुली होइ है। खुले कहाँ से आधी रात तक बाबू किहा बैठ के हीन्ही ठी—ठी करा चाहै फिर सवेरे नींद कैसे खुले।¹⁹

इ. बदमाशों की भाषा — बनारस में बदमाशों की भाषा अलग ही है, इसमें कितने ही ऐसे निरर्थक शब्द हैं, जिनका न सिर है न पैर है — वे ईकानानत, ओकारान्त व अकारान्त शब्द के पीछे कोई वर्ण लगा देंगे, उसका अर्थ गाली होगा। प्रेमजोगिनी के इस कथोपकथन को उदाहरण स्वरूप उद्धृत किया जा सकता है

दलाल का गुरु। कुछ पंडित जी से बोहनी वाड़े का तार होय तो हम भी साथ चलूचै सुधाकर — तार तो पंडितावाड़ा है, कुछ विशेष नही जान पड़ता दलाल — तब तो फोक सउड़े का मालवाड़ा । कहाँ तक लेऊचियै ।

सुधाकर — जब तो पलतै पलतै पलै

विदेशी — यह इन्होंने किस भाषा की बात की ।

सुधाकर — यह काशी ही की बोली है, ये दलाल है, सो पूछते हैं कि पंडित जी कहाँ उतरेंगे ।

ई. डोमों की बोली — इनकी भाषा काशी की सबसे प्राचीन भाषा है ।

धर्म — अरे हरजनवा । मोहर का संदूख ले आवा है नें ।

सत्य — क चौधरी मौहर ले के का कर बो ।

धर्म — तोहसे का काम पूछे से ।

भारतेन्दु के अनुसार लिखने की भाषा (खड़ी बोली हिन्दी) है। इस काल में भाषा के सम्बन्ध में बड़ा विवाद खड़ा था। अपनी—अपनी रुचि के अनुसार सब लिखते इसके हेतु कोई भाषा अभी निश्चित नहीं हो सकती खड़ी बोली के

सम्बन्ध में भारतेन्दु जी का कथन है— “अब पश्चिमोत्तर देश में घर में बोलने की भाषा कौन है, यह निश्चित नहीं होता, क्योंकि दिल्ली प्रान्त के अन्य नगरों में भी खत्रियों व पछांही अगरवालों व पछांही जातियों के अतिरिक्त घर में हिन्दी कोई नहीं बोलते, वरंच यहाँ पर तो कोस—कोस पर भाषा बदलती है, ऐसी ही पश्चिमोत्तर देश में अनेक भाषा है, पर उनमें ऐसे नगर थोड़े हैं, जिनमें आबाल वृद्ध बनिता खड़ी बोली बोलते हैं— इसी पश्चिमोत्तर देश में कई नगर ऐसे हैं जहाँ खड़ी बोली मातृभाषा है।”²¹

भारतेन्दु जी ने लिखने की भाषा शैलियों का विवेचन किया है जो इस प्रकार है —

1. **संस्कृत तत्सम प्रधान शब्दावली शैली**— व्यंग्य और भावुकता के क्षणों में भारतेन्दु जी ने इस शैली का आश्रय लिया है। ऐसे समय वाक्य प्रायः दीर्घ और सामासिक पदों के प्रयोग से भाराक्रान्त हो उठते हैं। जहाँ मूर्तिमान सदाशिव प्रसन्नवदन आशुतोष सफलसद् गुणों परत्नाकर, विनयैकनिकेतन, निखिलविद्याविशारद, प्रशान्तद्वय, गुनी जनसमाश्रय धार्मिक प्रवर काशी नरेश महाराजाधिराज श्री मदीश्वरी प्रसाद नारायणसिंह बहादुर भारत माता।²² तुम लोग अब एक बेर जगत् विख्याता, ललनाकुलकमल कलिका प्रकाशिका, राजविचय पूजित पादपीठा, सरल हृदया, आर्दयिता, प्रजा, रंजनकारिणी एवं दयाशीला आर्य्य स्वामिनी, राजराजेश्वरी महारानी विक्टोरिया।²³
2. **शुद्ध हिन्दी**— भारतेन्दु जी के अनुसार शुद्ध हिन्दी की शैली वह शैली है, जिसमें नितान्त तद्भव और देशी शब्दों के प्रयोग की सचेष्टता बरती गई है जैसे— अरे अकेले इस मसान में मुझे डर लगता है यहाँ मुझको कौन ले आया है रे। बेटा जल्दी आयो। क्या कहते हो, मैं इस गुरु को फूल लेने गया था वहाँ काले साँप ने काट लिया। हाय हाय रे। अरे कहाँ काटा अरे कोई दौड़ कर के किसी गुनी को बुलाओ जो जिलावे बच्चे को। अरे वह साँप कहाँ गया। हमको क्यों नहीं काटता। काट रे काट। क्या उस सुकुमार बच्चे ही पर बल दिखाना था।²⁴
3. **फारसी शब्द प्रधान शैली**— इस शैली का प्रयोग भारतेन्द्र जी ने बहुलता से नहीं किया है। अपने नाटकों में भारतेन्दुजी ने ऐसे स्थलों की भी अवतारणा की है, जहाँ फारसी शब्द प्रधान शैली का प्रयोग आवश्यक था।
“खुदावद। इस लाभ के आफताब के आगे कुफ भी तारीफी कभी ठहर सकती है। हूजुर अच्छी तरह यकीन रखे कि एक दिन ऐसा आवेगा जब तमाम दुनिया में ईमान का जिल्वा होगा और यय गैवर आखिलरूल जमाँ सल्लरुल्लाह अल्लै हुम्सल्लम का दीन तमाम रुएजमीन पर फैल जाएगा।”²⁵
4. **अंग्रेजी शब्द मिश्रित हिन्दी शैली**— यह वह शब्द है जिसमें अंग्रेजी के शब्द या तो ज्यों का त्यों या हिन्दी के तद्भव रूप में प्रयुक्त होते हैं निम्न उदाहरण से अंग्रेजी शब्द प्रयोग से बनी भारतेन्दु जी की परीक्षा हो सकती है ‘हमने एक दूसरा उपाय सोचा है ऍड्रुकेशन की एक सेना बनाई जाए। कमेटी की फौज। अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जायँ।’

हम ऐसे आर्टिकल लिखेंगे.....

इंगलिश पालिसी नामक ऐक्ट के.....²⁶

5. **ब्रज भाषा शैली**— भारतेन्दु जी ने अपने नाटकों में गद्य रूप में ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है ‘मैं दौरत दौरत हार गई, या ब्रज की गऊ का है सांड है, कैसी एक साथ पूँछ उठाय के मेरे संग दौरी है, तापै या निपूतै सुबल को बुरो हाये और है तुमड़ी बजय कै मरी और उन सबने मटकाय दीनी, अरे जो भी मैं एक संग प्रानन तै छोड़िकै न भाजती तो उनके रपटा के कबकी आय जाती।’²⁷

6. **विशिष्ट नाटकीय पात्रों की शैलियों**— इन पात्रों के कथोपकथन की शैली भी उन्हीं के अनुरूप प्रयुक्त हुई

अ. झाड़ फूंक की शैली — इसके शैलीगत प्रयुक्त शब्द माँग की दृष्टि से सार्थक लगते हैं जैसे— मार मार मार—काट—ले ले ले—ईबवी सीबी—वीबी—तुरक—तुरक—तुरक अरे आया आया आया—भागो भागो भागो। मार मार मार और मार दे मार—जाय न जाय—दुष्ट चण्डाल गोमक्षी।²⁸

आ. फेरी वाले की शैली— फेरी वालो की भाषा में गद्य और पद्य के बीच अद्भुत ढंग से प्रवाह की सुरक्षा की जाती है। एक उदाहरण दृष्टव्य है—

नरंगी ले नरंगी—सिलहर की नरंगी, बुटवल की नरंगी। राम—बाण की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी। भई नीबू की नरंगी। मै तो प्रिय के रंग नरंगी। मै तो भूली लेकर संगी... नरंगी लै नरंगी, टकै सैर नरंगी।²⁹

इ. तुतली भाषा शैली— बच्चों की तुतली भाषा तथा विकृत उच्चारण से युक्त तुतली भाषा का प्रयोग भारतेन्दु के नाटकों 'पाखण्ड विडम्बना' और 'सत्य हरिश्चन्द्र' में हुआ है। एक उदाहरण—

“अलै भिच्छुओं, हम दिव्य चच्छु छे छव की दुलगति फुलगति छब देखते है। अले छब छछार छनिक है।”³⁰

7. **पन्नों का प्रभाव**— आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार भारतेन्दु जी की भाषा में न तो लल्लूलाल का ब्रज भाषापन आने पाए, न मुंशी सदा सुखलाल का पंडिताऊ पन, न सदल मिश्र का पूरबीपन, न राजा शिव प्रसाद सितारे हिन्द का उर्दूपन, और न राजा लक्ष्मण सिंह का खलिसपन और आगरापन। इन पन्नों से एक साथ पीछा छुड़ाना भाषा के सम्बंध में बहुत ही परिष्कृत रुचि का परिचय देता है।.....

संस्कृत शब्दों के रहने पर भी सुबोध बना रहता है। फारसी अरबी के शब्द आने पर भी साथ—साथ उर्दूपन न आना हिन्दी की स्वतंत्र सत्ता का प्रमाण था।³¹

शुक्ल जी ने यह निर्णय सम्भवतः उन्हीं रचनाओं के आधार पर लिया हो जिनमें पन्नों से सर्वथा मुक्ति का प्रयास है। वस्तुतः भारतेन्दु जी ने अपनी गद्य भाषा में सभी पन्नों से मुक्त एक ओर तो पृथक—पृथक शैलियों का प्रयोग किया और दूसरी ओर सभी पन्नों के प्रभावों से अपने को बचाने की चेष्टा की है।

सन्दर्भ

1. भारतीय संस्कृति और हिन्दी प्रदेश, खण्ड—एक, पृ०9—10
2. राम विलास शर्मा, भारत की भाषा समस्या, पृ०91
3. मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य पृ० 262
4. राम विलास शर्मा, भाषा और समाज पृ० 247
5. भरत नाट्य शास्त्र अध्याय पृ० 116—117
6. वही अ०—1, पृ० 15—16
7. अभिनय दर्पण, पृ० 10
8. नाट्य भिन्न रुचेर्यनस्य बहुधाप्यकं समाराधनम्—मालविकाग्निमित्र नाटक अंक पृ० 1

9. नाट्यमिति च नटे अवस्यंदने इति नटे—किंचिच्चल नार्थत्सा सात्विक बाहुल्यम् अतएव सत्कारेषु नटव्यपदेशः दश रूपक – घनिष्ठ की टीका रूपकम् तत्समारोपात् – दशरूपक 1/7
10. रमाशंकर शुक्ल, रसालकृत—नाट्य निर्णय पृ० 25 प्रथम संस्करण
11. साहित्य लोचन पृ० 89 तेरहवीं आवृत्ति
12. अभिनव भरताचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी कृत समीक्षाशास्त्र पृ०797 सं० 1954
13. दीप—दान (पाँच मौलिक अभिनेय एकांकी) नाटकों के सम्बन्ध में (भूमिका) पृ० 6 द्वितीयावृत्ति
14. वप एक्स प्लेज ऑफ टूडे पृ० 292 (डॉ० रामचन्द्र महेन्द्र की पुस्तक हिन्दी नाटक के सिद्धान्त और नाटककार पृ० 1 से उद्धृत पंक्तियाँ सं. 1995
15. हिन्दी नाट्य विमर्श, श्री गुलाबराय पृ० 12 सं० 1942
16. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नाट्यशास्त्र पृ० 4 तृतीयावृत्ति
17. प्रेम जोगिनी, प्रथम अंक, प्रथम गर्भांक
18. प्रेम जोगिनी, प्रथम अंक
19. प्रेम जोगिनी, प्रथम अंक प्रथम गर्भांक
20. सत्य हरिश्चन्द्र नाटक, तीसरा अंक
21. भारतेन्दु समग्र पृ० 1048 (हिन्दी भाषा) शीर्षक से सम्पादक हेमन्त शर्मा।
22. प्रेम जोगिनी, प्रथम अंक, तीसरा गर्भांक
23. भारत जननी
24. सत्य हरिश्चन्द्र, चौथा अंक
25. नीलदेवी छठा अंक
26. भारत दुर्दशा, पाँचवा अंक
27. चन्द्रावली, दूसरा अंक
28. नीलदेवी, आठवा अंक
29. अंधेर नगरी, दूसरा अंक
30. पाखण्ड विडम्बना
31. भारतेन्दु साहित्य, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० 189 –190



पं० जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति : विशेषकर भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध के परिप्रेक्ष्य में

प्रमोद कुमार”

डॉ० प्रमोद सिंह

आधुनिक युग में किसी भी देश के वैदेशिक सम्बन्धों में पड़ोसी देश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि पड़ोसी देश के साथ सम्बन्ध मधुर हो तो राष्ट्रीय हित विस्तृत क्षितिज तलाश सकते हैं। भारत और पाकिस्तान में सम्बन्ध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। 15 अगस्त 1947 में भारत को दो टुकड़ों का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान राज्यों का निर्माण हुआ। पाकिस्तान का जन्म साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था। भारतीय मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्र के सिद्धान्त (Two Nations theory) प्रतिपादन करते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए एक पृथक राज्य की मांग रखी गयी।¹ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस माँग का प्रबल विरोध किया और जब कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा तभी उसने देश के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार किया। इस कारण मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कटुता बढ़ी। देश के विभाजन के उपरान्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग को और कांग्रेस को शासन की बागडोर मिली। भारत के लिए पाकिस्तान का भू-सामरिक एवं भू-राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व है। यद्यपि भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में व्यापक विद्वेष वस्तुतः औपनिवेशिक शासन का ही उत्तराधिकार है तथा दोनों देशों के पारस्परिक कटु सम्बन्धों में उनकी सम्प्रभुत्ता एवं अखण्ड की रक्षा के सन्दर्भ में व्यापक चुनौतियाँ उत्पन्न किया। सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त, एक ओर जहाँ भारतीय संघीय संरचना एवं लिखित संविधान के साथ एक सशक्त संसदीय लोकतांत्रिक राष्ट्रों के रूप में विश्व पटल पर उभरा, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान को सन् 1996 तक संविधान के प्रारूप का निर्माण करने में सफलता प्राप्त नहीं हुयी। इसके अतिरिक्त, भारत ने लोकतंत्रात्मक विकेन्द्रीकरण का संकल्पना अपनी शासन पद्धति में समावेशित किया था। जबकि पाकिस्तान ने आधारित लोकतंत्र के आधार पर प्रशासन एवं विकास के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया।²

काश्मीर विवाद –

अलाप माईकल के शब्दों में – काश्मीर समस्या अनिवार्यतः भूमि या पानी की समस्या नहीं, यह लोगों एवं प्रतिष्ठा की समस्या है।³

‘शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, टी० एन० पी० जी० कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकरनगर, उ० प्र०

“एस० प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, टी०एन० पी०जी० कॉलेज, टाण्डा, अम्बेडकरनगर, उ० प्र०

काश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे कठिन समस्या है। अगस्त 1947 काश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपने विलय के विषय में तात्कालिक निर्णय नहीं लिया पाकिस्तान भी काश्मीर को अपने साथ मिलाना चाहता था। 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्त के कवायलियों ने अनेक पाकिस्तानी ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान ने अपनी सीमा पर सेना का जमाव कर लिया। 4 दिनों के भीतर ही आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील की दूरी पर बारामूला तक जा पहुँचे। 26 अक्टूबर 1947 का महाराजा हरिसिंह ने भारत के साथ समझौता किया व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके जम्मूकाश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक सहमति दी। इस प्रकार काश्मीर भारत का अंग बन गया। भारत द्वारा काश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण और उधर पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता नीति के कारण काश्मीर दोनों राष्ट्रों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन गया।

भारत-पाकिस्तान काश्मीर विवाद के सम्बन्धि ताल-मेल को सन् 1948 में संयुक्त संघ के समक्ष प्रस्तुत किया जिस गहन चर्चा के उपरान्त सुरक्षा परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ भारत एवं पाकिस्तान अयोग का गठन किया जिसमें भारत की ओर चेकस्लोविया तथा पाकिस्तान की ओर से अर्जेन्टीना सदस्य थे तीसरे सदस्य के रूप में अमेरिका को नियुक्ति किया गया था। इस अयोग का गठन का मूल उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की सहायता काश्मीर विवाद का शान्तिपूर्ण समाधान किया गया।

पाकिस्तान का सैन्यीकरण – भारतीय राजनीति के अनेक आन्तरिक दबावों के कारण 1947 पाकिस्तान का जन्म हुआ। परन्तु पाकिस्तान की स्थापना के साथ राष्ट्र निर्माण की चुनौती मुँह बाएँ खड़ी थी। पाकिस्तान मानव कृत संरचना थी और इसके जन्म के साथ ही ऐसे आन्तरिक दबाव व्यवस्था पर पड़ रहे थे कि पाकिस्तान संकट में है। पंजाबियों, पठानों, बलूचों, सिंधियों, बंगालियों, दिल्ली वालों, उत्तर प्रदेश में निवासियों से आने वाले मुसलमानों के बीच सिर्फ इस्लाम की एक मात्र समानता थी। 1954 में पाकिस्तान अमेरिकी सैनिक संगठन सिएटो का सदस्य बना। इसके साथ पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ी और साफ अमरीका का सन्धि मित्र बन जाने के बाद पाकिस्तान को सैनिक साज सम्मान मिलेगा और परिणाम स्वरूप सैनिक अधिकारियों को सुख सुविधा और प्रभाव में वृद्धि होगा। भारत को पाकिस्तान की अखण्डता के लिए खतरा समझते थे। जो भी हो स्वतंत्रता के बाद पहले दो दशक तक भारत की वास्तविक समता सीमित रही जबकि पाकिस्तानी सेना भारत के सन्दर्भ में अच्छी थी।³ पाकिस्तान के सैन्यीकरण के भारत पाक सम्बन्धों पर बहुत दुखद प्रभाव पड़े। अनेक भारतीयों विद्वानों ने टिप्पणी की कि ऐसी किसी बन्दूक का आज तक अविष्कार नहीं हुआ, जो सिर्फ एक ही दिशा में वार करती है। नहेरू जी इस वार से काफी दुःखी हुए थे।

भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद – भारत और पाकिस्तान सीमा विषय कुल 4 राज्यों से होकर गुजरती है। जिनमें पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू काश्मीर राज्य शामिल है। पाकिस्तान के साथ गुजरात राज्य की सीमा पर स्थित सरक्रीक सीमा रेखा को लेकर विवाद रहा। सरक्रीक सीमा रेखा न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा का एक बहुत अहम हिस्सा है। बल्कि ये गुजरात की सुरक्षा के सन्दर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। सरक्रीक सीमा रेखा विवाद कच्छ और सिन्धु के बीच समुद्री रेखा की अस्पष्टता के कारण है। आजादी से पहले ये क्षेत्र ब्रिटिश भारत का ही हिस्सा बन गया। जबकि कच्छ भारत का ही हिस्सा रहा। ये क्षेत्र सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र एशिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से भी एक हैं। जिसके कारण ये मछुआरे के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस क्षेत्र से समुद्र के नीचे तेल और गैस का विशाल भंडार है।⁴

भारत पाकिस्तान जल विवाद – पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद से तंग आकर भारत ने बीते दिनों सिन्धु नदी जल समझौते के तहत भारत के हिस्से में आने वाली नदियों के पानी को नहीं देने की बात कही। पंजाब की पांच नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती थी। सिन्धु नदी जल समझौते के मुताबिक भारत में पश्चिमी नदियों (झेलम, चिनाव, सिंधु) के पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सिन्धु नदी जल समझौते के तहत भारत को पश्चिमी नदियों से 36 लाख एकड़ फीट पानी स्टोर करने का अधिकार है। पश्चिमी नदियों के पानी से भारत 7 लाख एकड़ क्षेत्र में लगी फसलों की सिंचाई कर सकता है। इसके अलावा भारत इन नदियों पर जल विद्युत परियोजनाएं भी बना सकता है। पाकिस्तान के लिए संकट हमेशा ही अधिक रहा था क्योंकि उसने गंभीर बाधाओं के साथ शुरुवात की थी। राष्ट्रवाद की मौलिक गैर-क्षेत्रीय दृष्टि को भौतिक रूप से सीमित स्थान पर इतिहास के लाभ के बिना पिरोना बहुत मुश्किल था। 1960 में सम्पन्न सिन्धु जल सन्धि इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करती है। दुर्भाग्य का विषय यह है कि इस तरह के समझौते का आधार बनाकर इसी तरह का कोई अन्य समझौता कर बड़ी शुरुवात करने की दूरदर्शिता किसी भी पक्ष में नहीं दिखाई।⁵

शरणार्थी समस्या – भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। परन्तु जोखिम भारी उत्तेजना करने के लिए शरणार्थियों की समस्या प्रमुख कारण रही है। विभाजन के बाद करोड़ों की संख्या में मुस्लिम बचे रहे और लाखों हिन्दू पाकिस्तानी भूमि पर अपना जीवन यापन करते रहे। विभाजन के साथ साम्प्रदायिक हिंसा बहुत बड़े पैमाने में शुरू हो गया। उसने इस अल्पसंख्यकों की आशाओं को धूमिल कर दिया। भारतीय प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के बीच 8 अप्रैल 1950 को दिल्ली में एक समझौता हुआ। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच शरणार्थी, सम्पत्ति, अल्पसंख्यकों के अधिकार और भविष्य में युद्ध सम्भावनाएं न हो जैसे मुद्दों पर समझौता था।⁶

भारत-चीन युद्ध और पाकिस्तान – जब भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ तब भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में उथल-पुथल शुरू हो गया। तो पाकिस्तान के समाचार पत्रों और राजनीतिज्ञों के भारत को दोषी ठहराया। पाकिस्तान भी भारत की परेशानी से फायदा उठाना चाहता था। इसलिए चीन के साथ नये ढंग से मित्रता शुरू किया। जब नवम्बर में चीन बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया तो भारत अमेरिका और ब्रिटेन से सैनिक सहायता की मांग की। तुरन्त ही इन देशों से युद्ध सम्बन्धित समान भारत को पहुंचाने लगे। तब पाकिस्तान ने इसका तीव्र विरोध किया। उसने कहा कि चीन की ओर से भारत पर पाकिस्तान का ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है कि इतने अधिक पैमाने पर उसे सैनिक सहयोग दी जा रही है पर इससे पाकिस्तान के विरोध का कोई असर नहीं पड़ा और भारत को सैनिक सहायता मिलती रही।

स्वर्ण सिंह भुट्टो वार्ता – भारत के सैनिक आवश्यकताओं से परिचित होने के लिए अमेरिकी मंत्री एवरेल हैरीमन और ब्रिटिश मंत्री डल्कड सैंड नवम्बर 1962 में भारत आये। इस अवसर पर उन्होंने पाकिस्तान और भारत में मेल-मिलाप कराने का प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप भारतीय प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब ख़ाँ का संयुक्त वक्तव्य निकाला और इसमें कहा गया था कि दोनों देश उपयुक्त समय पर भारत पाकिस्तान के मतभेद को सुलझाने के लिए वार्ताएं करेंगे। 29 दिसम्बर 1962 को मंत्रियों के स्तर पर पहला सम्मेलन रावलपिंडी में हुआ। जनवरी, फरवरी 1962 में यह निश्चित हुआ कि मार्च में कलकत्ता में भारत और पाकिस्तान के मंत्रियों की वार्ता हो। 12 मार्च 1962 को कलकत्ता में भारत पाक वार्ताएं पुनः प्रारम्भ हुयी पर उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकला।⁷

पाकिस्तान का जासूसी षड्यंत्र – 1963 में भारत में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा फैलाये गये एक जासूसी जाल का पता भारत सरकार को लगा नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी दूतावास जासूसी षड्यंत्र का केन्द्र था। जिसका उद्देश्य भारत

के गुप्त सामरिक भेदों को पता लगना था इसमें दूतावास के उच्च पदाधिकारी सम्मिलित थे। जब षड्यंत्र का पता लगाया गया तो भारत सरकार ने जासूसी से सम्बन्धित अधिकारियों को भारत से हटाने का निश्चय किया। लेकिन इसी समय भारत में स्थित पाकिस्तान ने उच्चयुक्त के व्यक्तिगत अनुरोध पर भारत सरकार अपने निश्चय की घोषणा को पांच दिनों के लिए स्थगित कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान सरकार ने कराची स्थित दूतावास के प्रमुख अधिकारियों पर जासूसी करने का दोषारोपण करके उन्हें पाकिस्तान छोड़ने की आज्ञा दे दी इन घटनाओं को दोनों देशों के बीच खूब तनाव फैला। “बिना किसी रणनीतिक, खनिज, सामरिक महत्व का यह विश्व का सबसे निरर्थक और मुखर्तापूर्ण युद्ध होना चाहिए।”⁸

हजरत बल घटना और भारत पाक सम्बन्ध – 28 दिसम्बर 1963 को श्रीनगर की हजरत बल मस्जिद से पैगम्बर मुहम्मद साहब का पवित्र बाल चोरी हो गया। इस घटना को लेकर पाकिस्तानी के अखबारों में भारत के विरुद्ध खूब प्रचार किया और साम्प्रदायिक तथा घृणा-विद्वेष फैलाया। पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया। इस दंगे में कई हजार व्यक्ति मारे गये और कई हजार शरणार्थी भारत चले आये। इसके प्रक्रिया स्वरूप भारत में कुछ दंगा शुरू हो गया। इस कारण भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध और भी विगड़ गये। लेकिन साम्प्रदायिक दंगे की आग को बुझाना उस समय सबसे अधिक आवश्यक था अतएव इस समस्या का समाधान के लिए फरवरी 1964 में भारत और पाकिस्तान के स्वराष्ट्र मंत्रियों का एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ इस सम्मेलन से कोई विशेष परिणाम नहीं निकला लेकिन अल्पसंख्यकों का उत्साह अवश्य बढ़े। दिल्ली में यह निश्चय हुआ कि स्वराष्ट्र मंत्रियों का एक दूसरा सम्मेलन सितम्बर 1964 में हो। जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा के उपाय निर्धारित किये जाये इसी बीच मई 1964 में काश्मीर के नेता शेख अबदुल्ला को काश्मीर सरकार ने लगभग दस वर्षों तक जेल में रहने के बाद मुक्त कर दिया। शेख अब्दुल्ला की मुक्ति के बाद भारत और पाकिस्तान का एक नया अध्याय शुरू हुआ। जेल से बाहर निकलते ही शेख अब्दुल्ला साहब ने भारत सरकार की काश्मीर सम्बन्धी नीति की कड़ी आलोचना की और काश्मीर के लिए आत्म निर्णय के अधिकार की मांग रखी। पाकिस्तान की सरकार ने शेख अब्दुल्ला का समर्थन किया अपने विचारों के आधार पर काश्मीर समस्या के समाधान के लिए शेख अब्दुल्ला दिल्ली आए और पं० नेहरू से वार्ताएं की। इन वार्ताओं की समाप्ति के बाद शेख अब्दुल्ला ने बताया कि काश्मीर समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब भारत पाकिस्तान का सम्बन्ध अच्छा हो। अतएव वे पाकिस्तान के मेल-मिलाप के लिए नाटकीय प्रयास करने लगे। भारत पाकिस्तान के सम्बन्धों में सुधार के लिए वे प्रधानमंत्री पं० नेहरू से मिलने के लिए पाकिस्तान राष्ट्रपति अयूब खॉं भारत आये इसी बीच 27 मई 1964 को पं० नेहरू की मृत्यु हो गयी और शेख अब्दुल्ला के सारे प्रयास व्यर्थ हो गये। भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

भारत पाकिस्तान सम्बन्ध (वर्तमान प्ररिप्रेक्ष्य) में भारत पाकिस्तान सम्बन्ध न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि समूचे अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक ज्वलन्त तथा संवेदनशील विषय है। स्वतंत्रता प्राप्ति से वर्तमान तक इनके सम्बन्ध, स्पर्धा, संघर्ष एवं युद्ध के दयारे से नहीं निकले हैं। जबकि दोनों राष्ट्र एक ही संस्कृति, सभ्यता और विरासत के अंग रहे हैं। भारत के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। पाकिस्तान का जन्म भारत के प्रति घृणा तथा अविश्वास के कारण हुआ। पाकिस्तान भारत के निकटतम पड़ोसी देश है। जिसके कारण प्रारम्भिक काल से ही पं० जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते थे। भारतीय स्वाधीनता के उपरान्त ही भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की चेष्टा की थी परन्तु भारत-पाकिस्तान के सम्बन्धों में सकारात्मक सुधार सम्भव नहीं हो सका। भारत पाकिस्तान के सामान्य पड़ोसी बनाने, भारत के प्रयासों को

सीमा पर आतंकवाद और भारत के खिलाफ हिंसा के लिए पाकिस्तान का निरंतर समर्पण से कमजोर किया जा रहा है। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तान स्थित और समर्थित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद द्वारा पुलवामा, जम्मू और काश्मीर में सीमा पर आत्मघाती आतंकी हमले में भारतीय सुरक्षा बल के 40 जवान शहीद हो गये थे। भारत बार-बार पाकिस्तान से आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने और पाकिस्तान के अन्दर हथियार प्राप्त करने से रोकने का आग्रह करता रहा है।

अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में पाकिस्तानी प्रतिक्रिया – संविधान के अनुच्छेद 370 के बारे में भारतीय संसद के निर्णय के बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण प्रचार में लगा हुआ है और दुनिया के समाने द्विपक्षीय सम्बन्धों की एक खतरनाक तस्वीर पेश करने के प्रयास में लगा हुआ है। 7 अगस्त 2019 को पाकिस्तान ने एकतरफा उपायों की घोषणा की। जिसमें राजनयिक संबंधों को निम्नतर करना, द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करना और भारत के साथ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच बस, ट्रेन और डाक सेवाएं को निलंबित कर दिया जिसमें दोनों देशों के बीच सामान्य व्यापार और लोगों के बीच संबंध में कमी आयी। सन् 2000 से लेकर 2010 तक भारत ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों के हर मौके पर उन्हें और विश्व को सबूत पेश किये जाने के उपरान्त भी पाकिस्तान द्वारा इन्हें रोकने के बजाय आतंकवाद का पोषण देकर हर तरह की सुविधा देने में जुटा है। हर मंच पर भारत की बात न सुनकर काश्मीर की राग अलापने से भारत-पाक सम्बन्धों में कभी सुधार नहीं आ सकता है।

भारत-पाकिस्तान के व्यापार पर प्रभाव – पिछले लगभग 8 वर्षों से सम्बन्धों में गम्भीर झटके और संकट का सामना करना पड़ा। जिसने द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित किया। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता काश्मीर में पाकिस्तान प्रयोजित आतंकवाद है। जबकि पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण आशंका जम्मू-काश्मीर की यथा स्थिति में बदलाव है। 19 अगस्त 2019 को जम्मू और काश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के भारत के फैसले का हवाला देते हुए। पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारत के साथ अपने व्यापार सम्बन्धों को डाउनग्रेड कर दिया। जिससे द्विपक्षीय व्यापार में मंदी आयी। इससे पहले फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने 1996 में पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया और व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिए।

पं० नेहरू युग में भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध – भारत पाकिस्तान में सम्बन्ध हमेशा से ही ऐतिहासिक और राजनैतिक मुद्दों की वजह से तनाव में रहे हैं। इस रिश्ते का मूल कारण भारत के विभाजन को देखा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० नेहरू अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाने का प्रयास किया। ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 में भारत को दो टुकड़ों का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान राज्यों का निर्माण किया। पाकिस्तान का जन्म साम्प्रदायिक के आधार पर निर्माण हुआ। भारतीय मुस्लिम लीग ने दो राष्ट्रों के सिद्धान्त प्रतिपादन करते हुए भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग की।⁹

निष्कर्ष :

काश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे गम्भीर समस्या थी। अगस्त 1947 काश्मीर के राजा हरिसिंह अपने विलय के विषय में पं० जवाहरलाल नेहरू से मिले। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरिसिंह ने पं० जवाहरलाल नेहरू से मिले उन्होंने भारत के साथ समझौता किया और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करके जम्मू-काश्मीर को भारत में शामिल करने की आधिकारिक सहमति दी। इस प्रकार भ्रष्ट काश्मीर भारत का अंग बन गया। भारत द्वारा काश्मीर की सुरक्षा के निर्णय के कारण भारत और पाकिस्तान काश्मीर के विषय पर दोनों के बीच युद्ध का क्षेत्र बन

गया। भारत पाकिस्तान काश्मीर के मामलों पर सन् 1948 में संयुक्त राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर गहन चर्चा हुआ इसके उपरान्त सुरक्षा परिषद ने एक अयोग का गठन किया। इस आयोग के गठन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप की सहायता काश्मीर विवाद का शान्तिपूर्ण समाधान किया जा सके। इस आयोग से कोई निर्णय नहीं निकला।

संदर्भ

1. डॉ० दीनानाथ वर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, नव प्रभात प्रिन्टिंग प्रेस शहदरा, नई दिल्ली 2001 पृ० 344–345
2. सी०वी०पी० श्रीवास्तव, भारत और विश्व बदलते परिदृश्य पब्लिकेशन्स किताब महल, इलाहाबाद पृ० 245
3. डॉ० वी० एल० फडिया, अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति साहित्य भव्य पब्लिकेशन्स नई दिल्ली पृ० 352–353
4. स्टीफ्रेन पी० कोहेन (2005) द आइडिया ऑफ पाकिस्तान (नई दिल्ली) आक्सफोर्ड युनिवर्सिटी, पृ० 103
5. बैरेट, स्कॉट, “संघर्ष और सहयोग के प्रबन्धन में अन्तर्राष्ट्रीय जल संसाधन ” नीति अनुसंधान कर कागज 1303 विश्व बैंक मई 1994
6. डॉ० पुष्पेश पंत, श्री पाल जैन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, मीनाक्षी प्रकाशन मेरठ 2016–2017 पृ० 414–415
7. वर्गीज, बी०जी० में है और आक्सफोर्ड आईबीएच प्रकाशन, नई दिल्ली 1990
8. डॉ० दीनानाथ वर्मा, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध, नव प्रभात प्रिन्टिंग प्रेस शहदरा, नई दिल्ली पृ० 346–347
9. सिन्धुजल समझौते में उल्लंघनको युद्ध के लिए उकसाने के तौर पर लिया जाएगा पाकिस्तान मूल रूप से 28 सितम्बर 2016 पुरालेखित अगमन तिथि 29 सितम्बर 2016



मलिन बस्तियों की महिला कामगार को आत्मनिर्भर बनाने में कौशल विकास योजना की भूमिका : समाजशास्त्रीय विश्लेषण

निधि श्रीवास्तव

डॉ० कृष्ण कुमार

सारांश:

भारत का अतीत गौरवशाली रहा है। वर्तमान आर्थिक युग में महिलायें दोहरी भूमिकाओं को निभाने के लिए बाध्य हुई हैं। इसका एक पक्ष यह भी है उनका आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसित होना, जो उन्हें आर्थिक रूप से समाज में सक्षम बनाता है। दूसरा पक्ष यह है कि समाज में उन्हें समस्याओं से जूझने में समर्थ बनाता है। विडम्बना यह है कि विकास के दौर में आधी आबादी पीछे रह गई है। जो वर्तमान युग में मलिन बस्ती के रूप में एक नई बस्ती का उदय हुआ है। जोकि समस्याओं के रूप में उभरी है। मुख्यता जीविकोपार्जन के लिए महिला कामगार सामने आई है जो फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों एवं घरों में घरेलू काम करने के लिए विवश है। आत्मनिर्भर बनने में शिक्षा के साथ-साथ कौशल की भी प्रमुख भूमिका है। मुख्यतः महिला कामगार के पास कोई कौशल नहीं है। वर्तमान में कौशल विकास योजना के द्वारा महिला कामगार को आत्मनिर्भर बनाने में शिक्षा के साथ-साथ किन-किन कौशलों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिससे महिला कामगार आत्मनिर्भर बन सके।

प्रस्तुत अध्ययन गोविन्द नगर (कच्ची बस्ती) कानपुर स्थित महिला कामगार पर आधारित है। इस शोध के माध्यम से महिला कामगार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में कौशल विकास योजना की क्या भूमिका है और उनकी आर्थिक स्थिति में क्या सुधार हुए हैं, का पता लगाया जायेगा।

प्रस्तुत शोध में अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया जायेगा। प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया जायेगा। सम्बन्धित मलिन बस्ती से 50 महिला कामगारों का चयन सोद्देश्यपूर्ण दैव निदर्शन पद्धति के आधार पर किया जायेगा एवं द्वैतीयक तथ्यों के संकलन हेतु पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों, शोध प्रबन्धों आदि का उपयोग किया जायेगा।

मुख्य शब्द: मलिन बस्ती, महिला कामगार, आत्मनिर्भर, कौशल विकास योजना

‘शोध छात्रा, समाजशास्त्र, पी०पी०एन० पी०जी० कालेज, कानपुर

‘प्रोफेसर, समाजशास्त्र, पी०पी०एन० पी०जी० कालेज, कानपुर

आधार पीठिका:— वर्तमान युग आर्थिक युग है, एक देश के आर्थिक विकास में महिला कामगार का बहुत बड़ा योगदान है। महिला कामगार के सन्दर्भ में कौशल विकास योजना का अर्थ केवल महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा किये गये कार्यों में गुणात्मक सुधार कर स्वयं की स्थिति को सुदृढ़ करना भी है। कौशल विकास योजना महिला कामगार में आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत जैसे विकासशील देश जहाँ उनकी कार्यशक्ति में भागीदारी की निम्न दर तथा लैगिंग असमानता जैसी समस्याएँ वर्तमान में भी विद्यमान हैं। महिला कौशल विकास योजना इस समस्या का समाधान करेगी। वर्तमान में हमारा संविधान महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान करता है लेकिन कार्य स्थल पर महिलाओं से भेदभाव, मजदूरी दर में भिन्नता, निम्न महिला भागीदारी आदि समस्याएँ पाई जाती हैं। अधिकांश कार्य करने वाली महिलाएँ अप्रशिक्षित हैं, अकुशल हैं, यही कारण है कि वह असंगठित भी हैं।

एक देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना अति आवश्यक है, कौशलपूर्ण बनाने के सन्दर्भ में महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके द्वारा प्राप्त कौशल में गुणात्मक सुधार करके उनके कार्य प्रदर्शन को बेहतर तथा उत्पादक बनाना होना चाहिए। कौशल विकास महिलाओं के लिए रोजगार तो सुनिश्चित करता ही है साथ ही उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाता है। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ कार्य शक्ति में महिलाओं की भागीदारी की निम्न दर एवं लैगिंग असमानता जैसी समस्याएँ भी वर्तमान में देखने को मिलती हैं। कौशल विकास योजना के द्वारा उन्हें कौशल सिखाकर सशक्त बनाकर ही इस समस्या का सामधान किया जा सकता है।

पिछले कुछ दशकों से महिलाओं के कार्यस्थल में काफी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन आज भी हमें कार्य स्थल पर महिलाओं से भेदभाव, मजदूरी दर में भिन्नता, निम्न महिला भागीदारी आदि समस्याएँ लगातार देखने को मिलती हैं। कार्य स्थल पर अधिकांश महिलाएँ कार्य से जुड़े कौशल में पूर्ण रूप से सक्षम एवं पारंगत नहीं हैं, यही कारण है कि महिलाएँ अपने अधिकारों को लेकर संगठित नहीं हो पाती हैं।

ग्लोबल इकनामिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेन्डर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत 140वें स्थान पर था। 2022 जुलाई में 146 देशों की सूची में भारत 135वें स्थान पर रखा गया जबकि 2023 में 146 देशों में भारत की रैंकिंग 127 है। रैंकिंग की तुलना में भारत की रैंकिंग में मामूली सुधार देखने को मिला है, हालांकि इसके बावजूद भारत अब भी दुनिया भर के देशों से काफी पीछे है। महिलाओं की इस स्थिति के लिये सामाजिक एवं आर्थिक दोनों कारण ही जिम्मेदार हैं। महिलाओं की स्थिति में सुधार तब ही संभव है जब महिलाओं से जुड़ी समस्याएँ जैसे लैगिंग भेदभाव, लैगिंग आधार पर वेतन में विसंगतियाँ एवं उनके कार्य को कार्य श्रेणी का दर्जा प्राप्त हो और यह तभी सार्थक हो पायेगा जब महिलाओं के लिए कौशल विकास की दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे।

समय की मांग के अनुसार वर्तमान में महिलाओं के कौशल विकास की ओर से निम्न प्रशिक्षण में पारंगत होना नितान्त आवश्यक है।

1. संचार कौशल
2. निर्णय प्रबंधन कौशल
3. समस्या निवारण कौशल
4. व्यक्तित्व विकास कौशल
5. व्यवहारिकता कौशल

6. मोमबत्ती प्रशिक्षण
7. अचार बनाना
8. माला बनाना

सम्बन्धित साहित्य का विवरण :

कुमारी अंकिता, कुमार सुजाता, कुमार, भगत सुनीति (2019) के अनुसार कामकाजी महिलाओं को दोहरी समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं की समस्याओं का प्रमुख कारण परिवार के आकार का एकाकी होना, सहयोग की कमी एवं बुनियादी आवश्यकता पूरा न करवाने से उत्पन्न हो रही है। जिससे उन्हें मानसिक, संवेगात्मक एवं शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

शर्मा ज्योति (2022) के अनुसार कामकाजी महिला का तात्पर्य काम करने वाली महिला से है चाहे वो घर पर कामकाजी हो, या घर के बाहर कामकाजी हो दोनों ही परिस्थितियों में स्त्रियों की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। लेकिन कामकाजी का अर्थ केवल आय से लगता है यद्यपि ऐसा नहीं है, वास्तव में कामकाजी का अर्थ सेवा प्रदान करने से है अब चाहे वह सेवा घर में हो या बाहर सेवा प्रदान करने से हो।

कु0 लक्ष्मी (2021) के शोध के अनुसार, घरेलू कामगार के तौर पर काम करने वाली ज्यादातर महिलायें ही होती हैं। यद्यपि महिला कामगार की एक बड़ी आबादी बिना कामगार का दर्जा पाए काम करने को मजबूर है एवं उचित मेहनताना भी नहीं प्राप्त होता है।

ई-श्रम पोर्टल, कुमार राज (2023) ने अपने प्रकाशित लेख में घरेलू काम करना देश का दूसरा सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र माना है। दशकों से घरेलू कामगार महिलाये घरों में घरेलू काम कर रही हैं। लेकिन आज तक इनको वर्करो का दर्जा नहीं दिया गया है, आज तक न ही इनका काम निर्धारित है, और न ही काम के घण्टे न ही छुट्टी, और न ही वेतन, और न ही काम करने की प्रकृति।

शर्मा सुनील (2018) ने अपने प्रकाशित लेख में घरेलू महिला कामगारों के योगदान का कोई आंकलन नहीं किया गया है। घरेलू महिला कामगारों को जो परिश्रमिक प्राप्त होता है। वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम प्राप्त होता है।

चन्द्रा डॉ0 तूलिका (2018) के अनुसार महिलाओं के सम्बन्ध में कौशल विकास का अर्थ केवल कामगार महिलाओं को रोजगार प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि उनके द्वारा किये गये कार्यों में गुणात्मक सुधार कर कार्य प्रदर्शनको उच्चकोटि का बनाना है।

त्रिपाठी विनीता (2016) ने अपने सर्वेक्षणात्मक अध्ययन में मलिन बस्तियों के बच्चों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को अध्ययन किया और पाया कि मलिन बस्तियों में प्रायः रहन-सहन की मूलभूत सुविधाओं तथा औद्योगिकीकरण व नगरीकरण के प्रति दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अन्य वर्गों से ज्यादा सकारात्मक था।

कुमार डॉ0 योगेश, सेगंर कामिनी (2022) के अनुसार कामकाजी महिलाओं को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर और ऑफिस दोनों प्रकार की चुनौतियों को महिलाएं बखूबी निभा रहीं हैं, हालांकि कभी-कभी उनको मानसिक एवं पारिवारिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं उद्देश्य:

1. महिला कामगार की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिला कामगार की आर्थिक सम्बन्धी स्थिति का अध्ययन करना।

शोध की मान्यताएं:

1. महिला कामगार के साथ कार्यस्थल पर अभद्र व्यवहार किया जाता है।
2. महिला कामगार कम शिक्षित है।
3. महिला कामगार को परिवार के साथ समायोजन की समस्या आती है।
4. महिला कामगार का वेतन पुरुष कामगार की अपेक्षा बहुत कम है।

शोध अभिकल्प:

शोध विधि: प्रस्तुत शोध पत्र में अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध प्रचरना का प्रयोग किया गया है।

न्यादर्श: प्रस्तुत शोध प्रपत्र में सम्बन्धित मलिन बस्तियों से 100 घरेलू महिला कामगारों का चयन सौद्देश्यपूर्ण दैव निदीर्शन पद्धति के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रपत्र कार्य का अध्ययन क्षेत्र कानपुर महानगर है।

तथ्यों का संकलन:

अनुसूची: शोध प्रपत्र में व्यक्तिगत तथ्यों एवं सम्बन्धित सूचनाओं के लिए अनुसूची प्रविधि को अपनाया गया है।

साक्षात्कार: शोध प्रपत्र में प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

द्वैतीयक तथ्यों के संकलन हेतु पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तको, शोध प्रबंधो आदि का उपयोग किया गया है।

प्रस्तुत अध्ययन में मलिन बस्तियों की महिला कामगार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास की भूमिका का पता लगाने के लिए निम्नलिखित परिवर्त्यों का प्रयोग किया गया है। आयु, शिक्षा, प्रशिक्षण, वेतन, समायोजन, व्यवहार, यौन टिप्पणी पर अध्ययन समग्र से प्राप्त तथ्यों को शोध प्रबन्ध में विभिन्न सारणी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत प्रपत्र में उत्तरदाताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को प्राथमिक दत्तो पर विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

तालिका-1 घरेलू महिला कामगार की शैक्षिक स्थिति (संख्या-100)

क्र०सं०	शैक्षिक स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	शिक्षित	90	90
2	अशिक्षित	10	10
	कुल	100	100

अध्ययन से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अध्ययन समग्र की अधिकांशतः (90 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ शिक्षित पायी गयी, जबकि केवल (10 प्रतिशत) उत्तरदात्रियाँ अशिक्षित पायी गयी। जो उत्तरदात्रियाँ शिक्षित पायी गयी, उनमें (50 प्रतिशत प्राथमिक/जूनियर), (30 प्रतिशत हाईस्कूल), (10 प्रतिशत इण्टरमीडिएट) स्तर की शिक्षा प्राप्त की गयी पाई गयी।

तालिका-2 घरेलू महिला कामगार की प्रशिक्षण सम्बन्धी स्थिति (संख्या-100)

क्र०सं०	घरेलू महिला कामगार का प्रशिक्षण	संख्या	प्रतिशत
1	प्रशिक्षित	72	72
2	अप्रशिक्षित	28	28

	कुल	100	100
--	-----	-----	-----

अध्ययन से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अध्ययन समग्र की अधिकांशतः (72%) उत्तरदात्रियाँ अप्रशिक्षित पासी गयी, जबकि (28%) उत्तरदात्रियों ने किसी न किसी प्रकार का प्रशिक्षण लिया था। जैसे- सिलाई, माला बनाना, अचारबनाना इत्यादि का प्रशिक्षण प्राप्त किया परन्तु किसी भी उत्तरदात्रियों के पास प्रमाणपत्र नहीं था।

तालिका-3 घरेलू महिला कामगार की वेतन से संतुष्टि सम्बन्धी स्थिति
(संख्या-100)

क्र०सं०	वेतन सम्बन्धी स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	असंतुष्ट	83	83
2	संतुष्ट	17	17
	कुल	100	100

अध्ययन से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अध्ययन समग्र की अधिकांशतः (83%) उत्तरदात्रियाँ कार्य के बदले मिलने वाले पारिश्रमिक से असंतुष्ट थी जबकि (17%) उत्तरदात्रियाँ आंशिक रूप से संतुष्ट दिखी जब असंतुष्टि का कारण जानने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि जो यह पारिश्रमिक मिलता है उससे घर का खर्चा नहीं चल पाता है, बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

तालिका-4 घरेलू महिला कामगार की समायोजन सम्बन्धी स्थिति
(संख्या-100)

क्र०सं०	समायोजन की समस्या सम्बन्धी स्थिति	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	80	80
2	नहीं	20	20
	कुल	100	100

अध्ययन से प्राप्त आकड़ों के अनुसार अध्ययन समग्र की अधिकांशतः (80%) उत्तरदात्रियाँ दोहरी समायोजन की समस्या का सामना करती है, बच्चों की देखभाल करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। जबकि (20%) उत्तरदात्रियों के अनुसार समायोजन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।

तालिका-5 घरेलू महिला कामगार की समायोजन सम्बन्धी स्थिति
(संख्या-100)

क्र०सं०	कार्यस्थल पर अभद्र व्यवहार	संख्या	प्रतिशत
1	हाँ	90	90
2	नहीं	10	10
	कुल	100	100

अध्ययन से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अध्ययन समग्र की अधिकांशतः (10%) उत्तरदात्रियों के साथ कार्यस्थल पर सन्तोषपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जबकि (90%) उत्तरदात्रियों के साथ कार्यस्थल पर अभद्र व्यवहार होता हुआ पाया गया, हालांकि वे अभद्र व्यवहारके संबंध में कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी।

निष्कर्ष एवं सुझाव :

अध्ययन से स्पष्ट है कि क्षेत्र के अधिकांश उत्तरदात्रियाँ शिक्षित तो हैं, किन्तु उनकी शिक्षा का स्तर बहुत उच्चकोटि का नहीं है, जिससे वे अपने बच्चों को घर पर शिक्षा दे सकें तथा अधिकांशतः उत्तरदात्रियाँ प्रशिक्षण प्राप्त नहीं थी, जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया भी है उनका प्रशिक्षण अपूर्ण था और किसी के पास प्रमाण पत्र भी नहीं था। ऐसी स्थिति में प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे वे किसी विशेष कार्य को करने में दक्ष हो, साथ ही किसी पंजीकृत प्राविधिक संस्थान से प्रमाणपत्र दिया जाना चाहिए, ताकि वे सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्य की तलाश कर सकें।

अधिकांश उत्तरदात्रियों का मानना था कि परिवार व कार्य के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है जिसका मुख्य कारण घर से कार्यक्षेत्र की दूरी एवं कार्य की अवधि की अनिश्चित स्थिति है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है, कि उनके कार्य की अवधि का निर्धारण किया जाए एंच जहाँ तक सम्भव हो उनके निवास निवास स्थल के आस पास अधिकांश उत्तरदात्रियों का मानना है कि कार्यक्षेत्र में उनके साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार होता है जिससे गाली-गलौज, मार-पीट व यौन शोषण के मामले पाये गये। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाये। यदि उपर्युक्त सुझावों का अनुपालन किया जाता है तो मलिन बस्तियों की कामगार महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। प्रस्तुत अध्ययन इस दिशा में एक अभिनव प्रयास है।

सन्दर्भ

1. कु0 अंकिता, कु0 सुजाता, कु0 निधि, भगत सुनीति, (2019) “मध्यमवर्गीय कामकाजी महिलाओं (आयु 30–45 वर्ष) की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति का उनके जीवन पर प्रभाव पटना शहर के परिप्रेक्ष्य में एक अध्ययन” शोध प्रपत्र, पहना वुमेनस कॉलेज, पटना।
2. सिंह वी0एन एवं सिंह जनमेजय, “ नगरीय समाजशास्त्र” विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर दिल्ली पृष्ठ-138।
3. ई0 श्रम पोर्टल, कुमार राज (2023) “ घरेलू कामगार: मेड कहो या हाउस हेल्प, लेकिन न काम की स्थितियाँ बदली, न व्यवहार 2023
4. ग्लोबल इकनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट
5. शर्मा ज्योति, जून 2022 JETIR “ कामकाजी महिलाओं का असल अर्थ और महत्व (एक विश्लेषणात्मक शोध) ” शोध प्रपत्र, सहायक आचार्य हिन्दी विभाग, एथेम्स महाविद्यालय, हैदराबाद, भारत, ISSN-2349-5162
6. कु0 लक्ष्मी, (2021)“ घरेलू कामगार महिलाओं का समाजशास्त्रीय अध्ययन” शोध प्रपत्र शिक्षिका, शोध छात्रा, स्नातकोत्तर समाजशास्त्र विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार, भारत।
7. किशोर एस0 एवं गुप्ता के “भारत में लैगिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण।
8. शर्मा सुनील, मार्च (2018) “ श्रम मूल्य मे संकट से जूझती कामगार महिलाये।
9. चन्द्रा डॉ0 तूलिका “कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण” एम0के0पी0पी0जी0 कॉलेज, देहरादून।

<http://anubooks.com>

10. त्रिपाठी विनीता (2017) मलिन बस्तियों के निवासियों के बच्चों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का उनके शैक्षिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन “ अप्रकाशित शोध ग्रन्थ, शिक्षा संकाय, सी0एस0जे0एम0यू0 कानपुर, उत्तर प्रदेश।



स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमिता : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन

अनुराधा

प्रोफेसर तेजबहादुर सिंह

सारांश :- भारत गांवों का देश है, बिना गांवों के संपूर्ण विकास के देश की प्रगति होना असंभव है। वर्तमान समय में सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम गांव में चलाए जा रहे हैं जिससे गांव में लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है, किंतु बिना आर्थिक आत्मनिर्भरता के लोग अपने जीवन स्तर में सुधार लाने में असफल हैं। किसी भी देश की प्रगति के लिए महिलाओं का योगदान अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उनके सहयोग के राष्ट्र, देश, राज्य का विकास होना असंभव है। गांव में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वयं सहायता समूह का निर्माण निर्धन व्यक्तियों के छोटे-छोटे समूह से होता है, जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग एक जैसी होती है स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को बचत करने के लिए प्रेरित करते हैं और उस बचत राशि का उपयोग सदस्यों को ऋण प्रदान करने में किया जाता है। महिला उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। देश की ग्रामीण जनसंख्या में लगभग आधा भाग महिलाएं हैं अतः गांव के विकास में महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह ने गरीबी एवं तंगहाली से महिलाओं को बाहर निकाल कर जीवन की चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के द्वारा महिलाओं को रोजगार प्राप्त हुए हैं। महिला उद्यमिता के क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हुते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया है। महिला उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह के योगदान को देखते हुए प्रस्तावित शोध पत्र में "स्वयं सहायता समूह एवं महिला उद्यमिता : एक समाज वैज्ञानिक अध्ययन" को प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यशब्द :- महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, ग्रामीण महिलायें।

प्रस्तावना-- प्रारंभ से ही भारत देश में महिलाओं को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पुरुष पर निर्भर होना पड़ता रहा है। महिलाओं का घर से बाहर निकल कर काम करना अत्यंत कठिन कार्य माना जाता रहा है, यह कार्य अत्यंत मुश्किल था कि महिला घर से बाहर अपना आर्थिक सहयोग पुरुष के सहयोग के बिना दे सके। इसलिए यह हमेशा से रहा है

शोध छात्रा, समाजशास्त्र विभाग पी0 पी0 एन0 कालेज कानपुर

“प्रोफेसर तेज बहादुर सिंह, प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी (उ०प्र०)

कि महिलाओं में अपनी प्रतिभा का विकास नहीं हो पाया है। महिला उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को निखारा है। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारा बल्कि घर परिवार व बच्चों के योगदान में सहयोग दिया है। महिलाएं समूह से जुड़कर अपने आप को आर्थिक आत्मनिर्भरता का स्तर प्राप्त करने में सक्षम हो रही हैं। स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए भावनात्मक रूप से सशक्त बनने में मुख्य कारगर साधन साबित हो रहा है। भारत देश में पिछले कई वर्षों से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम व योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है जिनमें से स्वयं सहायता समूह की संकल्पना को स्वीकार किया गया है। पिछले अनेक वर्षों में स्वयं सहायता समूह की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की संख्या सात करोड़ से अधिक हो गई है। महिलाओं ने विश्व में स्वयं सहायता समूह से अपने आप को जोड़कर आर्थिक आत्मनिर्भरता का स्तर प्राप्त किया है।

स्वयं सहायता समूह अर्थात् अपनी मदद स्वयं करना स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सशक्त बनाने, गरीबी उन्मूलन, जरूरतमंद लोगों के बीच नेतृत्व का गुण विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। स्वयं सहायता समूह संपन्न व वंचित के बीच दूरी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। स्वयं सहायता निर्धन व्यक्तियों का ऐसा समूह है जिसमें लोग स्वेच्छा से जुड़कर अपनी समस्या का समाधान का प्रयास करते हैं इसमें बचत निधि से बचत कुछ न कुछ बचत करके अपने आवश्यकता पूर्ति का सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जिसमें समूह के सदस्य अपने एक जैसे उद्देश्य के लिए एक साथ आते हैं इन समूह के माध्यम से आपस में मिलकर सहयोग करते हैं जैसे - धन जुटाना, व्यवसाय कौशल विकसित करना, आर्थिक स्वायत्ता के लिए बचत करना। यह समूह आपसी सहयोगी नेटवर्क के रूप में कार्य कर रहा है एवं महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में मदद करते हैं। स्वयं सहायता सामाजिक व आर्थिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण साधन साबित हुए हैं। स्वयं सहायता समूह के लिए बांग्लादेश के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनूस का योगदान 1970 के दशक में सर्वोपरि रहा है।

स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं :-

- समान रुचि, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, एकरूपता, सामान व्यवसाय
- स्वयं सहायता समूह में 10 से 20 सदस्य पंजीकृत या अपंजीकृत
- अपना बैंक खाता संचालन समूह के सदस्यों द्वारा होता है
- लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली
- समूह द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की दर निर्धारित

महिला उद्यमिता—महिलाएं राष्ट्र का महत्वपूर्ण मानव संसाधन सदैव से रही हैं उद्यमिता विकसित और विकासशील दोनों देशों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक है क्योंकि यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पिछले दशक के दौरान महिला उद्यमियों को आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण अप्रयुक्त स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है। महिला उद्यमी प्रबंधन के विभिन्न समाधान बनकर अपने और दूसरों के लिए नई नौकरियाँ पैदा करती हैं। आज भारतीय परिदृश्य में जब भारत एक आर्थिक महाशक्ति बनता जा रहा है, हाल के वित्तीय संकट ने देशों को प्रभावित किया है, जिसका महिलाओं के दिमाग पर प्रभाव पड़ा है क्योंकि उन्होंने अधिक कमाने की आवश्यकता को समझ लिया है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों का विकास महिलाओं के विकास के बिना अधूरा है जो कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत हैं। अतः स्वस्थ राष्ट्र निर्माण के लिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं का योगदान आवश्यक है।

महिला उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की भूमिका :-

1. महिलाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है।
2. स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं में सामूहिक सौदेबाजी की क्षमता का विकास किया है।
3. स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं समाज की जागरूक सदस्य बनकर सामने आई हैं।
4. स्वयं सहायता समूह महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में कारगर साधन साबित हुआ है।
5. स्वयं सहायता समूह महिलाओं को सामाजिक व मानसिक समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। जिससे आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है।

शोध अध्ययन के उद्देश्य :-

1. महिला उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करना
2. महिला उद्यमियों की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक दशाओं का अध्ययन करना
3. महिला उद्यमियों को स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद बदलती प्रस्थिति का अध्ययन करना
4. महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन करना
5. ग्रामीण विकास में महिला उद्यमियों की भूमिका का अध्ययन करना

शोध विधि :-

प्रस्तावित शोध अध्ययन द्वितीयक तथ्यों पर आधारित है। महिला उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह की भूमिका के अध्ययन हेतु साहित्य संबंधी पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, विभाग की वेबसाइट, प्रकाशित, अप्रकाशित लेख आदि से तथ्यों को संकलित करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमियों की समस्याएं निम्नवत हैं :-

1. गृह कार्य में व्यस्त होने के कारण समय का अभाव
2. ग्रामीण क्षेत्र की महिला अशिक्षित, अंधविश्वास कुरीतियों से ग्रस्त होने के कारण व्यवसाय नहीं कर पाती हैं।
3. पारिवारिक जिम्मेदारी में व्यवस्तता के कारण व्यवसाय में कठिनाई
4. आर्थिक सहयोग में कमी
5. महिलाओं को दायम दर्जे का मानना
6. यातायात व संचार के साधनों का अभाव
7. पुरुषों पर परनिर्भरता
8. वित्तीय लेनदेन में अपने आपको कमजोर समझना
9. पुरुष प्रधान समाज में अपने अस्तित्व को लेकर कठिनाई.
10. व्यापारिक गतिविधियों को समझने में अपने आप को कम निपुण समझना
11. परिवार व व्यापारिक गतिविधियों में सामंजस्य का अभाव

साहित्य समीक्षा :-

• श्रीवास्तव, रागिनी (2011) ने अपनी पुस्तक "आधुनिक समाज एवं महिलाएं" में बताया है कि आदिकाल से ही महिलाओं को पुरुषों पर आर्थिक रूप से निर्भर बताया जाता रहा है। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं के विरुद्ध हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों से बचाव के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं।

•एन .वी.माधुरी (2018) ने अपने लेख “महिला उद्यमिता सशक्तिकरण का जरिया” में बताया है कि उद्यमिता में स्वयं सहायता समूह के योगदान के बारे में बताया है कि श्रम कार्य में महिलाओं ने अपनी भागीदारी हमेशा से देती रही है एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही है।

•Chitre Kishore (2019) ने अपने शोध पत्र “महिलाउद्यमिताविकासमहिलासशक्तिकरणकाएकमाध्यम”में बताया है कि महिला उद्यमी समाज में अपनी बहुमुखी भूमिका का निर्वाहन करती हैं सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बिना महिलाओं को बढ़ावा दिए किसी भी राष्ट्र का विकास असंभव है।

•शर्मा ,रमा. मिश्रा, एम.के.(2019) ने अपनी पुस्तक “महिला सशक्तिकरण” में नारे के बदलते स्वरूप का वर्णन किया है। महिलाओं ने अपने प्रति चली आ रही परंपरागत सोच को दरकिनार करते हुए अपने आपको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

•पाठक, कुमार .संतोष (2023) ने अपने लेख “कृषि क्षेत्र में बढ़ती महिला उद्यमी” में बताया है कि कृषि के क्षेत्र में महिलाउद्यमीअपनी प्रतिभा के परचम स्थापित कर रही हैं। वर्तमान में 7 करोड़ से भी अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूह में शामिल हुई हैं। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार की योजना को बढ़ावा दिया है।

निष्कर्ष :-

भारत के विकास को ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से ही आगे की ओर ले जाया जा सकता है। वर्तमान समय में महिलाएं पुरुषों के साथ सभी क्षेत्रों में अपना योगदान दे रही हैं। महिलाओं को आगे बढ़ाने में अभी भी सहयोग की आवश्यकता है। महिलाओं की भागीदारी से न केवल वह स्वयं आत्मनिर्भर हुई है , बल्कि सभी को उन्होंने इससे जोड़ा है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद महिला उद्यमिता का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि “यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास अपने आप हो जाएगा।” यह भी कहा जा सकता है कि किसी भी देश के विकास के लिए नारी का आगे बढ़ना अत्यंत आवश्यक है , बिना नारी को आगे बढ़ाये किसी भी देश के सर्वांगीण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह भी सर्वविदित है कि किसी भी सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी स्त्री का हाथ अवश्य होता है। वर्तमान युग महंगाई का युग है बिना स्त्री के सहयोग के अच्छे जीवन के बारे में सोचना कठिन है महिलाएं घर में अपना सहयोग देने के साथ आर्थिक गतिविधियों में पुरुषों के साथ कदम मिलाकर साथ दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमी स्वयं सहायता समूह से जुड़कर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर रही हैं। वर्तमान में महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न उद्यम पुरुषों द्वारा चलाए जा रहे उद्यम की तुलना में अधिक संतोषजनक परिणाम दे रहे हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि महिला उद्यमियों को जो छोटी-छोटी समस्याएं हो रही हैं यदि उनका समाधान कर दिया जाए तो महिला उद्यमियों द्वारा और अधिक सफलतापूर्वक योगदान दिया जा सकता है जिसका प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर दृष्टिपात होगा। महिलाओं की उद्यमशीलता परिवार व समुदाय के आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन एवं स्वयं महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक विकास में योगदान दे सकती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से देश का विकास शीघ्र ही हो जाएगा।

सुझाव :-

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमियों में प्रशिक्षण के माध्यम से इस प्रकार के कौशल का विकास करना चाहिए जिसमें वह अपने घरेलू ,आर्थिक समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इसके साथ ही वह अपनी व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन और अधिक कुशलता से संपन्न कर सके।

स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला उद्यमियों को बचत के महत्व के संबंध में जानकारी प्रदान की जाए जिससे वह समूह से जुड़ी धनराशि को निश्चित रूप से जमा कर सकें।

स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष को प्रेरित करना चाहिए जिससे वह समूह के लिए ली गई निधि को समय से जमा करें और आवश्यकता पड़ने पर धनराशि का ऋण समय से ले सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात व संचार के साधनों का विकास किया जाना चाहिए जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापार की गतिविधियों में निरंतरता आ सके।

महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक जिम्मेदारी व्यवसाय में असामंजस्य का भाव ना हो इसलिए उनको सहयोग देने की आवश्यकता है।

महिलाओं को यह समझना चाहिए कि वे दोगम दर्जे की नहीं है बल्कि परिवार में भी उनका स्थान पुरुषों के समान है।

संदर्भ

- श्रीवास्तव ,रागिनी .(2011)“आधुनिक समाज एवं महिलाएं”. ब्लू स्टार पब्लिकेशंस
- त्रिपाठी, मधुसूदन (2012)“स्वयं सहायता समूह और महिलाएं (self help groups and women) खुशी पब्लिकेशन
- कुमार, मनोज (2014) आधुनिक भारतीय महिलाएं परिवर्तन के दौर में. कोहिनूर पब्लिकेशन
- शर्मा, अर्चना (2018) महिला सशक्तिकरण का आर्थिक व सामाजिक पहलू कुरुक्षेत्र 64 ,(3).58–62
- कुमार, तिवारी. निलेश. गुप्ता, आकांक्षा .(2019) ग्रामीण भारत में गैर सरकारी संस्थाओं , स्वयं सहायता समूह व निजी क्षेत्रों की सार्थक भूमिका” .कुरुक्षेत्र 65, (9) 38–42
- chitrekishore (2019) “महिला उद्यमिता विकास महिला सशक्तिकरण का एक माध्यम “Journal of Emerging technologies and Innovative Research 6(3)394–399
- माधुरी.एन. वी.(2018) “महिला उद्यमिता सशक्तिकरण का जरिया” 62(10). योजना ,17–20
- रमा ,शर्मा .एम.के .मिश्रा (2019) “महिला सशक्तिकरण “ अर्जुन पब्लिशिंग हाउस. अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली
- दीक्षित ,अनुपमा. (2021) “महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूह “ Innovation The Research Concept .6(5)
- पाठक ,कुमार .संतोष (2023). “कृषि क्षेत्र में बढ़ती महिला उद्यमी”कुरुक्षेत्र, 69(9).45–50



खेलों का विद्यालयी शिक्षा में महत्व

बृजेन्द्र कुमार सिंह

भूमिका:— खेलों से तार्किक क्षमता व स्कूल संबंधी कौशलों को विकसित होने में मदद मिलती है। कठिन भूमिकाओं वाले खेलों में बच्चों का अपने व्यवहार को संगठित करने का बेहतर व सुरक्षित अवसर मिलता है जो वास्तविक स्थितियों में नहीं मिलता। इस तरह खेल बच्चों के लिए निकट भविष्य का क्षेत्र बनाते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इससे बच्चों को अपने सामाजिक संबंधों और स्वस्थ आदतों को विकसित करने में भी सहायता मिलती है। इस प्रकार बच्चों के सभी पक्षों के विषय में होने के कारण खेल का बहुत अधिक महत्व है।

उद्देश्य:—खेलों का उद्देश्य निष्पक्ष खेल खेल भावना और दूसरों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना भी है। खेल का उद्देश्य मनोरंजन भी होता है। जिसमें शारीरिक फिटनेस विकसित करना टीमवर्क में सुधार करना और मोटर कौशल को बढ़ावा देना शामिल होता है। हर कोई इस बात से सहमत है कि विकासशील बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधि और फिटनेस महत्वपूर्ण है। यह देखा गया है कि नियमित रूप से स्कूल में खेलो और अन्य शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से बच्चों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सहित कई तरह से मदद मिलती है।

आवश्यकता:—खेल से बच्चों का शारीरिक विकास संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है किंतु अभिभावकों अभिभावकों की खेल के प्रति नकारात्मक सोच एवं क्रियाकलाप ने बुरी तरह प्रभावित किया है, अतः अब यह जरूरी हो गया है की शिक्षक और माता-पिता खेल के महत्व को समझे।

छात्रों के लिए स्कूल में खेल के समग्र लाभ

भारत में शिक्षा बोर्ड के अनुसार यहां उन सभी अच्छी चीजों की एक लंबी सूची है जो आपके बच्चों के साथ होंगी यदि वे खेल खेलते हैं और अन्य नियमित शारीरिक गतिविधियां करते हैं। इसे पढ़ने के बाद आपके पास अपने बच्चों को स्कूल में फिटनेस कार्यक्रम के लिए साइन अप करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा।

1. आत्म सम्मान और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है

कई अध्ययनों से पता चला है कि जो बच्चे स्कूल में खेलों में भाग लेते हैं, उनमें अपने साथियों की तुलना में आत्मविश्वास और आत्म सम्मान का स्तर अधिक होता है। किसी टीम के साथी द्वारा उनकी उपलब्धि पर ताली बजाने, उन्हें हाई-फाई देने या खेल के बाद उनसे हाथ मिलाने से बच्चों के आत्मसम्मान के लिए चमत्कार हो सकता है। कोच, माता-पिता और टीम के साथियों से प्रोत्साहन और प्रशंसा एक खिलाड़ी के आत्म मूल की भावना के लिए चमत्कार करती है।

‘सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेसहूपुर, शिक्षा-क्षेत्र मुजेहना, जनपद, गोंडा।

2. भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है

आप सभी जानते हैं कि स्कूल में खेल, भावनाओं को व्यक्त करने का एक शानदार तरीका है, चाहे आप केवल दर्शक हो या सक्रिय रूप से भाग ले रहे हो। युवा एथलीटों को अपनी बुरी भावनाओं से निपटने और अपने प्रदर्शन में सुधार करने के तरीके सीखने के लिए बहुत सारे अनुभव और फिटनेस में कैरियर वाले कोच की आवश्यकता हो सकती है। जब कम उम्र में सिखाया जाता है तो यह कौशल उन्हें वयस्को के रूप में सामना की जाने वाली कई समस्याओं से निपटने में मदद करेंगे।

3. अनुशासन विकसित करने में मदद करता है

स्कूल में प्रत्येक खेल में मन,शरीर और रणनीति ,अनुशासन आवश्यक है। जब बच्चे खेलों में भाग लेते हैं, तो वे नियमों का पालन करने और अपने प्रशिक्षकों की बात सुनने की आवश्यकता के माध्यम से आत्म नियंत्रण, टीमवर्क और अनुशासन का मूल्य सीखते हैं। अनुशासन सभी सफल लोगों की एक विशेषता है क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता को अधिकतम करने और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है।

4. सामाजिक कौशल विकसित करने में मदद करता है

जो बच्चे स्कूल में खेल खेलते हैं वे सीखते हैं कि वयस्कों,साथियों, प्रशिक्षकों,अधिकारियों और सभी उम्र और कौशल के स्तर के साथियों के साथ कैसे बातचीत की जाए। इसके अलावा, उन्हें नए लोगों से मिलने और समुदाय की भावना विकसित करने का मौका मिलता है। शब्दों और दूसरों के साथ घुलने मिलने के ये कौशल उन्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से मदद करेंगे।

5. धैर्य विकसित करने में मदद करता है

किसी भी प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। जैसा कि कहा जाता है,"अभ्यास परिपूर्ण बनाता है,"लेकिन आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि उस अभ्यास और पूर्णता के लिए क्या आवश्यक है। एथलेटिक्स के माध्यम से युवा दृढ़ता और धैर्य को सीख सकते हैं।

6. दृढ़ता विकसित करने में

स्कूल में खेल के लिए नियमित अभ्यास के समान ही समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण और प्रतियोगिता दोनों में, खिलाड़ियों को उतार-चढ़ाव दोनों का अनुभव होता है। बच्चे प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझना और आगे बढ़ना सीखकर लचीलापन विकसित करते हैं। जो बच्चे कम उम्र में लचीला होना सीखते हैं, वे वयस्कता में तनाव और कठिनाइयों से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार होते हैं।

7. हार स्वीकार करने में मदद करता है

वास्तव में, हर बार शीर्ष पर आना असंभव है। स्कूल में खेल खेलना युवाओं में यह मूल्य पैदा करने का एक शानदार तरीका है। परिणामस्वरूप,युवा लोगों में हार और निराशा पर एक स्वस्थ दृष्टिकोण विकसित होता है। ऐसा करने से उन्हें दोबारा प्रयास करने का आत्मविश्वास मिलता है और असफलताएं उन्हें हतोत्साहित नहीं होने देती। साथ ही, वे इस अनुभव के माध्यम से मैत्रीपूर्ण प्रतिद्वन्दता का मूल भी सिखाते हैं ।

8. एक टीम के रूप में काम करने में मदद करता है

छात्र एक साथ काम करने और अपने साथियों की क्षमताओं के अनुसार खेलने का महत्व सीखते हैं। वे दूसरों की जरूरतों से पहले रखना और अपने आत्ममहत्व की भावना को नियंत्रण में रखना सीखते हैं। जब बच्चे जल्दी सीखते हैं

कि एक टीम के रूप में काम करना कितना महत्वपूर्ण है, तो वे समाज और कार्यबल के सफल सदस्य बनने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होते हैं।

9. नेतृत्व में योग्यता लाने में मदद करता है

जब बच्चे कप्तान होते हैं या कप्तान बनना चाहते हैं, तो वे संचार, टीमवर्क, बलिदान और एक नेता होने के बारे में महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं। वे उन नेतृत्व क्षमताओं को मैदान या कोर्ट के बाहर ले जाते हैं और उनका उपयोग उस तरह के लोग बनने के लिए करते हैं जिनका दूसरे लोग आदर और सम्मान करते हैं।

10. निरंतर अभ्यास की आदत विकसित करने में मदद करता है

स्कूल में खेल स्वस्थ जीवन शैली की आदतों को प्रोत्साहित करते हैं, जिसमें अच्छा खाना और नियमित व्यायाम शामिल है। इसके अलावा यह बच्चों को शारीरिक गतिविधि को इस तरह से महत्व देना सीखना है जो उन्हें वयस्कता में अच्छी तरह से फायदा पहुंचाएगा और किसी भी संभावित स्वास्थ्य समस्या से बचाएगा।

अधिकांश पाठ्यक्रम घर के अंदर पढ़ाए जाते हैं लेकिन स्कूल में स्वास्थ्य शिक्षा और खेल बच्चों को उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के साथ-साथ ताजी हवा और व्यायाम करने की अनुमति देते हैं। खेल अब एक सर्वांगीण शिक्षा के लिए पारंपरिक स्कूली विषयों की तरह ही महत्वपूर्ण है और आज के युवाओं पर उनका प्रभाव गतिविधि से कहीं अधिक है।

संदर्भ

- 1, एनसीईआरटी नई दिल्ली लेख
- 2, इग्नू नई दिल्ली लेख
- 3, रानी लक्ष्मी बाई शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर लेख



महिला सशक्तिकरण को बढ़ाने में आधुनिक रेडियो की भूमिका का वर्तमान परिप्रेक्ष्य

सरस्वती पाठक'

सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिये प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिये समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। महिला का सशक्तिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। किसी भी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी सम्भव है जब महिलाओं को समाज में यथोचित सम्मान व अधिकार प्राप्त हो। उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त हो। सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाएं अपने को आर्थिक रूप से निर्भर, राजनीति में हिस्सेदारी व सामाजिक विकास के लिये आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं तथा अपने अधिकारों, योग्यताओं, जिम्मेदारियों व क्षमताओं के लिये जागरूक होती हैं।

सशक्तिकरण शब्द का सन्धि विच्छेद स + शक्ति + करण है। जिसमें 'स' उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। यह निर्बल से सबल बनने की प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है।

प्राचीन काल से ही भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। भारत में नारी को आदर्श रूप से शक्ति, शक्ति की उत्पत्ति के रूप में देखा जाता है। किसी भी समाज का पूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिला और पुरुष दोनों को विकास के समान अवसर उपलब्ध हों। इसीलिये यह आवश्यक है कि महिलाओं में जागरूकता, साक्षरता, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये समन्वित और संगठित प्रयास हो। वास्तव में आज अधिकांश महिलाओं को अपने संवैधानिक अधिकारों और उनके विकास के लिये बनायी गयी शासकीय और अशासकीय योजनाओं की पर्याप्त जानकारी सामान्यतः पहुंचाने में रेडियो एक महती भूमिका निभा रहा है। इस शोध पत्र में ऐसे ग्रामीण एवं शहरी घरेलू और कामकाजी महिलाओं को लेकर अध्ययन किया है जो रेडियो सुनती हैं और उनसे प्रसारित होने वाले विविध कार्यक्रमों से जानकारी प्राप्त कर अपने जीवन के विभिन्न पक्षों को सुदृढ़ व मजबूत बना रही हैं। रेडियो के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता लायी जा रही है—

- (1) महिलाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहारों के विषय में जागरूकता पैदा करना।
- (2) महिलाओं को सामाजिक रूकावटों को दूर करके सुदृढ़ होना।
- (3) महिला समूहों को सशक्त बनाना, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
- (4) महिलाओं में शिक्षा का प्रसार।
- (5) दैनिक जीवन में महिलाओं को खान-पान व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना।

'शोधार्थिनी, समाजशास्त्र विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री पी.जी. कालेज, गोण्डा।

रेडियो के माध्यम से महिला सशक्तिकरण हेतु रणनीतियाँ—

महिलाओं को ध्यान में रखते हुये रेडियो द्वारा कार्यक्रम बनाते समय कुछ बिन्दुओं को विशेष ध्यान रखा जाता है—

- (1) कार्यक्रमों को प्रसारित करने के उद्देश्य भिन्न-भिन्न हैं, ये कार्यक्रम महिलाओं के ज्ञान को बढ़ाते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय लेने के लिये समीक्षात्मक एवं विप्लेष्णात्मक योग्यताओं का विकास करते हैं। वही दूसरे स्तर पर उनको कौशल आधारित कार्यक्रम उन्हें व्यवसाय के लिये प्रशिक्षित करता है और उनमें जागरूकता पैदा कर उन्हें सक्रिय बनाता है।
- (2) जनजातीय से ग्रामीण और शहरी से ग्रामीण, विभिन्न आय स्तरों से सम्बन्धित विशेष साक्षरता एवं शिक्षित महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का प्रसारण होता है।
- (3) वे कार्यक्रम जो महिलाओं के लिए ही हैं और उनमें महिलाएं और महिलाओं के सम्बन्ध के मुद्दे में कार्यरत व्यक्ति शामिल हैं।
- (4) वे कार्यक्रम जो महिलाओं का मनोरंजन करते हैं और जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर आय के अवसरों को बढ़ाते हैं।
- (5) जागरूकता कार्यक्रम, संगोष्ठियों, लोकगीत और ऐसे कार्यक्रम जिनमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कराते हैं, जिससे महिलाओं को जीवन और उनके सामाजिक मुद्दों को बेहतर बनाया जा सके।

उद्देश्य—

- 1— ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में रेडियो की भूमिका का अध्ययन करना।
- 2— महिलाओं में सशक्तिकरण के लिये प्रसारित रेडियो कार्यक्रमों की प्रकृति और महत्व को समझना।
- 3— महिला सशक्तिकरण में रेडियो के प्रभाव का विश्लेषण करना।

परिकल्पना—

- 1— रेडियो, ग्रामीण महिलाओं को सशक्तिकरण के प्रति जागरूक करने में सहायक है।
- 2— रेडियो, शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाता है।

विधि—

गोण्डा जिले को इस अध्ययन के लिए चिन्हित किया गया है यह शुद्ध रूप से एक आनुभाविक शोध है। जिसका आंकड़ा गोण्डा जिले के पांच गांव से 50 महिलाओं को लिया गया है। जो प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़े विभिन्न जर्नल्स और समाचार पत्र तथा पत्रिकाओं से लिये गये हैं।

निरीक्षण—

कुल 50 महिला प्रतिभागियों को पांच गांवों से इस अध्ययन में यादृच्छिक आंकड़ों के रूप में शामिल किया गया है— (1) भटवलिया (2) इन्द्रापुर (3) तुर्काडिहा (4) तुरकौलिया (5) तेलियानी पाठक — 10 महिलायें अशिक्षित हैं। पांच महिलायें — प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हैं तथा 35 उच्च शिक्षित हैं। अध्ययन में शामिल सभी महिलायें 30-30 उम्र के बीच की है तथा 20 महिलायें संयुक्त परिवार में रहती हैं। तथा 30 महिलायें एकल परिवार की अध्ययन में इन 50 महिलाओं के समूह में शामिल की गयी हैं। इन सभी महिलाओं में 20 महिलाओं के पास रेडियो और 30 महिलाओं के पास मोबाइल फोन BSNL, Airtel और Vodaphone अपना है।

रेडियो की भूमिका—

आकाशवाणी (AIR)(आसमान से आवाज) यह भारत का राष्ट्रीय सार्वजनिक रेडियो प्रसारण है और प्रसार भारती का एक प्रभाग है। इसकी स्थापना 1936 ई. में हुयी थी। यह प्रसार भारती के दूरदर्शन, एक भारतीय टेलीविजन प्रसारक की सहयोगी सेवा हैं इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में है। इसमें नाटक अनुभाग, F.M.अनुभाग और राष्ट्रीय सेवा है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन में है। इसमें नाटक अनुभाग, एफ एम अनुभाग और राष्ट्रीय सेवा है। यह प्रसारित भाषाओं की संस्था, सामाजिक, आर्थिक विविधता की सीमा और इसके प्रसारण संगठन के आकार के संदर्भ में आकाशवाणी दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क है। आकाशवाणी की घरेलू सेवा में देश भर में स्थित 420 स्टेशन शामिल हैं, जो देश के लगभग 92 प्रतिशत क्षेत्र और कुल आबादी के 99.19 प्रतिशत तक पहुंचती है। 23 भाषाओं और 179 बोलियों में प्रोग्रामिंग की शुरुआत करता है।

रेडियो की शुरुआत ब्रिटिश काल में प्रसारण जून 1923 में बाम्बे प्रेसीडेन्सी क्लब और अन्य रेडियो क्लबों के कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। 23 जुलाई 1927 को एक समझौते के अनुसार निजी इण्डियन ब्राड कास्टिंग कम्पनी लिमिटेड (IBC) को दो रेडियो स्टेशन संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था : मुंबई स्टेशन जो 26 अगस्त 1927 को शुरू हुआ। 01 मार्च 1930 को परिसमापन में सरकार ने प्रसारण सुविधाओं को अपने कब्जे में लिया। 01 अप्रैल 1930 को दो साल के लिए प्रयोगात्मक आधार पर भारतीय राज्य प्रसारण सेवाएं (ISBS) शुरू की, और मई 1932 में इसे समाप्त कर दिया और स्थायी रूप से यह आल इण्डिया रेडियो बन गया।

सन् 1947 ई. में आजादी के बाद A.I.R.नेटवर्क में केवल छः स्टेशन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली थे। अगस्त 1947 में आल इण्डिया रेडियो ने अपनी पहली महिला समाचार वाचक सर्देदा बानों को नियुक्त किया जो उर्दू में समाचार पढ़ती थी। 03 अक्टूबर 1957 को विधिक भारती प्रसार सेवा शुरू की गयी। F.M.प्रसारण 23 जुलाई, 1977 को चेन्नई में शुरू हुआ और 1990 के दशक में इसका विस्तार हुआ। विविध भारती से प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों में हवा महल उपन्यासों और नाटकों पर आधारित रेडियो-संतो-जन की महफिल नाटक-कामेडी, आज के फनकार- एक फिल्म कलाकारों के जीवन और कार्यों का वर्णन छायागीत में त्रुटिहीन पटकथा के साथ उद्घोषक के पासन्द के गीत।

ऑल इण्डिया रेडियो की बाहरी सेवाएं उच्च शक्ति शार्ट वेव रेडियो प्रसारण के माध्यम से भारत के बाहर के देशों में 27 भाषाओं में प्रसारित की जाती है। बाहरी सेवायें 16 विदेशी और 11 भारतीय भाषाओं में प्रसारित होती है।

आज ऑल इण्डिया रेडियो का वाह्य सेवा प्रभाग प्रतिदिन 57 प्रसारणों के साथ लगभग 72 घन्टे या प्रोग्रामिंग के साथ 27 भाषाओं में 108 से अधिक देशों को कवर करता है, जिनमें से 15 विदेशी और 12 भारतीय है।

ऑल इण्डिया रेडियो ने 25 फरवरी, 1998 को नई दिल्ली में समाचार और फोन सेवा शुरू की। आकाशवाणी पर वृत्तचित फीचर प्रसारित करने की एक लम्बी परम्परा हैं नाटकों का राष्ट्रीय प्रसारण A.I.R.की केन्द्रीय नाटक इकाई द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय नाटक कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक नाटक 22 भाषाओं में निर्मित होता है और सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नेटवर्क स्टेशनों द्वारा एक ही समय में प्रसारित किया जाता है। रेडियो के सभी कार्यक्रम विभिन्न चैनलों पर प्रसार भारती के एप द्वारा वर्तमान में मोबाइल पर भी सुने जा सकते हैं, रेडियो का मोबाइल स्वरूप महिलाओं को उनके कार्य स्थल सफर और रसोईघर तक रेडियो के कार्यक्रमों के करबी रखे है जो कि रेडियो का आधुनिकतम रूप है।

आकाशवाणी लखनऊ की शुरुआत 02 अप्रैल, 1938 को हुई इसे मीडियम वेव के 747 किलोहर्टज पर सुना जा सकता है। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों कृषि कार्यक्रम, महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम, मनोरंजन

कार्यक्रम और विधिय अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम गोण्डा जनपद के ग्रामीण महिलाओं में ज्ञान का प्रसार कर उन्हें सशक्त और जागरूक कर रहे हैं।

- (1) कृषि कार्यक्रम
- (2) स्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम
- (3) कानूनी कार्यक्रम
- (4) सरकारी योजनाओं की जानकारी का कार्यक्रम
- (5) मनोरंजन कार्यक्रम

1-कृषि कार्यक्रम (खेती किसानी, कृषि व पशुपालन सम्बन्धी):-

अध्ययन क्षेत्र की आधे से अधिक महिलायें सीधे कृषि से या इसके सहयोगी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। आकाशवाणी रेडियो कृषि कार्यक्रमों का प्रसारण कृषि विशेषज्ञों के द्वारा करता है। आकाशवाणी रेडियो लखनऊ **“खेती किसानी”** कार्यक्रम प्रतिदिन 06:30 मिनट सांय पर प्रसारित करता है। जिसमें कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कृषि की उन्नत तकनीक, फसलों में रोग प्रबंधन व संरक्षण आदि विषयों पर गहन जानकारी प्रदान करते हैं। प्रत्येक बुधवार को **“हैलो किसान फोन-इन”** कार्यक्रम प्रसारित होता है। जिसमें किसान अपनी कृषि समस्याओं और पशुपालन सम्बन्धी समस्याओं को सीधे कृषि विशेषज्ञों से प्रश्न पूछकर उसका हल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम कैसे कृषि कर्म करें, उर्वरकों का प्रयोग, बीज का चयन, कीटनाशकों का प्रयोग, फसल विशेष प्रबंधन, पशुपालन, पशुओं के रोग, टीकाकरण आदि कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित अन्य क्षेत्रों की जानकारी प्रदान की जाती है। जिससे महिलायें कृषि क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करती है और कृषि क्षेत्र में स्वयं को आत्मनिर्भर बना रही है।

2- स्त्री स्वास्थ्य कार्यक्रम:-

आकाशवाणी रेडियो स्त्री स्वास्थ्य से सम्बन्धित कार्यक्रम प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सको द्वारा प्रसारित करता है स्त्री रोग और स्वास्थ्य जैसी समस्यायें महिलाओं में किशोरवस्था से वृद्धावस्था तक होना सामान्य हैं इसके लिए रेडियो के कार्यक्रमों के माध्यम से स्त्रियों का बेहतर स्वास्थ्य कैसे प्राप्त हो से सम्बन्धित संदेश प्रदान करता है। **“सजीव फोन-इन कार्यक्रम”** के माध्यम से महिला चिकित्सकों से सीधे अपने स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्न पूछकर अपनी समस्याओं का निराकरण प्राप्त करती हैं। महिला पोषण सम्बन्धी समस्याओं के लिए उचित कैलोरी का आहार के लिए क्या करें, सम्बन्धी जानकारी कार्यक्रम के द्वारा दी जाती है।

स्वास्थ्य कार्यक्रम-आंगनबाड़ी दोपहर 11:15 बजे द्वारा महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर निर्भर बना रहा है।

3- कानूनी कार्यक्रम:-

आकाशवाणी रेडियो कानूनी जानकारियों का कार्यक्रम समय-समय पर प्रसारित किये जाते हैं। जिसमें वरिष्ठ वकील और जज या विधि में क्षेत्र के विशेषज्ञ जानकारी देते हैं। सजीव कार्यक्रमों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनकी समाज में स्थिति में सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार, अभिभावक और शादी सम्बन्धी अधिकार, लैंगिक समानता, पूर्वजीव सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार आदि से सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है। रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में **“कानून की बात”** शाम 7.31 बजे **“अपराजिता”** दोपहर 01.15 बजे से लखनऊआकाशवाणी से प्रसारित होते हैं।

4- सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी:-

आकाशवाणी रेडियो द्वारा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से महिलाओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम लोकायता सायं 06.30 से 06.50 में सरकार द्वारा संचालित होने वाली योजनाओं के विषय में लाभप्रद जानकारी सरकारी एजेन्सियों में यापित विशेषज्ञों द्वारा दी जाती है। जिससे ग्रामीण व शहरी महिलाओं में जागरूकता ला रही है। और सशक्त हो रही है तथा आर्थिक क्षेत्र में बैंकों से कर्ज व सब्सिडी आदि की जानकारी प्राप्त कर रही है।

5- **गृह सज्जा, पाक विधि सम्बंधी कार्यक्रम:-**

महिलाओं को घर की देखभाल करने व व्यंजन बनाने, सीखना सम्बंधी कार्यक्रम “घर आंगन” दोपहर 01:15 बजे आकाशवाणी लखनऊ द्वारा प्रसारित होते हैं। इस प्रकार से महिलायें अपने घर को स्वच्छ, सुन्दर और खुशहाल बनाने के तरीके सीख रही हैं।

6- **मनोरंजन सम्बंधी कार्यक्रम:-**

महिलाओं को घर के कार्यों व कार्यस्थल की थकान को मिटाने के लिये रेडियो द्वारा विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं। “भूले-बिसरे तराने” प्रातः 07.00 बजे एफ.एम. द्वारा “विविधा” 07:10 प्रातः जिनमें स्वस्थ मनोरंजन द्वारा महिलायें अपने को तरो-ताजा महसूस करती हैं।

निष्कर्ष

रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से कृषि क्षेत्र में जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को उन्नत तकनीकी की जानकारी मिलती है। जिससे वे अपनी कृषि आय को और बढ़ाकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती हैं। स्वास्थ्य सम्बंधी कार्यक्रम, स्त्री रोग सम्बंधी विषय की जानकारी से महिलायें स्वच्छता और अपनी देखभाल, संतुलित आहार और उचित कैलोरी की प्राप्ति के साथ ही बच्चों की देखभाल और गर्भावस्था के समय की देखभाल आदि जानकारी प्राप्त कर जागरूक हो रही हैं। दिन भर की थकान के वातावरण से सुखद मनोरंजन के लिये भी महिलायें नाटक, कहानी और लोकगीत सुनकर अपने को पुनः ताजा करने के लिये रेडियो कार्यक्रमों को सुनती हैं। महिलाओं को लैंगिक समानता तथा कार्यस्थल पर भेदभाव व घरेलू हिंसा सहित अनेकों कानूनी मुद्दों तथा अपने अधिकारों की जानकारी रेडियो के कार्यक्रमों से मिलती है। जिसे वह जानकर लाभ उठा रही हैं। रोजगार के अवसर व आर्थिक सहायता के लिये सरकारी योजनाओं और बैंकों से मिलने वाले ऋण सम्बंधी जानकारी भी रेडियो के विभिन्न कार्यक्रमों से प्राप्त कर महिलायें सशक्त और आत्मनिर्भर बन रही हैं। रेडियो के सभी कार्यक्रम विभिन्न चैनलों पर प्रसार भारती के एप द्वारा वर्तमान में मोबाइल पर भी सुने जा सकते हैं, रेडियो का मोबाइल स्वरूप महिलाओं को उनके कार्य स्थल सफर और रसोईघर तक रेडियो के कार्यक्रमों के करबी रखे है जो कि रेडियो का आधुनिकतम रूप है। इस प्रकार से रेडियो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

सन्दर्भ

1. हुसैन अनवर, 2015 महिला संगठन एवं समाज, रिनू पब्लिकेशन्स प्लेट नं. 28, सीतारामपुरी, आमेर रोड, जयपुर।
2. मिश्र, रोहित, 2011, समाजकार्य एवं महिला सशक्तिकरण, न्यू रॉयल बुक कम्पनी, प्रथम तल, शाह ट्रेड सेन्टर, 32116, वाल्मीकि मार्ग, लालबाग, लखनऊ।

3. कार्यस्थलों पर भेदभाव से संघर्ष : प्रगति में बाधा, श्रम (आई.एल.ओ. की पत्रिका) संख्या 43, दिसम्बर 2011, पृष्ठ 191
4. अरोड़ा, डॉ.हरिश, 2012, जनसंचार, युवा साहित्य, चेतना मण्डल, दिल्ली।
5. शर्मा, प्रेम नारायण एवं अन्य 2008 महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, भारत बुक सेन्टर, लखनऊ।
6. दूबे श्यामचरण 1997, विकास का समाजशास्त्र, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
7. सहाय सुषमा 1993, वूमन एण्ड एम्प्लायमेंट, आशीष पब्लिसिंग, नई दिल्ली।
8. आहूजा राम, 2010 सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन, सत्यम अपार्टमेन्ट, सेक्टर-3, जवाहर नगर, जयपुर।
9. आकाशवाणी लखनऊ के (महिला अनुभाग) कार्यक्रम अधिशाषी से वार्ता पर आधारित जानकारी।



पण्डित नेहरू की विदेश नीति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संतोष कुमार'

प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह''

प्रत्येक राष्ट्र की विचारधारा अथवा उसके कार्यों का सम्बन्ध उसके अतीत, संस्कृति, परम्पराओं और उसकी आस्था से जुड़ा होता है, भारत की स्थिति भी कुछ ऐसी ही हैं। भारत की विदेश नीति में कौटिल्य जैसे यथार्थवादी विद्वान, सम्राट अशोक की भाइचारे और शांति, महात्मा गांधी जी के दर्शन तथा पण्डित नेहरू का महान चिंतन व कार्य शामिल है। विदेश नीति अंतरराष्ट्रीय सम्बंधों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका निभाती है। हजारों वर्षों से विकसित भारतीय सभ्यता व संस्कृति, बौद्ध और गांधी दर्शन, स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन आदि तत्वों तथा घटनाओं का भारतीय विदेश नीति से गहरा सम्बन्ध है। भारत इस मायने में सौभाग्यशाली रहा कि बीसवीं शताब्दी में देश के महान नेता हुए, जिन्होंने ने इसकी समृद्ध विरासत और सहस्रवर्षीय बुद्धिमत्ता से इसे सफलतापूर्वक दिशा प्रदान की। महात्मा गांधी का स्वतंत्रता आन्दोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित भारत की मूल्यवान शान्ति परंपरा और शांतिपूर्ण तरीके से राजनीतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। उन्होंने भारत के साथ विश्व को भी शान्तिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के माध्यम से सहमति का रास्ता अपनाने का मार्ग दिखाया साथ ही उन्होंने राजनीतिक सम्बन्धों से सेना को तटस्थ रहने का सुझाव दिया। उन्होंने मानवाधिकारों की सार्वभौमिकता और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, भय तथा हिंसा से मुक्त जीवन और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना पर बल दिया।

विदेश नीति किसी देश के दृष्टिकोण, क्रिया-कलापों व उद्देश्यों को दर्शाती है, जो वह अपने समकक्षों के साथ संबंध स्थापित करते समय अपनाता है। विदेश नीति से घरेलू स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित होती है साथ ही घरेलू स्थिति का प्रभाव विदेश नीति पर भी पड़ता है। विदेश नीति राष्ट्रीय हित के संवर्धन का कार्य करती है।

“विदेश नीति का सम्बन्ध राज्य के उस व्यवहार से है, जो वह अन्य राज्यों के साथ करता है।”¹ राष्ट्रों का आपस में राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य, शिक्षा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में सम्बन्ध होता है। एक-दूसरे का सम्बन्ध मित्रता-शत्रुता या उदासीन भी हो सकता है। विदेश नीति के माध्यम से प्रत्येक राज्य यह कोशिश करता है कि उसका सम्बंध अन्य राज्यों के साथ ठीक रहें ताकि उस राज्य के लिए लाभकारी हो।

प्रोफेसर महेन्द्र कुमार ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुये कहा कि- अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक देश अन्य देशों की गतिविधियों का अधिकतम लाभ उठाना चाहता है।² वाल्टर लिपमेन-“विदेश नीति राष्ट्र के प्रतिबद्धताओं एवं राष्ट्रशक्ति के मध्य संतुलन लाने के प्रयास को कहते हैं।”³

‘शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।

‘प्राचार्य, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़, उ० प्र०।

स्वतंत्रता के पूर्व भारत के पास कोई नीति नहीं थी, क्योंकि भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था लेकिन भारतीय इतिहास में जाने पर पता चलता है कि भारत का दूसरे राज्यों के साथ अच्छे संबंध थे। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति का प्रतिपादन पण्डित नेहरू ने किया। नेहरू भारत की विदेश नीति के सूत्रधार हैं। माइकल ब्रेचर के अनुसार "नेहरू विश्व के सामने अपने देश की आवाज थे। वे शेष दुनिया के साथ अपने देश की नीति के दार्शनिक, निर्माता और मंत्री थे। अन्य किसी देश में कोई व्यक्ति विदेश नीति के निर्माण में इतनी प्रभावक भूमिका अदा नहीं करता जितना नेहरू भारत में करते हैं"⁴ पण्डित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में भारत की विदेश नीति का 1947 से 1964 तक प्रतिपादन किया। लोकसभा में 1958 में विदेश मामलों पर चर्चा के उत्तर में उन्होंने कहा था— "हमारी नीति को "नेहरू नीति" कहना बिल्कुल गलत है। यह इसलिए गलत है क्योंकि मैंने केवल इतना किया है कि उस नीति को अभिव्यक्ति दी है। मैंने इसका सृजन नहीं किया है। यह नीति भारतीय परिस्थितियों, भूतकालिक हिसाब, भारत के सम्पूर्ण मानसिक दृष्टिकोण, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान भारतीय मन के अनुकूलन और विश्व की आज की परिस्थितियों में समाविष्ट है। यह केवल संयोग की बात है कि उन वर्षों के दौरान विदेश मंत्री के रूप में मैंने उस नीति का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के विदेशी मामलों का प्रभारी जो भी होता और भारत में चाहे जो भी दल सत्ता में होता, वह भी लगभग इसी नीति का अनुपालन करता"।

नेहरू के उपर्युक्त अभिव्यक्ति के बावजूद इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत की विदेश नीति को मूलभूत आधार रखने का श्रेय पण्डित नेहरू को जाता है। उन्होंने भारत के विदेश नीति को बतौर नवोदित राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय परंपराओं और आधुनिक विचारधारा के साथ तय किया। यह काम उस दौर में बहुत ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दुनिया में गुटबंदी और तनाव बढ़ रहा था। पण्डित नेहरू की ऐतिहासिक ताकतों के बारे में ज्ञान और एक राजनीतिज्ञ के रूप में विकसित तीक्ष्ण बुद्धि की झलक उनके इस काम में झलकती है। पर्याप्त परिवर्तनों के बावजूद भी उनके निधन के 58 वर्ष बाद भी वे सिद्धान्त भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करते हैं। पण्डित नेहरू का प्रधानमंत्री के रूप में विदेश नीति के व्यापक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण कारक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विश्व संबंधी मामलों पर भारतीय पक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विश्व संबंधी मामलों पर पक्ष रखती थी इसी क्रम को आगे भी जारी रखा गया। कांग्रेस के शुरुआती दौर में अभिरुचि का क्षेत्र सीमित था लेकिन पण्डित नेहरू के समय में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस का विश्व संबंधी मामलों पर स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित हो गया था। महाशक्तियों के झगड़े और प्रतिस्पर्धा से अलग करना तथा एक स्वतंत्र मार्ग का विकास करना जो कि स्वतंत्रता और शक्ति के समर्थन पर आधारित था। पण्डित नेहरू ने ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रों की ओर से कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसी समय से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के प्रतिनिधि बनके उभरे। कांग्रेस अपनी रॉय विश्व संबंधी सभी मुद्दों पर रखती थी तथा विश्व संबंधी सभी समस्याओं का हल भी प्रस्तुत करती थी और इस सबका मसौदा पण्डित नेहरू द्वारा ही तैयार किया जाता था उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को हमेशा रुचिकर ढंग से लिया, कभी भी नरमी नहीं बरती। इसलिए यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में विकसित हुए दृष्टिकोण का प्रभाव भी उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद पड़े।

पण्डित नेहरू ने सर्वप्रथम स्वतंत्रत विदेश नीति का प्रतिपादन 1946 में किया जब वे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के विदेशी मामलों के सदस्य थे। भारत अब उस पुरानी विदेश नीति से मुक्त हो गया था। तथा उसका क्षेत्र भी विस्तृत हो गया था अब भारत दूसरे देशों के साथ स्वतंत्र संबंध स्थापित कर सकता था, शांति स्थापना के लिए प्रयास कर सकता था, रूस के साथ भी अब नये संबंध स्थापित कर सकता था। विश्व व्यवस्था पर भी बोल

सकता था तथा अन्य औपनिवेशिक राष्ट्रों के पक्ष में भी उन्हें दासता से मुक्ति के लिए भी प्रयास करना था। भारत को अब अपने संबंध नये सिरे से बनाना था तथा प्रत्येक देशों में अपने राजदूत की नियुक्ति करनी थी जहां से भी राजनायिक संबंध कायम हो रहे थे। ब्रिटेन के साथ संबंध संविधान से निश्चित होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र में पूरी तरह से भाग लेगा। भारत की जनता अब दुनिया के साथ संबंध कायम करने के लिए एक विदेश सेवा की स्थापना भी करेगी। सितम्बर 1946 में रेडियों पर राष्ट्र के नाम एक संदेश में पण्डित नेहरू ने भारतीय विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा था कि— “हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, अपनी नीति के अनुसार पूरी भागीदारी करेंगे। हम किसी अन्य राष्ट्र के पिछलग्गू के रूप में किसी सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। हमें आशा है कि अन्य राष्ट्रों के साथ प्रत्यक्ष और नजदीकी संबंध स्थापित करेंगे तथा विश्वशांति एवं स्वतंत्रता के अभिवृद्धि के लिए उनके साथ सहयोग करेंगे। हमारी विशेष इच्छा है कि औपनिवेशिक तथा पराधीन देशों और लोगों का उद्धार हो और सिद्धान्त तथा व्यवहार दोनों में सभी जातियों के लोगों को समान अवसर प्राप्त हो।”⁵ पण्डित नेहरू के इस सम्बोधन से स्पष्ट था कि वे स्वतंत्र विदेश नीति, औपनिवेशिक तथा पराधीन देशों की स्वतंत्रता, जातीय सामनता तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ाना देना चाहते थे।

आजादी के समय में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऐसी नीति अपनायी थी जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय जाल से बचते हुए वह नियोजित परिवर्तन के भारी-भरकम कार्यभार को अंजाम दे सके। नेहरू किसी विचारधारा के अति के साथ नहीं गये बल्कि जब दुनिया विचारधारा के नाम पर गुटों में बट रही थी तब नेहरू ने एक ऐसी विदेशनीति को सूत्रबद्ध किया जिसका मकसद भारत को एशिया और अफ्रिका के नवस्वाधीन देशों के बीच नेतृत्वकारी हैसियत दिलाना था। परिणामस्वरूप एक ऐसी विदेशी नीति सामने आयी जिसका उद्देश्य तीन लक्ष्यों को वेधना था। पहला सम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोध पर जोर देते हुए महाशाक्तियों के टकराने में अक्षम देशों की स्वायत्तता की गारंटी करना। दूसरा शाक्ति-ध्रुवों का जमकर विरोध करते हुए संयुक्त राष्ट्र के फैसलों के जरिये की जानेवाली प्रभुत्व की होड़ को मर्यादित करना। तीसरा, उत्तर अफ्रीका से इण्डोनेशिया तक के इलाके को बड़ी ताकतों की होड़ से बचाना। इसी मकसद के लिए नेहरू ने अपनी पहली राजनयिक कार्यवाही के तौर पर एशियाई काफ़्रेस की और फिर अफ़्रो-एशियाई सम्मेलनों का सिलसिला कायम किया।

भारत को आजादी के बाद अपनी विदेश नीति को पूरी तरह स्पष्ट और विस्तृत करना था। 4 दिसम्बर 1947 को संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू जी ने “परराष्ट्र और राष्ट्र-मण्डल संबंध मंत्रालय” शीर्षक अनुदान में चर्चा पर कटौती प्रस्ताव के समय महत्वपूर्ण भाषण दिया उन्होंने कहा कि— सदन के लिए यह अद्भूत अवसर है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहें हैं किसी सम्मेलन आदि में जाकर ही नहीं, बल्कि सदन के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों को रखकर भी। पं० जवाहरलाल नेहरू ने यह स्वीकार किया कि परिस्थितियों के कारण सरकार वह सब कुछ नहीं कर सकी, जो सब किया जा सकता था। हम अभी आंतरिक व अन्य कठिनाईयों से नहीं उबरे हैं और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर हमारे हाथ खुले नहीं हैं। इसलिए मेरा सदन से विनम्र निवेदन है कि सदन इस कालावधि के बारे में देश में जो कुछ हो रहा है, उसके संदर्भ में अपना मद निश्चित करे। उन्होंने कहा इतना सब कुछ के बावजूद हम, इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि भारत से एक स्वतंत्र प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में भाग लेने गया और उसने वहां स्वाधीनतापूर्वक काम किया। यह बहुतों को पंसद नहीं आया तथा दुनिया को यह संदेश गया कि भारत किसी भी गुट के साथ बंधा नहीं है और स्वाधीन रूप से तथा अपने विचारों के अनुसार कार्य करने का प्रयास कर रहा है। इस बात को स्वीकार किया गया कि स्वतंत्र नीति अपनायी जा रही है, जैसे कि फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत ने स्वायत्ता प्राप्त इकाइयों वाले एक संघीय राज्य बनाये जाने की वकालत की, जब समय या तो विभाजन का समर्थन कर रहा था या

एकांकी राज्य का। लेकिन भारत का सुझाव संयुक्त राष्ट्र के अधिकांश प्रतिनिधि मण्डल को पसंद नहीं आयी और जब विभाजन अनिवार्य होता दिखाई पड़ा तो एकांकी राज्य के पक्षकारों ने भारतीय प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अंत में विभाजन अनिवार्य हो गया। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान उतार-चढ़ाव में भारत अपने प्रस्ताव पर अडिग रहा और बाद में वही प्रस्ताव ही विकल्प बचा। पर इसका स्वाभाविक अर्थ यह हुआ कि भारत को अपनी नाव अकेली ही खेनी होगी। 'हम लोगों ने किसी एक-दूसरे के गुट में शामिल न होकर विदेशी जंजालों से बचने की कोशिश की है।' इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि इनमें से कोई गुट हमें अच्छा नहीं मानता, इसका परिणाम यह होता है, जैसा कि फिलीस्तीन के मुद्दे पर हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ में और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में हमें अपना हल अकेले लेकर चलना पड़ता है फिर भी यही सम्मानजनक और उचित कदम है। अंततोगत्वा हमारी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी हम आज की स्थिति को दूरदृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखें कि इस अल्पकालीन दृष्टि से हमको एक मत इधर मिल जाए या उधर मिल जाए। बहुत जल्दी दो या तीन वर्षों में विश्व को यह पता लग जाएगा कि भारत का यह दृष्टिकोण न्यायोचित है। विश्व में सत्ता के संघर्ष में जो बड़े भागीदार हैं वही नहीं बल्कि बहुत से छोटे राष्ट्र भी जो आज असहाय हैं, भारत का सम्मान करेंगे और संभवतः ऐसे प्रश्नों में नेतृत्व के लिए अन्य देशों की अपेक्षा भारत की ओर देखेंगे। आज के समय में विदेशी मामले नितांत ही यथार्थवादी हैं। कोई एक भी गलत कदम उठा लिया गया या कोई एक गलत जुमला बोला गया जो उससे एकदम फर्क पड़ सकता है। हम लोगों को यह धारणा छोड़ देनी चाहिए कि यह कुछ शरारती लोगों का खेल मात्र है और वे एक-दूसरे से लड़ रहे हैं। पर्दे के पीछे अमरीका, रूस या ब्रिटिश साम्राज्य के कुछ राजनेता सक्रिय हैं। विषय पर पकड़ मजबूत करने के लिए हमें आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य विविध पहलुओं को समझने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि अंततोगत्वा वही कोई अर्थ रखते हैं। कोई भी नीति हो देश के लिए विदेशी मामलों के संचालन की कला इसमें निहित है कि इसका पता लगाया जाय कि देश के हित में क्या है। कोई भी शांति, स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय सद्भावना की बातें कर सकता है, पर अंतिम विश्लेषण करने पर पता चलता है कि सरकार उस देश के भलाई के लिए काम करती है जिसपर वह शासन करती है। कोई भी सरकार ऐसे काम करने का साहस नहीं कर सकती, जो देर-सबेर स्पष्टतः देश का अहित करते हो। कोई भी देश चाहे साम्राज्यवादी हो समाजवादी हो या साम्यवादी, उसका विदेशमंत्री मुख्यतयः उस देश के हितों का ही विचार करता है। हां एक फर्क है, कुछ लोग संभवतः अन्य परिणामों की अनदेखी कर या सीमित दृष्टिकोण अपनाकर अपने देश के हितों का विचार करें। यदि हमारी एक संकीर्ण राष्ट्रीय नीति हो तो यह संभव है कि उस समय हम भीड़ को उत्तेजित कर ले, परन्तु यह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों ही दृष्टि से अहितकार है। हमारी नीति यह है कि अन्य देशों के साथ हम तब मित्रता के घनिष्ठ संबंध रखें जब तक वे स्वयं कठिनाईयां पैदा न करें। हम अमरीका के मित्र होंगे और रूस के साथ पूरी तरह से सहयोग करेंगे। स्वभावतः भारत एशियाई देशों में विश्व के अन्य देशों से कहीं अधिक रुचि रखता है। इस प्रकार से पण्डित नेहरू ने निरंतर अपने विदेशी नीति को स्पष्ट किया है।

मार्च, 1950 में लोकसभा में पण्डित नेहरू ने भाषण देते हुए कहा था— "यह नहीं समझा जाना चाहिए कि हम विदेश नीति के क्षेत्र में एकदम नई शुरुआत कर रहे हैं। यह एक ऐसी नीति है जो हमारे अतीत के इतिहास से और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से सम्बन्धित है। इसका विकास उन सिद्धान्तों के अनुसार है जिनकी घोषणा अतीत में हम समय-समय पर करते रहते हैं।" भारतीय विदेश नीति का निर्धारण अंतरराष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय हितों के परिप्रेक्ष्य में किया गया। इसके निर्माण में प्राचीन भारतीय परंपरा और स्वाधीनता संग्राम के आदर्शों ने महत्वपूर्ण भूमिका

अदा कि है। भारतीय चिंतन और दर्शन में सदैव भिन्न-भिन्न मत-मतान्तरों को स्वीकार किया गया है और सहिष्णुता उसका स्वभाव रहा है।

भारतीय विदेश नीति में उपनिवेशवाद, जातिवाद, फासीवाद का जो विरोध सन्निहित है, उसे राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनेक प्रस्तावों में स्पष्ट कर चुकी थी इस प्रकार भारत की विदेश नीति का उदय किसी आकस्मिक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि इतिहास की उपज रही है। पामर एंव पंकिंस के अनुसार “भारत की विदेश नीति की जड़े विगत कई शताब्दियों में विकसित समस्याओं के मूल में छिपी है और इसमें चिंतन-शैलियों, ब्रिटिश नीतियों की विरासत, स्वधीनता आंदोलन तथा वैदेशिक मामलों में भारतीय कांग्रेस की पहुंच, गांधीवादी दर्शन के प्रभाव, अहिंसा तथा साध्य और साधनों के महत्व के गांधीवादी सिद्धान्तों आदि का प्रभावशाली योग रहा है।”⁶

भारतीय विदेश नीति के आधारभूत उद्देश्य—

पण्डित नेहरू के अनुसार हम “अपनी विदेश नीति में जो कुछ चाहते हैं उसका सार शांति है, शांति देश में और शांति विदेश में।” स्वतंत्र भारत की विदेश नीति के उद्देश्य का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 51 में किया गया है जो कि इस प्रकार हैं—

1. विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का समर्थन व प्रोत्साहन करना।
2. राष्ट्रों के पारस्परिक व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय के प्रति आदर की भावना को बढ़ाना।
3. राज्यों के मध्य न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध बनाये रखना।
4. अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता और पंचनिर्णय द्वारा निपटारे को प्रोत्साहन देना।

प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू के भाषणों, कृत्यों तथा नीतियों के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्य स्पष्ट होते हैं जो कि भारतीय विदेश नीति को एक मजबूत और व्यापक आधार प्रदान करते हैं—

- भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं तीव्र परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर नजर रखना जिससे की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सकें।
- सभी पराधीन देशों की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना क्योंकि भारत उपनिवेश को अपराध मानता है।
- जातिवाद का विरोध और ऐसे समानतापरक समाज के विकास का समर्थन जिसमें जाति, वर्ग और रंग के किसी भेदभाव के लिए कोई स्थान न हो।
- मानवता के हितों के प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सक्रिय भागीदार होना।
- शीतयुद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा संगठनों से बचना।
- सभी राष्ट्र-राज्यों से विशेष रूप से एशिया में पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखना।
- अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास।
- ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से अच्छे संबंध बनाये रखना।
- महाशक्तियों के जाल से दूर रहना तथा
- भारत को महाशक्ति बनाने की आंकाक्षा।⁷

किसी भी देश की विदेश नीति का लक्ष्य या उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि की जाए जिसमें राष्ट्र समृद्धि हो। भारत की विदेश नीति का एक अन्य उद्देश्य जिसका संबंध विश्व में शांति स्थापित करने से है। भारत का मानना था कि ऐसे प्रयास किए जाये जिससे युद्ध के कारण ही न उत्पन्न हो, तनाव को सुलझाने के प्रयास

किए जाये। इन प्रयासों में प्रमुख प्रयास थे पराधीन देशों की स्वतंत्रता और जातिभेद का उन्मूलन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत ने स्वतंत्र निति अपनाई जो किसी भी महाशक्ति के प्रभाव से मुक्त थी। भारत की विदेश नीति विश्व शांति को लेकर स्पष्ट थी इसलिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया और न सिर्फ विश्वास व्यक्त किया बल्कि शांति के लिए प्रयास अपने प्राथमिक लक्ष्यों में रखा। भारत की विश्व शांति को लेकर स्पष्ट नीति सिर्फ भारत के हित में नहीं थी बल्कि इसमें विश्वभर का हित था। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता, पंचनिर्णय पर विवाचन आदि पर बल दिया है। भारत ने अपने पड़ोसी देश के विवादों का निपटारा शांतिमय साधनों से किया है। भारत ने इसी नीति के चलते जब 1963 में आणविक परीक्षण रोक संधि हुयी तो बिना देरी किए सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया।

पण्डित नेहरू ने महात्मा गांधी के नितियों को भारत की विदेश नीति का मुख्य स्रोत कहा था। पण्डित नेहरू ने साध्य और साधनों पर बल देते हुए कहा कि “मेरे देश के महान् नेता महत्मा गांधी ने सदा ही नैतिक मूल्यों पर बल दिया और हमें चेतवानी दी है कि साधनों को कभी भी साध्य के अधीन नहीं करना चाहिए।” नेहरू का मानना था मनुष्य के भाग्य का विधाता शारीरिक बल नहीं होना चाहिए और यह भी कि संघर्ष के उपाय और इसको समाप्त करने के उपाय दोनों का अत्यधिक महत्व है। उन्होंने विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि “हमारी विदेश नीति का स्पष्ट उद्देश्य है निर्धनता, निरक्षरता और बिमारी को दूर करना, यही हमारी घरेलू नीति का उद्देश्य भी है पर इसका सीधा संबंध विदेशी आर्थिक सहायता के प्रश्न के साथ जुड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत ने यह भी निर्णय लिया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों के साथ सहयोग करेगा ताकि सभी विकासशील देशों में बिमारी, भुखमरी, गरीबी, आशिक्षा और अकाल जैसी बुराईयों से संघर्ष किया जा सकें।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू की विदेश नीति के महत्वपूर्ण सिद्धान्त :-

भारत ने विदेश नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ सिद्धान्तों का पालन किया है, भारतीय विदेश नीति के उल्लेखनीय सिद्धान्त निम्नलिखित है-

1. गुटनिरपेक्षता- “गुटनिरपेक्षता” अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उन महत्वपूर्ण तत्वों में से है जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आये और जिनसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। अबतक गुटनिरपेक्ष के 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं इससे स्पष्ट है कि गुटनिरपेक्षता का सिद्धान्त कितना महत्वपूर्ण है। “गुटनिरपेक्षता” की अवधारणा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नवोदित देशों के विदेश नीति निर्धारकों ने किया था। पण्डित जवाहरलाल नेहरू इस नीति को अपनाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने न सिर्फ गुटनिरपेक्षता की नीति अपनायी बल्कि इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस सिद्धान्तों में देश अपनी विदेश नीति के निर्धारण में पूरी तरह स्वतंत्र होता है तथा प्रत्येक समस्या को अपने तरीके से देखने का दृष्टिकोण अपनाने के लिए स्वतंत्र होता है। गुटनिरपेक्षता सकारात्मक तर्क पर आधारित निति है, यह नकारात्मक नहीं है, इसका उद्देश्य ही है गुटरहित शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना। पण्डित नेहरू भारत के लिए विदेश नीति का आधार बना रहें थे उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत को विश्व के मामलों में अपना मार्ग स्वयं चुनना चाहिए और वह किसी भी देश के हाथ की कठपूतली न बने चाहें कोई देश कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, नेहरू अपने इस धारण को 7 सितम्बर 1946 को अंतरिम सरकार के वाइस प्रेसीडेंट के रूप में अपने प्रसारण में स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, “जहां तक सम्भव हो हम-एक दूसरे के विरुद्ध बने खेमों से जुड़ी राजनीतिक शक्ति के, जिससे अतीत में युद्ध हुए हैं और जो पुनः पहले से भयंकर विनाश कर सकते हैं, अलग रहने का प्रस्ताव करते हैं।”⁸

गुटनिरपेक्षता का अर्थ है; गुटबाजी से अलगाव। विश्व के सन्दर्भ में राज्यों का किसी भी गुट में शामिल न होना और अपनी भूमिका का निर्धारण स्वतंत्र रूप से अपनी मान्यताओं और मूल्यों के आधार पर करना। 4 दिसम्बर, 1947 को नेहरू जी ने संविधान सभा में कहा, "जब मैं किसी शक्तिशाली रानीतिक गुट में न शामिल होने की बात करता हूँ तो इसका अर्थ यह नहीं है कि हम कुछ राज्यों से अच्छे तथा कुछ राज्यों से बुरे संबंध रखें। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं और सभी हमारे मित्र हैं"।

गुटनिरपेक्षता नकारात्मक नहीं है और न ही निष्क्रिय सिद्धान्त है बल्कि गुटनिरपेक्षता सकारात्मक होते हुए एक गतिशील भावना है। पण्डित नेहरू ने कहा कि हम न तो पूंजीवाद के चंगुल में फसेंगे और न ही साम्यवाद के। हम प्रत्येक राष्ट्र के मित्र हैं, और एक विकासशील देश होने के नाते हमारा यह प्रयास होगा कि हम दोनों गुटों से सहायता प्राप्त करें, यदि वे बिना किसी शर्त हो। पण्डित नेहरू ने पूरी तरह से यह स्पष्ट कर दिया कि परिणाम कुछ भी हो लेकिन वे अपनी स्वतंत्र नीति और गुटनिरपेक्ष का परित्याग नहीं कर सकते। तमाम ऐसे जाटिल संकट भारत के सामने आये जब महाशक्तियों ने भारत की गुटनिरपेक्षता को सवालियों के घेरे में खड़ा किया बल्कि पहले तो मानने को तैयार ही नहीं हुए कि गुटनिरपेक्षता जैसा कुछ है। लेकिन पण्डित नेहरू अपने सिद्धान्तों पर कायम रहें क्योंकि भारत का कल्याण इसी नीति को अपनाने में है और यह नीति कोई तत्कालीन या क्षणिक आवेश का परिणाम नहीं था इसके मूल में निम्न प्रमुख बातें थीं—

- साम्राज्यवादी ताकतों से भारत अभी आजाद ही हुआ था। भारत के समक्ष सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देश के आर्थिक पुर्ननिर्माण का था। इसके लिए जरूरी था शांतिपूर्ण वातावरण लेकिन महाशक्तियों के गुटबाजी के चलते शांतिपूर्ण वातावरण का सृजन संभव नहीं था ऐसे में भारत के पास एक विकल्प यह था कि वह भी किसी गुट का हिस्सा बनकर अंतर्राष्ट्रीय तनाव में अपना सहयोग दे या फिर अपने को इससे दूर रखें। एक नव सृजित देश के लिए गुट में शामिल होना ठीक नहीं था तथा भारत का राष्ट्रीय हित इसी में था कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने में अपना योगदान दे।
- एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर स्वतंत्र विदेश नीति का अवलम्बन एक और प्रेरक तत्व था। वर्षों के प्रयास और सहस्रों देश प्रेमियों के बलिदान के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। ऐसे स्थिति में महाशक्तियों के प्रभाव में आकर विदेश नीति का निर्माण स्वतंत्रता के मूल्य से समझौता होता। भारत बतौर स्वतंत्र राष्ट्र विश्व राजनीति में भाग लेने का पूर्ण अधिकार मानता था तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र से सम्बंधित सारे निर्णय वह स्वतंत्र रूप से ले सकता था न कि किसी गुट के प्रभाव में आकर। भारत के राष्ट्रीय हित में जो उचित हो वहीं उसके निर्णय का आधार बनता है न कि अन्य कोई शक्ति। पण्डित नेहरू के इस नीति की आलोचना देश में भी होती थी तमाम नेताओं का मानना था कि पण्डित नेहरू अपने निजी छवि को बनाने के लिए इस प्रकार की नीति अपना रहें हैं लेकिन नेहरू ने स्पष्ट किया कि असलग्नता की नीति राष्ट्र हित में है। नेहरू का मानना था कि किसी गुट में शामिल होकर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतंत्रता कायम नहीं रखी जा सकती यदि भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र होना है तो स्वतंत्र नीति का होना आवश्यक है जो कि गुटों के प्रभाव से मुक्त हो।
- यदि भारत भी किसी गुट का हिस्सा बन जाता तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव में वृद्धि होती ऐसे में यदि भारत स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर निष्पक्ष रूप से अपना निर्णय लेगा तो गुट उसके विचार पर ध्यान देंगे और अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी होगी तथा भारत की छवि की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरेगी।

गुटनिरपेक्षता के पीछे दो महत्वपूर्ण उद्देश्य थे प्रथम विश्व शांति और दूसरा राष्ट्रीय-हित। किसी भी गुट में शामिल होना मतलब विश्व संघर्ष को बढ़ाना था। भारत की मान्यता हमेशा से विश्व शांति की रही है। इसके अतिरिक्त भारत अभी शोषणकारी ताकतों से मुक्त हुआ था भारत अपने को तनाव व संघर्ष का हिस्सा बनाकर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करना चाहता था बल्कि भारत को दोनों गुटों से सहयोग की जरूरत थी तभी हम अपने आपको खड़ा कर सकते थे। गुटनिरपेक्षता का अर्थ बिल्कुल नहीं है कि यदि हमको कोई निशाना बनाए तो हम चुप रहें ऐसे समय में हम पूरी ताकत से जबाव देंगे और जरूरत पड़ी तो दूसरों से मदद भी लेंगे किन्तु हम शीत युद्ध को कायम रखने के लिए गुट में शामिल नहीं होंगे।

गुटनिरपेक्षता के वास्तुशिल्पी पण्डित जवाहरलाल नेहरू, खेमों में बँटी दुनिया से परें अपने देश की स्वतंत्र नीति के पक्षधर थे। महाद्वीपों में फैले उपनिवेशों से देशों के मुक्त होने की प्रक्रिया ने जैसे-जैसे जोर पकड़ा वैसे-वैसे ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या भी बढ़ती गयी। इस दौर में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूरा ध्यान दक्षिण अफ्रिका और नामीबिया में व्याप्त नस्लभेद को खत्म करने व इजरायल के खिलाफ अरब मुल्कों को समर्थन देने पर था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को 1961 में भारत की पहल पर शुरू किया गया। 20 सितम्बर 1961 को भारत के प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू मिस्त्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर तथा यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटों के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। सितम्बर 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों के प्रथम शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने अपने प्रतिनिधि भेजकर इस सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्य देशों की विदेश नीतियों का परीक्षण किया गया और फिर निमंत्रण भेजा गया। बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में यह तय किया गया कि प्रत्येक 3 वर्ष बाद शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। सम्मेलन में मुख्य उद्देश्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्षेत्र को विस्तृत करना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक पहल करना था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए जून 1961 में मिस्त्र के काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में पाँच मानदण्ड निर्धारित किए गये थे—

1. वह देश जो स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता हों।
2. उपनिवेशवाद का विरोध।
3. जो शीत-युद्ध से सम्बंधित किसी भी सैनिक गुट का सदस्य ना हो।
4. किसी भी महाशक्ति के साथ द्विपक्षीय समझौता न करना एवं
5. अपने क्षेत्र में किसी भी महाशक्ति को सैनिक अड्डा बनाने की इजाजत न देना।⁹

जब दुनिया दो शक्ति ब्लॉकों में विभाजित थी, एक सुयुक्त राज्य अमेरिका और उनके सहयोगी राज्य जिसे नाटों कहा गया तथा दूसरा वारसा पैक्ट पर हस्ताक्षर के बाद सोवियत संघ रूस कहा गया उस समय भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को "तीसरी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति" बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भारत की प्रेरणा से ही आज नाम में '120' सदस्य हैं इसके अतिरिक्त इस समूह में 17 देशों और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। भारत के प्रयास से ही 'नाम' ने उन अंतर्राष्ट्रीय बुराईयों (साम्राज्यवाद, नव-उपनिवेशवाद, जातिवाद, नस्लवाद, हस्ताक्षेप, विदेशी आक्रमण) पर प्रहार किए हैं जिसका भारतीय विदेश नीति विरोध करती है भारतीय विदेश नीति में उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, हस्ताक्षेप का विरोध मुख्य तथ्य बनकर उभरा था। भारत ने कोरियाई युद्ध के समाप्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विभिन्न स्थानीय टकरावों की समाप्ति में लिए, सैनिक गुटों और सैन्य अड्डों के विरुद्ध, पराये भू-भाग पर विदेशी सेवाओं की वापसी के लिए मुखर होकर आवाज उठाई।

बाण्डुंग सम्मेलन में व्यक्त किये गये मूल विचारों को सितम्बर 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में और बल दिया गया, जब यही विचार गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्म का आधार बने। बेलग्रेड के सम्मेलन में पण्डित नेहरू ने गुटनिरपेक्ष शब्द को स्पष्ट करते हुए कहा था कि गुटनिरपेक्षता शब्द की विभिन्न रूपों में व्याख्या की जा सकती है, परंतु मूलतः इसके अर्थ का प्रयोग विश्व की महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के लिए किया गया है।

माइकल ब्रेचर के अनुसार गुटनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग पहले सन् 1953 में कृष्ण मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्रसंघ में किया गया था। 1955 में बाण्डुंग सम्मेलन से भारत वास्तविक रूप से गुट-निरपेक्ष देशों का मुख्य प्रवक्ता बन गया तथा एशिया, अफ्रिका और लैटिन अमेरिका के उदीयमान राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति एक मुख्य विकल्प बन गया। इस नीति के सफल प्रतिपादन का श्रेय पण्डित जवाहरलाल नेहरू को जाता है, लगभग डेढ़ दशक तक गुट-निरपेक्षता की पहचान नेहरू के नाम से होती रही। माइकल ब्रेचर ने लिखा है कि, "किसी दूसरे देश में एक व्यक्ति विदेश नीति को इतना प्रभावित नहीं करता जितना भारत में नेहरू"। निश्चित ही पण्डित नेहरू का प्रभाव इतना व्यापक रहा है कि लोग इस नीति को नेहरू की व्यक्तिगत नीति समझते हैं।

गुटनिरपेक्षता को भारतीय विदेशनीति का सारतत्व कहा जाता है। भारत की गुटनिरपेक्षता एक सक्रिय विधेयात्मक और रचनात्मक सिद्धान्त है। इसका ध्येय किसी अन्य गुट का निर्माण करना नहीं अपितु दो विरोधी गुटों के बीच संतुलन का निर्माण करना है। यह नीति सैनिक गुटों से अपने आपको दूर रखती है, किन्तु पड़ोसी व दूसरे राष्ट्रों के मध्य अन्य सब प्रकार के सहयोग को प्रोत्साहन देती है। इसमें तटस्थता, नकारात्मकता, अप्रगतिशीलता अथवा उपदेशात्मक नीति नहीं है इसका अर्थ सकारात्मक है मतलब जो न्यायसंगत है उसका समर्थन करना तथा जो अनैतिक व न्यायसंगत नहीं है उसकी निंदा करना। पण्डित नेहरू ने अमेरिकी कांग्रेस में इस बात स्पष्ट किया था। कृष्ण मेनन ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में देश की विदेशी नीति की स्पष्ट करते हुए कहा कि " हम तटस्थ देश नहीं हैं, हम युद्ध और शांति के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं। हम साम्राज्यवादियों अथवा अन्य देशों द्वारा आधिपत्य स्थापित करने के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं। हम उन बड़ी आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में तटस्थ नहीं हैं जिनका कभी भी उदय हो सकता है। हमारी स्थिति यह है कि हम शीतयुद्ध के संदर्भ में गुटनिरपेक्ष तथा अप्रतिबद्ध हैं"।¹⁰

पण्डित नेहरू ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत अपने असलग्नता की नीति का परित्याग नहीं करेगा और अगर भारत पश्चिमी गुट का हिस्सा बनता है तो भारत शीतयुद्ध का भी अंग बन जायेगा जो कि भारत के लिए ठीक नहीं है। 1963 में सोवियत संघ ने भारत और चीन के सीमा विवाद में भारत का खुला समर्थन किया। पकिस्तान पश्चिमी गुट का हिस्सा था लेकिन जब भारत-पकिस्तान युद्ध 1965 में हुआ था तब पकिस्तान के बड़े समर्थक अमरीका ने दोनों देशों पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया तथा पाकिस्तान के पश्चिमी गुट में शामिल होने पर भी उसे कोई विशेष लाभ नहीं मिला। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष होना एक सही नीति थी। इसी नीति के चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामले में अपनी आगे की राह असान की। 1971 की भारत-सोवियत संधि, बांग्लादेश की क्रांति और तत्कालीन सैनिक शासन की दमनकारी नीति के परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया में उत्पन्न संकट के समय "भारत सोवियत मैत्रीसंधि" भारतीय हितों की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण घटना कहीं जा सकती हैं। इस संधि ने दक्षिण एशिया की वास्तुस्थिति को निर्णायक मोड़ देते हुए तत्कालीन परिस्थितियों में भारत की सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत ने हिन्द महासागर को केवल अमरीकी हस्तक्षेप नहीं बल्कि सोवियत हस्तक्षेप से भी मुक्त रखने पर बल दिया। भारत विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध रहा इसी नीति के चलते भारत आफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी का समर्थक रहा। इस प्रकार असलग्नता की नीति ने पृथक विदेश नीति तथा नव उदित देशों को संगठित करने के सिद्धान्त के द्वारा सैनिक तनाव व झड़प के दिशा

में सम्भावित नियंत्रण के साथ-साथ विश्व शांति की स्थापना में भरपूर सहयोग दिया है। इस आंदोलन ने वृहत पैमाने पर उपनिवेशवाद उन्मूलन की प्रक्रिया को भी तीव्र किया था लेकिन इन सबके बावजूद गुटनिरपेक्षता की तामम कमियाँ भी थी। पं० नेहरू ने गुटनिरपेक्षता पर जो नैतिक मूल्य आरोपित करने की कोशिश की वह कई मामलों में मृग-मरीचिका जैसी थी।

आंदोलन के 120 देशों में से अधिकतर देश लोकतंत्रिक मूल्यों से दूर है। इन देशों की शासन पद्धतियाँ की भिन्न है। कई मौके तो ऐसे आये जब आपसी तनाव ने युद्ध का रूप धारण कर लिया। लेकिन इस आंदोलन का एक रूप यह भी है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद यह मंच दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा मंच है। इस दृष्टि से यदि यह वास्तव में चाहें तो सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

2. पंचशील सिद्धान्त—शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की अवधारणा भारत की संस्कृति खासकर उसके धार्मिक मूल्यों का वास्तविक प्रतिबिंब है। सदियों से भारत सर्वधर्म समभाव की निति का अनुसरण करता आया है। जो एक वेदांतिक अवधारणा है। विभिन्न विचारधाराओं में विश्वास करने वाले राष्ट्र-राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का आदर करना, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धान्त है। वसुधैव कुटुम्बकम् के भारतीय दर्शन से एक विश्व की भावना को प्रोत्साहन मिलता है। प्राचीन काल से ही भारत और चीन सांस्कृतिक एवं सभ्यताओं के केन्द्र रहें हैं। दोनों देशों ने अन्य देशों को शांति तथा संस्कृति का संदेश दिया है प्राचीन काल में भारत के बौद्ध भिक्षु धर्म प्रचार के लिए चीन गये और चीन यात्री फाह्यान, ह्वेनसांग और इत्सिंग आदि भारत आये। पंचशील भारत के भ्रातृत्व भावना का ही एक हिस्सा है। पांचशील पांच प्रतिज्ञाओं एक समूह है। इस प्रकार का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा बुद्ध ने किया था, बौद्ध भिक्षु बनने के लिए महाव्रत को धारण करना पड़ता था जिसे पंचशील कहा जाता था जिसमें सत्य, आहिंसा, ब्रह्मचर्य, मदिरा, निषेध और अस्तेय शामिल थे। लेकिन यह व्यक्तियों के लिए था। उसी प्रकार आधुनिक पंचशील सिद्धान्त के द्वारा राष्ट्रों के लिए आचरण के संबंध निश्चित किए गये। भारतीय दर्शन के इस आदर्श सिद्धान्त को पण्डित नेहरू के नेतृत्व में 1954 में तब औचारिक मान्यता दी गई जब भारत और चीन ने आपसी संबंधों के आधार के रूप में पंचशील के सिद्धान्तों की घोषणा पर हस्ताक्षर हुये। इस समझौते का उद्देश्य भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार संबंध सुनिश्चित करने के लिए किया गया था, इनमें पांच सिद्धान्तों की व्याख्या 29 अप्रैल, 1954 के भारत-चीन समझौते में विस्तार से की गयी। यह पांच सिद्धान्तों इस प्रकार थे—

1. एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता और स्वतंत्र सत्ता को आदरपूर्वक स्वीकार करना।
2. एक-दूसरे के विरुद्ध आक्रमण न करना।
3. एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्ताक्षेप ना करना।
4. समानता के आधार पर एक-दूसरे का सहयोग करना और
5. शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

यह पंचशील सिद्धान्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दिशा दिखाते हैं जिसमें विश्व कल्याण की भावना है। इनकी स्वीकृति और अमल से विश्व जगत में तनाव का उन्मूलन एवं विश्व शांति कायम किया जा सकता है। सभी राष्ट्र-राज्यों के सम्प्रभुता व अखण्डता को अक्षुण्ण रखते हुए परस्पर विरोधी विचारधारा वाले राष्ट्र भी शांतिपूर्ण सहयोग के रास्ते पर सकते हैं तथा सम्पूर्ण विश्व को दरिद्रता, भय, अभाव, निरक्षरता आदि समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है।¹¹ 28 जून 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील सिद्धान्तों में एक बार फिर अपना विश्वास जताया। लगभग सभी एशियाई देशों ने पंचशील के सिद्धान्तों को स्वीकार किया। अप्रैल 1955 में

इण्डोनेशिया के बाण्डुंग में हुए एशियाई-अफ्रीकी देशों के सम्मेलन में इन सिद्धान्तों को पुनः विस्तृत रूप दिया गया। आगे चलकर 1959 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भारत ने पंचशील सिद्धान्तों को रखा, इस प्रस्ताव को महासभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया और पंचशील सिद्धान्तों को विश्व में मान्यता मिल गयी। नाटों के देशों ने इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं किया पर वे खुलेतौर पर विरोध भी न कर सकें।

पण्डित नेहरू की पंचशील सिद्धान्त के प्रति विशेष श्रद्धा थी। उनकी दृष्टिकोण में पंचशील सिद्धान्त लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का परिणाम था। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सह-व्यक्तित्व के विचार को अस्वीकार करता है, वह तो मूल रूप में लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को भी अस्वीकार करता है। जहां तक पंचशील सिद्धान्त पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है लेकिन व्यावहारिक राजनीति के दृष्टि से विशेषकर चीन के मामले में जहाँ से हमने अपने संबंधों में पंचशील की शुरुआत की थी वहाँ पंचशील सफल साबित नहीं हुआ। अनेक भारतीय राजनेताओं और विद्वानों ने पंचशील को भारतीय विदेश नीति की एक उपलब्धि कहा परन्तु इतिहास ने यह सिद्ध कर दिया कि पंचशील का वास्तविक वजूद नहीं है।

3. साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद और रंगभेद का विरोध :- भारत खुद भी एक उपनिवेश था वह साम्राज्यवाद से भलीभाँति परिचित था कि किस प्रकार से एक फलता-फूलता देश बर्बाद हो सकता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के साथ-साथ भारत रंगभेद का भी शिकार हुआ था। भारत एक लम्बे संघर्ष के पश्चात् इस सब से स्वतन्त्र हुआ था, इसी का परिणाम था कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद का मुखर विरोध करना उसकी विदेश नीति का महत्वपूर्ण तत्व बन गया। पण्डित नेहरू ने स्पष्ट रूप से कहा उपनिवेशिक देशों की पराधीनता अथवा साम्राज्यवाद के बने रहने पर आधारित कोई विश्व सुरक्षा स्थायी नहीं रह सकती है। अगर भावी आक्रमणकारियों को रोकना है, तब बीते हुए कल के आक्रमणकारियों से भी जवाब-तलब किया जाना चाहिए।¹² पण्डित जवाहर लाल नेहरू का पंचशील सिद्धान्त और गुटनिरपेक्ष नीति में इन बातों का विशेष स्थान था।

4. अफ्रिका-एशिया एकता की मुहिम :- विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व अफ्रिका और एशिया के राज्यों जिनमें से अधिकांश यूरोपीय साम्राज्यवाद के शिकार रह चुके हैं, एक मंच पर लाकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय जगत में एक सम्मानपूर्ण स्थान दिलाना है। नेहरू ने कहा था, "चिरकाल तक भिक्षुक रहने के बाद आज हम अपने पैरो पर खड़ा होना चाहते हैं। अपने साथ सहयोग करने वालों का हम भी सहयोग करेंगे किन्तु हम दूसरों के हाथ में खिलौना बनना नहीं चाहते। नेहरू की इसी सोच का परिणाम था भारत के आजादी के तुरन्त बाद एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन।

5. निःशस्त्रीकरण की नीति :- विश्व की शान्ति के लिए भारत निःशस्त्रीकरण को परम आवश्यक मानता है। यहाँ तक की भारत ने निःशस्त्रीकरण के लिए किये जाने वाले प्रयासों में हमेशा सहयोग किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इस प्रकार के जो भी प्रयास किये गये हैं भारत ने हमेशा अपना सुझाव व सहयोग दिया है। भारत 18 सदस्यीय निःशस्त्रीकरण आयोग का सदस्य भी है। 1963 में आंशिक अणु परीक्षण प्रतिबन्ध संधि पर भारत ने हस्ताक्षर भी किया है परन्तु निःशस्त्रीकरण का प्रबन्ध समर्थक होने के बावजूद भी आणविक अस्त्रों के सम्बन्ध में भेदभाव का प्रबल विरोधी भी है।¹³

पण्डित नेहरू विश्व में घट रही घटनाओं पर अपनी नजर रखते थे वे विश्व की जटिल समस्याओं से भलीभाँति परिचित थे इसलिए वे एक ऐसी विश्व व्यवस्था के स्थापना के समर्थक थे जो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धान्त पर आधारित हो वे इसके लिए हमेशा प्रयासरत भी रहते थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यवस्था निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिनमें प्रमुख निम्नवत है :-

कोरियाई युद्ध :- भारत के लिए कोरियाई युद्ध एक प्रकार से परीक्षा की घड़ी थी। भारत के लिए यह प्रथम अवसर था जब गुट निरपेक्षता को बरकरार रखना था। जून 1950 में कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया और पश्चिमी समर्थक दक्षिण कोरिया के बीच युद्ध शुरू हो गया। उत्तर कोरिया सैन्य दलों ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर दिया तत्कालीन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने माना कि यह हमला स्टालिन के दिमाग की उपज है। उन्होंने इसे एक गम्भीर चुनौती के रूप में लिया और इसे व्यापक रूप से साम्यवाद के प्रसार के लिए रूस की एक विस्तृत योजना को भाग समझा। इस संकट के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कमीशन बनाया और इस कमीशन के अध्यक्ष भारत के कैप्टीएस0 मेनन को बनाया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ में "कोरिया को एक रहने देने की अपील की थी। उन्होंने चेतावनी भी दी थी कि अन्यथा कोरिया में विस्फोट हो जाएगा।"¹⁴ पण्डित नेहरू ने दोनों महाशक्तियों के प्रमुखों से अपील की और स्टालिन से अनुकूल प्रतिक्रिया भी प्राप्त हुयी लेकिन इसी बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में अमेरिकी सैनिकों का नेतृत्व करते हुए जनरल मैक आर्थर दक्षिण कोरिया से उत्तरी कोरिया के सैनिकों को बाहर करते हुए 28 डिग्री चैनल पार करके उत्तरी कोरिया में प्रवेश कर गये और इस बात का संयुक्त राष्ट्र से अनुमोदन भी नहीं लिया। अमेरिकी सैनिक चीनी बार्डर के करीब पहुँच गये जिस पर चीन ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और अमेरिकी सैनिकों को 38 डिग्री अक्षांश तक पीछे धकेलने में सफल हो गये। कोरियाई युद्ध 'गुट निरपेक्षता' में भारत के विश्वास की कसौटी थी इस परीक्षा में भारत खरा उतरा उसने हिम्मत से चीनी और सोवियत विरोध का मुकाबला किया। क्योंकि उसने उत्तर कोरिया को आक्रांता बताया था। उसके बाद उसे अमेरिका के गुस्से का सामना करना पडा क्योंकि उसने युद्ध में अमेरिकी हस्तक्षेप का साथ देने से इन्कार कर दिया था। 1950 में चीन ने तिब्बत करके उसे अपने में मिला लिया फलस्वरूप भारत चुप रहा लेकिन पण्डित नेहरू काफी चिंतित थे चीन के इस कार्यवाही से फिर भी उन्होंने इससे कोरिया संबंधी नीति को प्रभावित नहीं होने दिया। अमेरिका की नीति के विरोध में सोवियत संघ सुरक्षा परिषद से बाहर निकल गया। ऐसी स्थिति में भारत ने चीन को सुरक्षा परिषद में सीट देने का भी समर्थन किया।

स्वेज नहर संकट :- इस संकट का आरम्भ तब हुआ जब इजराइल ब्रिटेन और तीनों ने मिलकर 29 अक्टूबर 1956 को मिस्त्र पर हमला कर दिया। यह संकट लगभग दो सप्ताह तक रहा नवोदित स्वतंत्र देशों और साम्राज्यवादी चंगुल से तेजी से मुक्त हाने वाले देशों और उनके पूर्व साम्राज्यवादी देशों के साथ सम्बन्धों को लेकर भारत बहुत चिंतित रहा। यह हमला एक प्रकार का मिस्त्र के ऊपर गुटनिरपेक्षता नीति छोड़ने का भारी दबाव था उन्होंने नील नदी पर 'अस्वान डैम' (बाँध) बनाने के लिए की गयी वित्तीय सहायता का वादा वापस ले लिया और इस की प्रतिक्रिया में मिस्त्र ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया था। यूरोपीय देशों के लिए व्यापार की दृष्टि से खासकरके ब्रिटेन और फ्रांस के लिए वे इसके अन्तर्राष्ट्रीयकरण करने की मांग कर रहे थे। मिस्त्र के इस कदम को रोकने के लिए ब्रिटेन, इजराइल और फ्रांस जब सेना उतारी तो भारत भी इसके विरोध में आ गया और पण्डित नेहरू ने इसे 'खुला हमला' कहा। यह कार्यवाही कुस्तुनिय्या संधि 1888 के खिलाफ थी और यह क्षेत्र मिस्त्र का अभिन्न अंग था। भारत ने इस संकट के समाधान के लिए प्रयास किया और फिर संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से इस संकट का समाधान हुआ। इस संकट पर पण्डित नेहरू बहुत चिंतित थे। यह बात जॉन फॉस्टर डलेस को नेहरू द्वारा लिखे गये पत्र से उजागर होती है यूरोप और एशिया के बीच संबंधों का पूरा भविष्य ही अधर में लटक गया है। भारत सरकार को इस बात को लेकर भारी आशंका थी कि भारत पर इस संकट का आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही तरीकों से गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि नहर के जरिए होने वाले यातायात पर प्रतिबन्ध या रोक लगाने से और भारी मात्रा में पथकर की वसूली परिणाम इतना भयानक होगा कि इससे पंचवर्षीय योजना प्रभावित हो सकती है।¹⁵ स्वेज संकट के समय पण्डित नेहरू किसी भी सिद्धान्तों के मामले में झुके

नहीं। इससे भारत को राजनैतिक लाभ तो मिला ही साथ ही में किसी गुट विशेष के साथ न जुड़ने के कारण विश्व भर में सम्मान भी मिला। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में शामिल होने का अवसर भी मिला। उस समय इसी नीति को गुटनिरपेक्षता का नाम दिया गया।

हंगरी में सोवियत कार्यवाही :- हंगरी में सोवियत संघ द्वारा 1956 में घुसपैठ की गयी। इसी घुसपैठ की संयुक्त राष्ट्र संघ में तीखी आलोचना की गयी और इस कदम को वापस करने की माँग हुयी। लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की कोई आलोचना शुरुआत में नहीं की भारत के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लगने लगे कि नेहरू ने स्वेज संकट के समय जिस तत्कालिकता व उत्साह की भावना से मिस्त्र के खिलाफ आंग्ल-फ्रांस आक्रमण की निन्दा की थी, उस तरह हंगरी में सोवियत कार्यवाही की निन्दा करने में वे असमर्थ रहे थे।¹⁶ पण्डित नेहरू के पास हंगरी को लेकर स्पष्ट जानकारी का अभाव था उनके पास जो जानकारी थी वो पश्चिम मीडिया की थी लेकिन बाद में भी उन्होंने सोवियत संघ की निन्दा नहीं की। पण्डित नेहरू ने रहमान की रिपोर्ट के बाद सोवियत कार्यवाही की निन्दा की लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नेहरू के ऊपर आरोप लग चुका था कि नेहरू पश्चिम के लिए सोवियत संघ से अलग मानदण्ड रखते है। यह सही है कि नेहरू ने स्वेज संकट की तरह हंगरी मामले प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की थी।

कांगो :- भारत की विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि कांगो की आजादी और एकता की रक्षा थी। भारत ने 1960 में बेल्जियम फौजों का कांगो में प्रवेश का व्यापक विरोध किया तथा कांगों की स्वतन्त्रता का समर्थन किया। कांगो के प्रधानमंत्री पैट्रिस लुमुंबा ने अमेरिका और सोवियत रूस दोनों से सैन्य सहायता के लिए प्रार्थना की लेकिन किसी से कोई विशेष आश्वासन नहीं मिल सका। लुमुंबा ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हेमरशोल्ड ने संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्ताक्षेप के लिए सुरक्षा परिषद से अनुमति ली। सुरक्षा परिषद ने 21 फरवरी 1961 को एक प्रस्ताव पास किया और भारतीय फौजी ने गृहयुद्ध समाप्त करवाया। मार्च 1963 तक समूचे देश पर केन्द्रीय सरकार की सत्ता फिर से स्थापित करवा दी। हेमरशोल्ड ने वकतव्य दिया कि भारत के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें।¹⁷ यह प्रशंसा निराधार नहीं थी। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अफ्रिका तथा एशिया के नव-स्वतन्त्र देशों की सहायता और संयुक्त राष्ट्र की बहु-आयामी भूमिका के लिए सचमुच यह गर्व की बात थी। पण्डित नेहरू ने अपने गुटनिरपेक्ष नीति को लेकर एक बार और विश्वास के साथ खड़े रहे।

आज का युग पारस्परिक निर्भरता का युग है। प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर करता है। संसार के सभी देशों के विकास तथा रक्षा हेतु पारस्परिक सम्बन्ध बनाना आपरिहार्य हो जाता है। स्वतन्त्र भारत के लिए भी संसार के लिए राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध बनाना जरूरी था इसलिए हमारी विदेश नीति निर्धारको ने अन्य राष्ट्रों के साथ मैत्री पूर्ण संबंधों की स्थापना को अपने विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य घोषित किया। भारत विश्व की शान्ति का समर्थक रहा इसलिए भारत का हमेशा से प्रयास रहा कि विश्व के सामने अपनी ओर से कोई संकट न खड़ा किया जाय। यही कारण कि स्वतन्त्रता के पश्चात् ब्रिटेन से भारत के संबंध ठीक रहें। पाण्डित नेहरू के समय से रूस के साथ हमारा सम्बन्ध हमेशा से ठीक रहा है। भारत ने स्वतन्त्र तरीके अनके राष्ट्रों से अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने की कोशिश की। यहाँ तक ऐशिया मे चीन के साथ कभी भी भारत ने विश्वासघात नहीं किया जबकी चीन का रवेया हमारे प्रति कभी भी स्थायी रूप से ठीक नहीं रहा इस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान से भी हमेशा सम्बन्ध अच्छा रखने का प्रयास किया है लेकिन दोनों ही देशों की नीति भारत विरोधी है। भारत सभी राष्ट्रों का विश्व कल्याण के मुद्दे पर समर्थन करता है साथ ही सभी अनुचित कार्यों की आलोचना भी करता है फिर चाहे वह कोई भी राष्ट्र क्यों न हो। स्वतंत्र भारत के विदेश नीति की जो लकीर पण्डित नेहरू ने खींची थी आज भी भारत के विदेश नीति का मूल आधार वही हैं। ऐसा नही कि उनके

द्वारा लिए गये सभी निर्णय शत-प्रतिशत सही ही थे पर भारत के विदेश नीति के लिए उन्होंने जो कार्य किए वह भारत के लिए आज भी प्रांसगिक हैं।

सन्दर्भ

1. Appadorai : Domestic Roots of India's foreign policy, page no.2
2. खन्ना, वी०एन, अरोड़ा, भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिकेशन हाउस प्रा० लि० नोएडा, यू०पी० पृष्ठ-1।
3. जैन, बी० एम, प्रमुख देशों की विदेश नीतिया, द्वितीय संस्करण, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकादमी, जयपुर, पृष्ठ-23।
4. माइकल ब्रीचर, नेहरू ए पालिटिकल बायोग्राफी, लंदन 1959, पृष्ठ-564।
5. खन्ना, वी०एन, अरोड़ा, भारत की विदेश नीति चतुर्थ संस्करण, विकास पब्लिकेशन हाउस प्रा० लि० नोएडा, यू०पी०, पृष्ठ-21।
6. शर्मा, डॉ मथुरालाल, प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, कालेज बुक डिपों, जयपुर, पृष्ठ-155।
7. कुमार, महेन्द्र, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान्तिक पक्ष, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ-279।
8. जवाहरलाल नेहरू; जीवन कृति एवम् कृतिव, सम्पादन- सुभाष कश्यप लोकसभा सचिवालय, एस चंद एण्ड क० लि०, नई दिल्ली, पृष्ठ-259।
9. शर्मा, डॉ मथुरालाल, प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, कालेज बुक डिपों, जयपुर, पृष्ठ-161।
10. जवाहरलाल नेहरू; जीवन कृति एवम् कृतिव, सम्पादन- सुभाष कश्यप लोकसभा सचिवालय, एस चंद एण्ड क० लि०, नई दिल्ली।
11. मेहता, जीवन, भारतीय राजनीतिक चिंतक, एस०बी०पी०डी० पब्लिशिंग हाऊस, आगरा, पृष्ठ-255।
12. नेहरू, जवाहरलाल, यूनिटी आफ इण्डिया, पृष्ठ-279।
13. गोपाल, एस, नेहरू एन० एन्थोलाजी, दिल्ली, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1989, पृष्ठ-412।
14. मेनन, के०पी०एस०, इण्डिया एण्ड द सोवियत यूनियन, दिल्ली, पृष्ठ-136।
15. नायडु, स्वयन्था कोना, नेहरू का भारत और 1956 का संकट, रेल मंत्रालय भारत सरकार, यूनिवर्सिटी आफ पेनेसिलवेनिया 2016।
16. नंदा, बी० आर०, जवाहरलाल नेहरू- विद्रोही व राजनेता, सांराश प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ-269।
17. रिखी, जयपाल, आइडियॉज एण्ड इश्यूज इन इंडियन फारेन पॉलिसी, पृष्ठ-434



पत्रकार नरेन्द्र मोहन की कविताओं का मिथकीय अनुशीलन

लक्ष्मीनाथ पाण्डेय

मिथक की सत्ता जीवन के समस्त स्तरों पर प्रभाव करती रहती है। साहित्य का उसके साथ निकट का सम्बन्ध है आदिम मनुष्य अचेतन मन के संस्कार मिथक में व्यक्त करता है। उसी प्रकार साहित्यकार भी अपने अचेतन मन के संस्कारों को वाणी देता है। मिथक एवं साहित्य की रचना प्रक्रिया अपने में एक बृहत् साम्य रखती है। दोनों के माध्यम से सार्वभौमिक अनुभूतियों की ही अभिव्यक्ति होती है फिर भी दोनों में पार्थक्य की रेखा भी बराबर बनी हुई है और वह यह कि मिथक में किसी राष्ट्र के सामूहिक अचेतन की अभिव्यक्ति होती है। वह एक सामूहिक स्वप्न होता है जबकि साहित्य में साहित्यकार के वैयक्तिक अचेतन की अभिव्यक्ति होती है लेकिन पूर्णतः ऐसा नहीं है कि साहित्य मूलतः अचेतन की ही उपज है बल्कि यह कि जहाँ तक साहित्य की मिथकीयता का प्रश्न है वह भले ही अचेतन की उपज माना जाय किन्तु मिथकीयता के साहित्य को कोरा अचेतन व्यापार मानना न सिर्फ तर्कसंगत नहीं होगा बल्कि साहित्यकार की नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा का तिरस्कार भी होगा और तब साहित्य को सामाज्य का सृष्टा ही नहीं दृष्टा मानने में भी आपत्ति होगी।

भारतीय मिथक साहित्य में दैवीय शक्ति, देवताओं की परिकल्पना बहुत ही प्राचीन मानी जाती है। असीम शक्तियों से परिपूर्ण इन दैवीय विभूतियों का वर्गीकरण दो रूपों में मिलता है। जो मानव को जीवित रहने में, प्रेरित करने में, संबल देने में सहायता प्रदान करते हैं वह देव शक्तियां कहलाती हैं, इसके विपरीत जो आत्मरत रहते हुए आत्म सुख के लिए सबको कष्ट देती हैं वह दानव कहलाती हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्र, हनुमान, रुद्र आदित्य, इंद्र, बृहस्पति, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, राम, कृष्ण, बुद्ध, कार्तिकेय, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, काली जैसी अलौकिक शक्तियां मानव की आत्मबल का प्रतीक हैं, उनको सही राह दिखाने वाली, मार्गदर्शन करने वाली, बुरी शक्तियों को पराजित करने वाली शक्ति के रूप में पुराकथाओं में स्थापित हैं तो वहीं रावण, कुंभकरण, कंस, महिषासुर, जैसे आसुरी शक्तियों में भी मिथक के आधार दिखाई देते हैं।

नरेन्द्र मोहन एक श्रेष्ठ पत्रकार होते हुए भी एक संवेदनशील कवि के रूप में ख्यात हैं। जिनकी कविताओं के अब तक कुल छः काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। जो क्रमशः हैं— 'अमृत की ओर' 1995, 'दासत्व से उबारो' 1996, 'तुम्हारा संगीत' 1997, 'खोलो द्वार' 2001, 'सत्य की धूप' 2003, 'प्रेम की भाषा' 2004 में प्रकाशित हो चुकी हैं। सभी काव्य संग्रह में अधिकतर रचनाएं आध्यात्मिक भावना से ओतप्रोत दिखायी देती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न पत्र पत्रिकाओं 'शोध छात्र— सिद्धार्थ विश्व विद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

में भी उनकी रचनाएँ प्रकाशित होती रही है। कविताई के वादों से दूर रहकर जिस तरह उन्होंने कविता को उसके वास्तविक सरोकारों से जोड़ रखा है। वह प्रशंसनीय ही नहीं अदभुत भी है अदभुत इस मायने में की जहाँ आधुनिक काल में ईश्वर मर गया है जैसे उद्घोष जनमानस को आक्रान्त करते रहे हैं और वह ईश्वर के प्रति संशयग्रस्त सा हो गया है वहीं इस संशयात्मकता के बीच से एक बार फिर मानव को ईश्वर की गहनानुभूतियों से जोड़ने का उपक्रम न केवल नया है। हृदयाहलादक भी है। कविता को व्यावसायिक वस्तु की सत्ता से बाहर लाना और उसे शुद्ध भावानुभूति की कसौटी पर कसना तथा इस कसाव में भी एक व्यंग्यात्मक सजगता यह उन्हें अन्य कवियों से प्रथम दृष्टया ही अलग कर देती है और इसी तरह उनकी कविताओं की अध्यात्मिकता भी मध्यकालीन प्रपत्तिभाव न होकर उससे कहीं एक कदम बढ़ी हुई है। जिसमें ईश्वर को पुनः एक नया रूपाकार भी देने का प्रयास किया है और ईश्वर मात्र कपाल, विराट, अनादि, अनन्त, निरंजन, तथा निर्लिप्त ही नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयों को अनावृत करने वाला एक संगठित प्रतीक भी है।

डा० सुमनराजे जी ने इनकी आध्यात्मिक कविताओं का बड़ा ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है। नरेन्द्र मोहन जी की कविताओं के अन्तस् में डूबने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कविताएँ परम्परागत आलोचना से इतर कुछ अधिक की माँग करती हैं।

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भक्त सिर्फ भक्त होता है। अनन्यता उसकी पहली और अन्तिम शर्त होती है। रूपाकार हो अथवा नहीं, इस परमात्मा से एक रागात्मक सम्बन्ध निर्मित होता है। सम्बन्ध यहाँ भी है परन्तु वह दार्शनिक और वैचारिक है। यही वैचारिक अन्तर इन्हे मध्यकालीन भक्त कवियों से पृथक एक नयी पहचान देता है। जैसा कि कहा गया है कि इनकी कविताओं में ईश्वर के प्रति दृढ निष्ठा होते हुए भी उनमें अपने होने की प्रक्रिया भी दृढतर है। यह स्वयं के होने की प्रक्रिया ही को एक मिथकीय ढाँचा देते हुए कविता को स्वानुभूति के स्तर पर ग्राह्य तो बनाती ही है। साथ ही पाठक वर्ग के साथ भी उचित रागात्मक सम्बन्ध जोड़ती है। मिथकीय चेतना से प्रवाहित कविताओं में मिथक के जो भी पारम्परिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, दैवीय, धार्मिक आदि आधार माने जाते हैं वे सभी नरेन्द्र मोहन जी की मिथकीय चेतना का आधार तत्व हैं। यथा शिवत्व, नहुष, कलुष, काल, महाकाल, मृत्यु, अंधकार, अद्वैत, त्रिशंकु, उर्वशी, ईसा, तक्षक, नचिकेता, अंशुमालि, प्रेत आत्मा, नाग-पाश, वृत्तासुर, कालकूट, भागीरथी, गंगा, हिमालय, रहस्य आदि। 'अमृत की ओर' नामक काव्य संग्रह जो सन 1995 में प्रकाशित हुआ है, की भूमिका उनके अत्यन्त अन्तरंग व्यक्तित्व डा० विधानिवास मिश्र ने लिखी है। उन्होंने लिखा है— "नरेन्द्र मोहन ने दो रंग की कविताएँ लिखी है। एक तो व्यंग्य और अक्रोश की तेवरदार कविताएँ हैं, वे इस संकलन में प्रायः नहीं है। दूसरी कविताएँ हैं आध्यात्म की। समकालीन गहरी तलाश की इस दूसरी कोटि की ही कविताओं का संकलन 'अमृत की ओर' में हुआ है।"¹

इस आध्यात्म के समकालीन गहरे तलाश की प्रक्रिया जैसे-जैसे गहराती गयी है। वैसे-वैसे कविताओं में कवि नें स्वयं के अपनेपन की तलाश हेतु कुछ बिम्बों का स्वाभाविक सृजन करते हुए कविता के मिथकीयता से आवृत किया है। संग्रह की पहली कविता 'अमृत की ओर' में कवि जैसे-जैसे अपने को अमृत तत्व की ओर बढ़ने का उपक्रम करता है। वैसे-वैसे समस्त दुनियावी बन्धनों से मुक्ति का प्रयास भी करता जाता है वह जानता है कि बिना इस जागतिक अन्तर्वृत्तियों से संघर्ष किये बिना सत्य का वास्तविक स्वरूप स्थिर नहीं हो सकता। वह परम ज्योति के प्रकाश बिम्ब में अपने सारे कालुष्य को धो देना चाहता है और इस कृम में वह उस विराट की ओर खिंचता चला जाता है? और एक स्तर पर लगता है कि जैसे ऋग्वेद के सवित सूक्ति की ऋचाएँ स्वयं संस्कार होती जा रही है। किन्तु कहीं गहरे में कवि की अपनी इयत्ता शायद आन्दोलित भी होती रहती है। वे अपने प्रथम काव्य संग्रह 'अमृत की ओर' में संसार के अंधेरे से केवल स्वयं ही नहीं मुक्त होना चाहता बल्कि सम्पूर्ण मानवता के साथ प्राणिमात्र की मुक्ति चाहता है—

अहंकार का प्रेत/मुझे सताने न पाये
प्रकाश का अभिमान/मुझे मुकुट न पहनाये
अंधकार का भय

आज वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया चरम पर है उसने किसी एक को अब अपने आप में अवमुक्ति नहीं रहने दिया है। हम व्यापक स्तर पर एक विराट समाज से जुड़े हैं और इस जुड़ने की प्रक्रिया में भी एक प्रकार की सामान्यता रही है। अपने होने का बोध जहाँ प्रबलतम है वहाँ विशिष्ट होते हुए भी एक स्तर पर अपने को सामान्य से जुड़ा हुआ पाता है। बात यह कि मिथक आज केवल किसी एक भाषा के नहीं बल्कि भाषा की सामान्यता के अनिवार्य धर्म से हो गये हैं। हाँ जहाँ ये भाषा की सामान्यता में पर्यवसित होकर नये मानव की अनुभूतियों की विम्बमाला नहीं प्रस्तुत कर पाये वहाँ वे भले ही मात्र कौतुक बनकर रह गये हों। पौराणिक कथाओं के इसी प्रसंग को स्पष्ट करती हुई नरेन्द्र मोहन जी की कविता 'सत्य के नाम पर' दृष्टव्य है—

सत्ता सुख भोगती रही
और.....
बेचारा ईसा ही मरता रहा
सुकरात विष पीता रहा
जेल में सड़ता रहा

नरेन्द्र मोहन जी के प्रकाशित सभी काव्य संग्रहों यथा—अमृत की ओर, दासत्व से उबारो, खोलोद्वार, तुम्हारा संगीत, सत्य की धूप और प्रेम की भाषा का मिथकीय दृष्टि से मूल्यांकन करने के प्रसंग में एक विचारणीय बात यह उभर कर आती है कि कवि ने धार्मिक मिथकों को ही बारम्बार प्रयुक्त किया है यह जरूर है कि कहीं प्रस्तुति में उसे सफलता मिली है और कहीं वह आरोपित धर्म सा हो गया है। इसके पीछे कौन से कारक सक्रिय रहें हैं, प्रमाणों के आभाव में कुछ कह पाना कठिन सा हो जाता है। यदि विचारपूर्वक देखा जाए तो यह बात सामने आती है कि कोई भी कवि जो रचनाधर्मिता का साकार बिम्ब होता है, कहीं न कहीं किसी स्तर पर एक गहरी स्तरीयता का भागी होता है। यह स्तरीय आलम्ब अनेकानेक हो सकते हैं और जिस स्तरीय आलम्ब का दबाव रचनाकार पर कुछ अधिक होता है वह दूसरे आलम्बनों को दबा नहीं पाता तो आच्छादित जरूर कर देता है। रस की अवधारणा के सन्दर्भ में इस प्रकरण को कुछ और गहरे से समझा जा सकता है। किसी खास स्थायी भाव के उद्दीपन काल में दूसरे स्थायी की स्थिति कुछ नगण्य सी हो जाती है यह आच्छादन जितना ही प्रबल होता है उतना ही किसी खास रस के पूर्ण परिपाक का कारण बनता है। पर इतना सब कुछ होते हुए भी गौणतः ही सही अन्य स्थायियों की भी सत्ता रहती है भले ही वह आवृत्त हो। यह आवरण की प्रक्रिया ही उस तत्व का कार्य करती है जो किसी विशिष्ट रस के परिपाक और रस संक्रमण से निजात का कारण बनती है। कुछ ऐसी ही स्थिति शायद किसी रचनाकार के किसी एक क्षेत्र में सक्रिय होने पर होती है। और रचनाधर्मिता जिसका वह खास हेतु है किसी एक क्षेत्र में सफल वा दूसरे में असफल नहीं, तो अल्पसफल से वातावरण में पहुँचा देती है।

'दासत्व से उबारो' संग्रह की कविता 'उर्वशी आती है' मिथकों के सांस्कृतिक सन्दर्भों को भाषा की जातीयता से और मजबूती से जोड़ती है। पूरी कविता एकदम सपाट भले दिखती हो पर यह सपाटबयानी केवल शब्दकौतुक नहीं बल्कि एक संवेदनशील कविता की सृष्टि करती है। कई पौराणिक सन्दर्भ एक तरह से पूरी कविता में घुलमिल गये हैं और घालमेल ही कविता को सामान्य भावभूमि प्रदान करने में समर्थ होता है। कविता में उर्वशी इन्द्र, अहल्या, गौतम,

विश्वामित्र आदि धार्मिक आस्था की पीठिका उतारकर जैसे आधुनिक मानव की विडम्बनाओं के साक्षी बन जाते हैं। चरित्र को इस बदले हुए परिवेश की निष्ठुरता के एकत्व संस्थापन में विनियोजित ही कर देता है –

‘हर युग का विश्वामित्र
जो रहता सराबोर कर्मकाण्ड में
श्वास लेता पाखण्ड में
प्रिय है जिसे अहंकार
न जान सका जो संसार
बताने को उसे सृजन का सत्य
सुनाने को ऋत का महत्व,
जीवन समत्य/उर्वशी आती है ।’

नरेंद्र मोहन जी की कविताएं अधिकतर आध्यात्मिक भावना से प्रेरित हैं। रचनाकार अपने अंतर्मन की भावनाओं को आत्मप्रसारोन्मुखी कविताओं के द्वारा व्यक्त करता है। उनकी कविताएं आह्लाद केंद्रित होकर जीवन में इसकी रचना करती हैं। उस आह्लाद को पाने की प्रक्रिया में रचनाकार अपने जीवन में रस का अनुभव करने लगता है और यह अभ्यंतर रसानुभूति जीवन में विराट परिवर्तन उत्पन्न कर देती है, यह परिवर्तन कब और किस दिशा से होता है कोई नहीं जानता। चिंता का एक क्षण भी किसी विचार मंथन से दीप्त होकर कवि के मानस में तीव्र इस संचार उत्पन्न कर देता है। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार कर उसके सानिध्य के लिए पूरी दृढ़ता से अपनी रचनात्मकता को मिथकीय चेतना से परिपूरित कविताओं में प्रस्तुत करता है। सदियों से भारतीय संस्कृति में जो मान्य मिथक रहे हैं उन अधिकांश मिथकों का प्रयोग रचनाकार नरेंद्र मोहन ने अपनी अधिकतर कविताओं में किया है। उनके सभी काव्य संग्रह में मिथक का सहज प्रवाह दिखाई देता है— विग्रह, जगा दो जिज्ञासा, अध्यात्म, त्रिशंकु, हे मृत्यु देव, अज्ञात से नाता, मृत्यु की छाया, तुम मुझे डूबने दो, अंधेरो का साम्राज्य, हे स्वामी, मोहपाश, ब्रह्म, तृष्णा, रक्षा कवच, नचिकेता का मैं वंशज हूँ। जैसी अनगिनत कविताएं मिथकीयता के चेतना से सराबोर और दिखाई देती हैं। हे अन्तश्चेतना कविता में रचनाकार कहता है –

है रहस्यमयी/हे पद्मासन
तुम तोड़ दो उन श्रृंखलाओं को
स्वर्ण निर्मित मेखलाओं को
अंधकार पुत्रों ने/जिनसे मुझे बांधा है
अपना स्वार्थ साधा है/तुम सुनो मेरा क्रंदन
खोलो मेरे बंधन/मुझे आगे बढ़ने दो
समय की गति को पढ़ने दो/और सुनने दो
वह सत्य संगीत/जो तुम नित्य बजाती हो
मैं करता हूँ तुम्हारा नमन/करता हूँ तुम्हारा वरण
आया हूँ तुम्हारी शरण/तुम मुझे स्वीकार करो
नचिकेता सा साहस दे/मुझे भी अब कृतार्थ करो।

संदर्भ

1. मिथक और साहित्य– डॉ० नगेन्द्र
2. अमृत की ओर– नरेन्द्र मोहन
3. दासत्व से उबारो– नरेन्द्र मोहन
4. खोलो द्वार– नरेन्द्र मोहन
5. सत्य की धूप– नरेन्द्र मोहन
6. प्रेम की भाषा– नरेन्द्र मोहन
7. तुम्हारा संगीत– नरेन्द्र मोहन



प्राथमिक कक्षाओं में गणित का महत्व

रवि प्रताप सिंह

प्राथमिक कक्षा में गणित का अध्ययन बच्चों के लिए सम्भावनाओं का दरवाजा खोल सकता है। यह उन्हें अनेक कैरियर और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता पाने की संभावना प्रदान करता है। गणित का अध्ययन बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। यह उनकी सोचने की क्षमता को मजबूत करता है और लभजिकल और विचारशीलता कौशलों को विकसित करता है। गणित बच्चों को आवश्यक जीवन कौशल सिखाता है, जैसे कि धन की व्यवस्था, समय का प्रबंधन, और बजट तैयारी। यह उनके जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है। गणित बच्चों को मौलिक गणित कौशलों का निर्माण करने में मदद करता है, जैसे कि गिनती, जोड़ना, घटाना, और गुणा करना। ये कौशल उनके बुद्धिमत्ता के विकास में महत्वपूर्ण हैं। गणित का अध्ययन बच्चों के व्यक्तिगत विकास को संवादनशीलता, आत्म-संवाद, और सहयोगिता में सहायक बनाता है। गणित का अध्ययन बच्चों के अधिगम कौशल को बढ़ावा देता है और उनके शिक्षा कार्यक्रम में प्रगति करने में मदद करता है। इसलिए, प्राथमिक कक्षा में गणित का अध्ययन बच्चों के शिक्षा और विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह उनके जीवन में सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है।

प्रस्तावना :-

गणित एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे शैक्षिक प्रणाली में विशेष महत्व रखता है। यह विषय हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विकास के लिए आवश्यक है। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित का महत्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह छात्रों का मानसिक विकास, सोचने की क्षमता, और समस्या-समाधान कौशल को सुधारने में मदद करता है। गणित की पढ़ाई करने से छात्र नंबर्स, पैटर्न्स और लॉजिक को समझने और प्रयोग करने की क्षमता विकसित करते हैं। इसके अलावा, गणित सीखने से उनकी गणना क्षमता, समस्या-समाधान कौशल और विज्ञानात्मक सोच में सुधार होता है। इस पेपर में हम विशेष रूप से जांचेंगे कि प्रारंभिक कक्षाओं में गणित की शिक्षा के महत्व को समझने के लिए कैसे विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है और इसके शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अद्यतन और प्रभावी तरीकों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है।

उद्देश्य :-

प्राथमिक कक्षा में गणित का अध्ययन बच्चों के लिए सम्भावनाओं का दरवाजा खोल सकता है। यह उन्हें अनेक कैरियर 'प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय धौरहरा, शिक्षा क्षेत्र-कर्नलगंज, जनपद-गोण्डा, उत्तरप्रदेश.

और जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता पाने की संभावना प्रदान करता है। गणित का अध्ययन बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देता है। यह उनकी सोचने की क्षमता को मजबूत करता है और लोजिकल और विचारशीलता कौशलों को विकसित करता है। इस शोध के माध्यम से हम उन तरीकों को जान सकेंगे जिसके प्रयोग से प्राथमिक स्तर के बच्चों में गणित की सीख बढ़ाई जा सके। रिसर्च पेपर लिखने का मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान को खोजना, दस्तावेज करना और उसे वैज्ञानिक समुदाय के साथ साझा करना होता है। यह एक शैलीकृत रूप से लिखा जाता है जो किसी विशिष्ट शोध के परिणामों को प्रस्तुत करता है, जिससे वैज्ञानिक समुदाय को उन जानकारियों तक पहुँचने में मदद मिलती है जो उनके क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इस रिसर्च पेपर को लिखने के प्रमुख उद्देश्य भी उक्तवत ही हैं।

मैथोडोलॉजी :-

1-सांख्यिकी डेटा विश्लेषण :- प्रारम्भिक कक्षाओं में गणित के महत्व को प्रमाणित करने के लिए छात्रों के गणित के प्रदर्शन के सांख्यिकी डेटा को एकत्र किया गया। इसके बाद, इस डेटा का विश्लेषण किया गया और देखा गया कि गणित के पढ़ाने से छात्रों के अक्षर-गणित ज्ञान और उनके कौशल में कैसे सुधार और समस्याएं समझी गईं।

2-प्रश्नोत्तरी और सर्वेक्षण :- गणित के प्रदर्शन के संदर्भ में छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच प्रश्नोत्तरी और सर्वेक्षण का आयोजन करके, उनके अनुभव और दृष्टिकोणों को जाना गया।

3-वाद-विवाद विश्लेषण :- गणित के प्रदर्शन के लिए वाद-विवाद विश्लेषण का प्रयोग करके जिसमें गणित के पढ़ाने का प्रभाव और विवाद के आलोचनात्मक पक्ष को समझा गया।

4-केस स्टडी :- एक या एक से अधिक प्रारम्भिक कक्षाओं में गणित के प्रदर्शन की एक केस स्टडी कराई गई, जिससे गणित के महत्व के प्रति छात्रों और शिक्षकों से जानकारी इकट्ठा की गई।

5-अनुभव साझा करना :- इस कार्य में विभिन्न अध्यापकों, अभिभावकों और छात्रों के अनुभव को एकत्र किया गया। सभी ने एक दूसरे से अपने अनुभव को साझा किए। गणित बच्चों को आवश्यक जीवन कौशल सिखाता है, जैसे कि धन की व्यवस्था, समय का प्रबंधन, और बजट तैयारी। यह उनके जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है। गणित बच्चों को मौलिक गणित कौशलों का निर्माण करने में मदद करता है, जैसे कि गिनती, जोड़ना, घटाना और गुणा करना। ये कौशल उनके बुद्धिमत्ता के विकास में महत्वपूर्ण हैं।

गणित का अध्ययन बच्चों के व्यक्तिगत विकास को संवादनशीलता, आत्म-संवाद और सहयोगिता में सहायक बनाता है। गणित का अध्ययन बच्चों के अधिगम कौशल को बढ़ावा देता है और उनके शिक्षा कार्यक्रम में प्रगति करने में मदद करता है। इसलिए प्राथमिक कक्षाओं में गणित का अध्ययन बच्चों के शिक्षा और विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है और यह उनके जीवन में सफलता पाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है। प्राथमिक कक्षाओं में गणित का अध्ययन मौलिक कौशलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बच्चों की शिक्षा के माध्यम से उनके विकास को प्रोत्साहित करता है। यह न केवल गणितीय ज्ञान का स्रोत होता है, बल्कि यह उनके मानसिक और आचारिक विकास को भी संवादनशीलता, लोजिकल सोच, समस्या समाधान कौशल और सामाजिक सहयोग की दिशा में सहयोग करता है। गणित का मौलिक अध्ययन बच्चों को गणना, मापन, आकारों और आंकड़ों के साथ खेलने और अधिगम करने का मौका प्रदान करता है। यह उनके मानसिक विकास को बढ़ावा देता है, जैसे कि वे संख्याओं को समझने, जोड़ने, घटाने, और गुणने की क्षमता विकसित करते हैं। इसके अलावा, गणित के पढ़ाए जाने से बच्चों की लोजिकल सोच और समस्या समाधान कौशल में सुधार होता है, जिससे उन्हें दैनिक जीवन में सामान्य समस्याओं का समाधान करने की क्षमता मिलती है। गणित के पढ़ाए जाने से बच्चों का स्वावलंबन भी बढ़ता है। जब वे स्वयं समस्याओं

का समाधान खोजते हैं, तो उन्हें स्वयं का संवादन और समर्पण मिलता है। गणित के अध्ययन से बच्चे अंगकोण कौशल भी सीखते हैं, जो उनके शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन्हें आकारों, संख्याओं, और मापन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है, जो उनके शारीरिक गतिविधियों में मदद करता है। गणित का प्राथमिक कक्षा में अध्ययन बच्चों के भविष्य में और उच्चतर शिक्षा में भी उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। यह उन्हें तकनीकी और विज्ञानिक विभागों में अध्ययन करने के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है। इसके अलावा, गणित उन्हें सामाजिक और आर्थिक समझ के साथ साक्षरता की ओर बढ़ने का माध्यम भी बनाता है। मौलिक कौशलों का विकास: प्राथमिक कक्षा में गणित का अध्ययन बच्चों के मौलिक कौशलों का विकास करता है। यह उन्हें गणना, गिनती और मात्राओं का सामर्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है। इसके अलावा, गणित बच्चों को स्वतंत्रता और आत्म-विश्वास की भावना दिलाता है क्योंकि वे खुद से संख्याओं को जोड़ने और समस्याओं का समाधान करने के लिए समर्थ होते हैं।

गणित स्वतंत्रता का माध्यम है। गणित बच्चों को समस्याओं का समाधान खोजने के लिए स्वतंत्र रूप से सोचने का अवसर प्रदान करता है। जब वे स्वतंत्रता से समस्याओं का समाधान करते हैं, तो वे अपने आप में विश्वास करने लगते हैं।

गणित सहयोग और सम्प्रेरणा का माध्यम है। गणित अकेले काम करने की बजाय सहयोग और सम्प्रेरणा का माध्यम देता है। इसके परिणामस्वरूप, वे अपने साथीगणों से समझदारी सीखते हैं और अधिक सहायक होते हैं। यह उनके आत्म-विश्वासको बढ़ावा देता है।

गणित का अध्ययन एक अभियांत्रिक सोच को बढ़ावा देता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अभियांत्रिक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे वे समस्याओं को नई और नवाचारी तरीकों से हल करना सीखते हैं।

गणित बच्चों को नैतिक मूल्यों के साथ अवसरों का परिचय कराता है। यह उन्हें अधिक समझदार और संवेदनशील बनाता है और उनका आत्म-विश्वास बढ़ता है क्योंकि वे अधिक सक्षम होते हैं समाज के लिए कुछ करने के लिए।

गणित बच्चों की लोजिकल सोच को विकसित करता है। यह उन्हें समस्याओं को हल करने के लिए तरीके खोजने में मदद करता है और उनकी कृतिक विचारशीलता को बढ़ावा देता है।

गणित बच्चों को आवश्यक जीवन कौशल सिखाता है। जैसे कि धन की व्यवस्था, समय का प्रबंधन और गणितीय समस्याओं का हल निकालना। यह उनके जीवन में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण है।

गणित बच्चों के अधिगम कौशल को बढ़ावा देता है। यह उनके बुद्धि विकास को सहयोग करता है और उन्हें अधिगम क्षेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करता है और नई समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उनके मानसिक समझ को बढ़ावा देते हैं।

गणित शिक्षा बच्चों के लिए सामाजिक और सांकेतिक बोझ को कम कर सकती है। यह उन्हें स्वतंत्रता का अहसास दिलाती है, क्योंकि वे अपने सोचने और समस्याओं को समझने में स्वावलम्बी होते हैं। गणित शिक्षा न केवल गणित क्षेत्र में ही लाभकारी होती है, बल्कि यह अन्य क्षेत्रों में भी मदद कर सकती है। गणित कौशल को आत्म-सुन्दरता से अपनाने से वे अन्य विषयों में भी अधिगम करने में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और इंजीनियरिंग में।

सुझाव :-

प्रत्येक अध्यापकों और अभिभावकों को चाहिए कि वे छात्र में गणितीय सोच विकसित करें, उसका विस्तार करें, उसको आवश्यकतानुसार नया रूप दें। गणित पढ़ाने के लिए खिलौने का उपयोग किया जाए। कहानियों और गतिविधियों को माध्यम बनाया जाए। खिलौने का उपयोग किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया जाए। गणित को प्रैक्टिकल के विषय के रूप में लेना होगा। गणित का प्रयोग दैनिक जीवन से जोड़कर होना चाहिए। गणित को सरल तरीके से सिखाना होगा। गणित से बच्चों को दूर नहीं करना है बल्कि सहज रूप देते हुए उसे आसान बनाना है। बच्चों को गणित सिखाने में मैथकिट्स का प्रयोग करना बेहतर होगा। इस शोध से पता चला कि गणित से कुछ बच्चे इसलिए दूर होते हैं जब गणित को एक कठिन रूप या विषय के रूप में दर्शाया या पेश किया जाता है। अभिभावकों और अध्यापकों को चाहिए कि वह इस तरीके से बच्चे को सिखाएं कि बच्चे को आभास हो कि गणित एक आसान विषय है। इस शोध में सुझाव के रूप में बताए गए बिन्दुओं को आत्मसात करें।

सन्दर्भ

- 1–NCERT New Delhi के प्राथमिक कक्षाओं की गणित की पुस्तकें
- 2–बेसिक शिक्षा परिषद् उत्तरप्रदेश के स्कूलों में संचालित प्राथमिक कक्षाओं की गणित की पुस्तकें
- 3–Primary School Mathematics डॉर्लिंग किंडर्सली द्वारा प्रकाशित
- 4–Early Bird Mathematics पेयर्सन प्रकाशन



उत्तर-प्रदेश में दलीय प्रणाली का विकास : एक विश्लेषण (स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर 2010 तक के दशक तक के उत्तर प्रदेश की राजनीति के विशेष सन्दर्भ में)

प्रोफेसर ऋषिकेश सिंह '

भारत में एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत लम्बा समय लगा। स्वतंत्रता के पूर्व भारत विभिन्न लघु एवं असमान प्रतिरूपों में विभाजित था जो विभिन्न मुद्दों पर संघर्षरत थे। सर्वप्रथम एकीकृत भारत का विचार औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के मस्तिष्क में आया यद्यपि यह उनके आर्थिक एवं राजनीतिक हितों का प्रतिफल था। इस पूरी प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। पूर्वोत्तर काल में उत्तर प्रदेश को अवध एवं आगरा का संयुक्त प्रांत कहा जाता था लेकिन औपनिवेशिक काल में जब भारतीय राज्यों को पुनर्गठित एवं सुनियोजित किया जा रहा था तब इसे वर्तमान नाम प्राप्त हुआ। बंगाल नागरिक सेवा के एक अधिकारी क्रुक्स ने उत्तर प्रदेश की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा है कि "सभी भारतीय प्रांतों में उत्तर प्रदेश सर्वोच्च रुचि एवं विमर्श वाला प्रांत है। अपने संक्षिप्त रूप में यह भारत को प्रदर्शित करता है। इसके पास उच्च गुणवत्ता एवं उर्वरा शक्ति से युक्त मृदा है। यह प्रांत दुर्भिक्ष के प्रभावों से अछूता रहा है क्योंकि यहाँ सिचाई प्रणाली अत्यन्त उन्नत है। अन्य क्षेत्रों से इसका जुड़ाव प्रशंसनीय है क्योंकि यहाँ विकसित परिवहन तंत्र उपस्थित है।"

उत्तर प्रदेश का जनसांख्यिकी आधार :- स्वतंत्रता के उपरांत अनेक मायनों में उत्तर प्रदेश की स्थिति सृष्टि थी क्योंकि भारत में जो राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उन्नत हैं वह अन्य राज्य की तुलना में संसद में ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत की संघीय प्रणाली में अन्य राज्यों की तुलना में उच्च एवं महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति अपने आप में विलक्षण है। यह गंगा की घाटी में समतल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है जो सघन जनसंख्या के लिए नितान्त अनुकूल है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें संख्या बल का विशेष महत्व होता है। उत्तर प्रदेश के पास एक बड़ा क्षेत्रफल है। यह संसद के निम्न सदन अर्थात् लोकसभा में 80 सदस्य भेजता है इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली में स्थित राजनीतिक सत्ता का पथ उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को नियंत्रित कर सकता है वह संघ स्तर की राजनीति को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। यहाँ होने वाले परिवर्तन प्रगतिशील एवं व्यापक प्रभावों से युक्त होते हैं तथा राज्यों को राजनीतिक रूप से प्रभावित करते हुए इसकी परिधि से बाहर निकलकर राष्ट्रीय राजनीति पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं।

यह एक सर्वविदित तथ्य है कि उत्तर प्रदेश एक बड़े क्षेत्रफल वाला राज्य है और इस दृष्टि से यह भारतीय

प्राचार्य, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, लालगंज, आजमगढ़, उ० प्र०।

संघवाद की विभिन्न इकाईयों के मध्य चौथा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,42,290 वर्ग कि.मी. है तथा यहां पर 20.42 करोड़ लोग निवास करते हैं एवं इसमें कुल जिलों की संख्या 75 है। इतने बड़े भूभाग की व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करना निःसंदेह दुस्कर कार्य है। दूसरे इतने बड़े वृहद भूक्षेत्र वाले प्रदेश में क्षेत्रीय विषमता अत्यधिक है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग शेष क्षेत्रों से ज्यादा उन्नत है। बहुत पहले से ही यह क्षेत्र 'हरित जोन' रहा है जहाँ का कृषक वर्ग धनी और सम्पन्न था क्योंकि यह क्षेत्र उपजाऊ मृदा क्षेत्र से युक्त है जहाँ उत्कृष्ट सिंचाई प्रणाली और विकसित यातायात, समृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश के इस भाग ने अपनी विकास यात्रा का आरम्भ विशुद्ध कृषि से की लेकिन वर्तमान में यह महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के रूप में ख्यातिलब्ध है। उत्तर प्रदेश में औद्योगीकरण का आरम्भ इसी क्षेत्र में हुआ तथा बदलते समय में इसने नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श किया। उत्तर प्रदेश का मध्य भाग भी कृषि एवं उद्योग की दृष्टि से सम्पन्न है परन्तु किन्तु बाकी के दो हिस्से बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल विकास की धारा से अभी भी विलग है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जिसे पूर्वान्चल कहा जाता है अभी भी विपन्न है। यद्यपि यह क्षेत्र भी उपजाऊ भूमि का है परन्तु उन्नत सिंचाई तथा आधारभूत संरचना के कारण यह क्षेत्र अभी भी विकास की दौड़ में पिछड़ा हुआ है। यह पूर्वांचल के पिछड़ेपन का पहला आयाम है, इसका दूसरा आयाम यह है कि राज्य स्तरीय एवं केन्द्र स्तरीय नेतृत्व की उदासीनता।

इसी विषमता एवं क्षेत्रीय पिछड़ेपन ने उत्तर प्रदेश के पुर्नगठन की मांग को गति प्रदान की है तथा क्षेत्रीय नेतृत्व ने इसे मुख्य धारा की राजनीति में पहचान दिलाने का कार्य किया है। क्षेत्रीय दलों ने समय-समय पर क्षेत्रीय पुर्नगठन की मांग उठाई है। अधिकांश नेतृत्व ने इसको चार भागों में पुर्नगठित करने का समर्थन किया है – पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखण्ड और पूर्वांचल। इस तरह के पुर्नगठन का मूल उद्देश्य उन क्षेत्रों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना है जो वर्तमान में विपन्न है तथा क्षेत्रीय विषमता का पर्याय बन चुके हैं। क्षेत्रीय विषमताओं के साथ-साथ जनसंख्या विश्लेषण भी आवश्यक है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में हिन्दू बहुसंख्यक है, जो कुल जनसंख्या का 84.4 प्रतिशत है, वहीं सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग मुस्लिम है जिसकी हिस्सेदारी 14.4 प्रतिशत है। इन वर्गों की उपस्थिति एक मिश्रित संस्कृति को जन्म देती है जिसका प्रभाव राज्य की राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीतिक पर भी पड़ता है।

उत्तर प्रदेश का आर्थिक आधार :- किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को उसकी निर्णायक शक्ति माना जाता है जो उस राज्य विशेष के अन्य आयामों को गतिशीलता प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश भारत के कृषि क्षेत्र का हृदय माना जाता है। यहां की 77.3 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण आबादी की है तथा 70 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है। यहां की प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर अन्य विकसित राज्यों यथा केरल, मिजोरम इत्यादि से बहुत कम है। आय का निम्न स्तर एवं कृषिगत निर्भरता के तत्व संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति को जन्म देते हैं। अगर हम विकसित राज्यों की तुलना उत्तर प्रदेश से करें तो इनके बीच अंतर को सरलता के साथ चिन्हित किया जा सकता है। जिन राज्यों में व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है वहां मतदान का व्यवहार भी पृथक प्रदर्शित होता है। विकसित राज्य के मतदाता राजनीतिक दलों की गतिविधियों को आसानी से पहचान जाते हैं वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीतिक वैचारिकी अभी भी संकीर्णता से आच्छादित है। आर्थिक पिछड़ेपन के कारण प्राचीन मुद्दे अभी भी राजनीतिक क्षितिज में प्रासंगिक बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश में मंदगति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था, निम्न साक्षरता दर तथा निम्न आय लोगों को अलाभकारी राजनीतिज्ञ मुद्दों की ओर ढकेलने का काम करती है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी राज्य की अर्थव्यवस्था वहां की राजनीति को मापने का अच्छा सूचक होती है।

उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक आधार :- भारतीय सांविधिक आयोग ने उत्तर प्रदेश के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा है कि समस्त भारतीय राज्यों में उत्तर प्रदेश एक अलग स्थिति रखता है। यहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग रहते हैं। इन दोनों समुदायों ने सांस्कृतिक समुदायवाद का विलक्षण उदाहरण पेश प्रस्तुत किया है जिसे 'गंगा जमुनी' तहजीब कहा जाता है।

मध्य भारत में धर्म राजनीति का एक अति महत्वपूर्ण तत्व रहा है और इस तथ्य में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश इसका केन्द्र बिन्दु रहा है। यहां हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों से सम्बन्धित उनके पवित्र स्थल विद्यमान हैं जैसे मथुरा, काशी, प्रयाग इत्यादि महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हैं वही देवबंद, अलीगढ़, कछौछा तथा देवाशरीफ मुस्लिम धर्म के महत्वपूर्ण स्थान रहे हैं। यह धार्मिक स्थल मात्र पवित्र ही नहीं बल्कि इनके कुछ राजनीतिक निहितार्थ भी हैं क्योंकि धर्म लोगों के जीवन तथा राजनीतिक व्यवहार में पूरी तरह गुम्फित है। 21वीं शदी में भी यह लोगों के जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबरी विध्वंस की घटना है जिसने भारतीय राजनीति को न केवल एक दिशा ही दी बल्कि इसे पूरी तरह परिवर्तित कर दिया। भारत में धर्म हमेशा से सामाजिक जीवन का यथार्थ रहा है लेकिन राजनीति में धर्म का पर्दापण विमर्श का विषय है, क्योंकि यहां नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता से युक्त हैं। स्वतंत्रता के उपरान्त इसकी प्रभावशीलता राजनीति के प्रांगण में शिथिल थी। इसके अनेक कारण हैं जैसे स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत, संविधान की संरचना, पंथनिरपेक्षता का विचार, कांग्रेस की सुदृढ़ स्थिति एवं नेहरू की सर्वमान्यता इत्यादि। जवाहर लाल नेहरू से लेकर इन्दिरा गांधी तक धर्म का प्रभाव राजनीतिक के ऊपर बहुत सीमित था। गठबंधन की राजनीति में भी यह अपना स्थान में असफल रहा लेकिन प्रदेश की जनसंख्याकिकी एवं धार्मिक विरासत की संरचना ऐसी थी कि एक समय पर धर्म और राजनीतिक का मिश्रण होना अवश्यभावी थी।³ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में हिन्दू 79.73 प्रतिशत, मुस्लिम 19.26 प्रतिशत, ईसाई 0.18 प्रतिशत तथा सिख 0.32 प्रतिशत हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म का पदार्पण ढाँचा विध्वंस के उपरान्त हुआ जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन की तलाश करने लगी। विध्वंस की घटना ने उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि को परिवर्तित करने का कार्य किया। अब राजनीति में हिन्दू आस्था का प्रश्न विचारणीय बन गया है। यद्यपि उत्तर प्रदेश की सक्रिय राजनीति में अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने इसको शिक्षित करने का प्रयास किया लेकिन नागरिकों के जीवन में धर्म के व्यापक प्रभाव एवं भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक उम्मीद ने इसे राजनीति की मुख्य धारा में बनाए रखा। अयोध्या की घटना से पूर्व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने उत्तर प्रदेश की पहचान एक ऐसे राज्य के रूप में स्वीकार कर ली थी जिसकी परम्परागत सामाजिक संरचना उनके हिन्दुत्व की वैचारिक संरचना के अनुकूल थी।

मुख्य धारा का नेतृत्व जिसमें लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी तथा उमा भारती प्रमुख थे जिन्होंने हिन्दुत्व की विचारधारा को उत्तर प्रदेश के राजनीतिक धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया। उत्तर प्रदेश की सामान्य जनमानस तक पहुंचने के लिए लालकृष्ण अडवाणी ने 'कार सेवा यात्रा' शुरू की तथा बौद्धिक विमर्श के अन्तर्गत इन्होंने संविधान में लिखी पंथनिरपेक्षता की अवधारणा को कांग्रेस की मिथकतापूर्ण एवं अल्पसंख्यकवाद की विचारधारा घोषित कर दिया। अडवाणी के इस कदम ने बहुसंख्यक हिन्दू जो अब तक हाशिये पर था को मुख्यधारा में लाने तथा निर्णायक राजनीतिक शक्ति बनाने का कार्य किया। इसका लाभ अयोध्या के बाद की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को मिला और उसने लोकप्रिय मतों का 30 प्रतिशत हिस्सा प्राप्त किया जिसका अर्थ 50 संसदीय सीट तथा 170 राज्य विधानसभा सीट था। 1 वर्ष बाद 1998 में इसमें और वृद्धि दर्ज की गई तथा इन्होंने 36 मतों के साथ 57 संसदीय सीट

प्राप्त की। इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे एक धर्म विशेष की घटना ने पूरे राजनीतिक समीकरण को बदल कर रख दिया तथा इसके आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्त की। वर्तमान में भी इन मुद्दों का महत्व बना हुआ है तथा ये राजनीति में अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वहन कर रही है।

भारत में जाति के आधार पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का विश्लेषण सामान्य विमर्श का हिस्सा है। जनसामान्य, चुनाव विश्लेषक तथा बौद्धिक विर्मशवादी ये भी इस मान्यता में विश्वास रखते हैं कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली का महत्वपूर्ण निर्धारक तथ्य है। जातिगत समुदाय निर्वाचन के नतीजों का निर्धारण करते हैं। ये सरकार के क्षेत्रीय, राज्यस्तरीय तथा राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के निर्धारण में दबाव समूह की भूमिका निभाते हैं। जाति का विचार राजनीतिक दलों की संरचना, उनके नेतृत्व तथा उनके कार्यक्रमों को प्रभावित करती है। भारत की लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया की क्रियाशीलता की वास्तविकता निःसंदेह रूचिकर है लेकिन यह संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता के सर्वाधिक प्रतिकूल है।

स्वतंत्रता के बाद से ही जाति ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने का कार्य किया है। विशेष रूप से निर्वाचनों के दौरान मतदान व्यवहार को इसने नई दिशा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश की प्रारम्भिक राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व था। इस दल को सर्वणों का पूरा समर्थन प्राप्त था एवं निचली जातियों का भी मत प्राप्त होता था। वर्ष 1989 से जाति जैसे कारक ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना महत्व प्राप्त करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस के पतन के कारण अन्य राजनीतिक दलों यथा भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तथा बहुजन समाज पार्टी को उभरने का अवसर प्राप्त हुआ। इन राजनीतिक दलों ने जातिगत आधार पर अपनी यात्रा प्रारम्भ की तथा विभिन्न जातियों से समर्थन का अनुग्रह किया। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति पर आधारित है तथा जाति एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गुट की भूमिका का निर्वहन करती है। जाति एवं राजनीति के मध्य सम्बन्धों को रेखांकित करते हुए रजनी कोठारी ने कहा कि "राजनीति में जातिवाद कमोवेश जातियों के राजनीतिकरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं।" मण्डल कमीशन ने प्रतिवेदन के प्रत्युत्तर में इन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ी जातियों कि शक्ति ने धर्म द्वारा बनाए गए अवरोधों को तोड़ने का कार्य किया है। जातियों ने समजातियों के लोगों को जोड़ने का कार्य किया चाहे वे एक धर्म से हो या दूसरे धर्म से हों।

जातियों की राजनीति में प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी नीतियों का निर्धारण जातियों को केन्द्र में रखकर करता है। वर्तमान समय में प्रमुख राजनीतिक दल विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व को अधिक महत्व देते हैं इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण उत्तर प्रदेश का अपना दल है। बनारस एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में पटेलों को साधने के लिए अनुप्रिया पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने मंत्री दिया है वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ एवं गोरखपुर में राजभरों एवं निषादों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन किया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2015 में ओ.बी.सी. मोर्चे का निर्माण किया जिसके अध्यक्ष एस.पी. सिंह बघेल हैं। उत्तर प्रदेश में अन्य दल यथा समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल इत्यादि जातियों की ही राजनीति करते हैं।

भाषा, भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम है यह न केवल उत्तर प्रदेश सरकार में बल्कि सम्पूर्ण भारत में विमर्श का विषय है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के क्रम में कितने प्रतिरोधों का सामना करना पड़ा है यह सर्वविदित है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाषा हिन्दी है जो थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पूरे प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में उर्दू भाषा का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है यह प्रदेश के बड़े हिस्से मुख्यतः नगरीय क्षेत्रों

के बड़े वर्ग एवं भाग द्वारा बोली जाती है। अगर हम प्रदेश की विभिन्न भाषाओं का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो हमें ज्ञात होगा कि यहां पर भाषाओं की मिश्रित संस्कृति देखने को मिलती है जहां पर प्रत्येक भाषा के शब्द दूसरी भाषा में प्राप्त होते हैं। यह समुदायवाद को बढ़ावा देती है तथा आपसी सौहार्द के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उन्मूलन भी करती है।

उत्तर प्रदेश का राजनीतिक एवं भौगोलिक आधार :- उत्तर प्रदेश का वर्तमान में उपस्थित राजनीतिक एवं भौगोलिक इतिहास बहुत लम्बा एवं प्राचीन है। उत्तर प्रदेश के एकीकरण का पूर्ण श्रेय अंग्रेजी सत्ता को जाता है। उन्होंने एक खण्डित भू-भाग को अपने लाभ के लिए एकल प्रशासनिक एवं राजनीतिक इकाई में परिवर्तित करने का कार्य किया। औपनिवेशिक काल में एकीकरण से पूर्व उत्तर प्रदेश अनेक खण्डों एवं उपखण्डों में विभाजित था जिस पर जमींदार, राज्य प्रमुख एवं अन्य कुलीन शासन कर रहे थे। एक निश्चित शासन सत्ता के अधीन राजनीतिक एकरूपता का नितान्त अभाव था। उत्तर प्रदेश अनेक क्षेत्रों में विभाजित था जैसे उत्तरांचल की पहाड़ी, ब्रज भाषायी क्षेत्र, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, बुंदेलखण्ड का क्षेत्र जिसमें झांसी प्रमुख केन्द्र था, रोहिलखण्ड का क्षेत्र जिसके अन्तर्गत रामपुर, मुरादाबाद का क्षेत्र आता था, वहीं अवध क्षेत्र जिसका प्रमुख सांस्कृतिक क्षेत्र लखनऊ माना जाता था और अंत में पूर्व की भोजपुरी पट्टी जिसे पूर्वांचल कहा जाता है जिसके प्रमुख केन्द्र वाराणसी एवं इलाहाबाद थे।

ब्रिटिश सरकार ने इन क्षेत्रों में विशेष रूप से तब हस्तक्षेप करना शुरू किया जब वे उन्नति की स्थिति में थे तथा कलकत्ता में अपनी जड़े जमा चुके थे। उस समय उत्तर प्रदेश अपर इण्डिया के नाम से जाना जाता था। अंग्रेजों ने मंथर गति से भारतीय भूभागों को हस्तगत करने तथा मिलाने की प्रक्रिया शुरू की जिसके कारण उत्तर प्रदेश की भू-आकृति में व्यापक परिवर्तन आया।

बक्सर के युद्ध में अवध को सुरक्षा चौकी के रूप में स्थापित किया जो औपनिवेशिक सत्ता तथा मराठा साम्राज्य के बीच स्थापित था। मध्य भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए औपनिवेशिक सत्ता ने जो भू-भाग व्यपगत करने की प्रक्रिया शुरू की तथा विभिन्न माध्यमों से बड़े भूभाग को प्राप्त कर लिया कालान्तर में उनके साम्राज्य के लिए लाभप्रद साबित हुआ।

1857 की क्रांति एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों ने अंग्रेजों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने विजित एवं अधिगृहित भूभागों को एकजुट कर आकार प्रदान करें। वर्ष 1877 में उन्होंने एकजुट भूभाग को उत्तर-पश्चिम प्रांत नाम दिया तथा प्रशासनिक नियंत्रण का दायित्व एक लेफ्टिनेंट गर्वनर को प्रदान किया। तत्पश्चात् वर्ष 1902 में इस संयुक्त क्षेत्रीय इकाई को आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत नाम प्रदान किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता में आई तथा प्रांतीय स्वायत्ता की मांग ने जोर पकड़ा तो एक फिर से इसके नाम पर विमर्श हुआ और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया।

विखण्डित उत्तर प्रदेश का भूभागीय विन्यास औपनिवेशिक सत्ता के सरल कार्य नहीं था परन्तु उन्होंने इस बेतरजीब भूभाग को व्यवहारिक सत्ता का निश्चित स्वरूप इसलिए प्रदान किया ताकि मध्य भारत पर मजबूत नियंत्रण स्थापित किया जा सके। अतः हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विन्यास औपनिवेशिक सत्ता की प्रबल आकांक्षाओं का प्रतिफल था। अंग्रेजी शासन ने उत्तर प्रदेश के लोगों को कर, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के सन्दर्भ में एक सामान स्तर देने का कार्य किया है।

उत्तर प्रदेश में दलीय प्रणाली का विकास :- उत्तर प्रदेश में दलीय प्रणाली का विकास एक रेखीय नहीं रहा है । यह विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावों से युक्त रहा है। इस प्रणाली में चुनाव दर चुनाव विभिन्न तथा नवीन प्रवृत्तियां

देखने को मिली है। आम्बिक दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित ध्रुवीकरण करने वाली राजनीतिक शक्ति को ढूँढ़ पाना अत्यन्त कठिन है। अध्ययन की सुविधा हेतु हम दलीय प्रणाली के विकास को दो महत्वपूर्ण कालखण्डों में विभाजित कर सकते हैं :-

1. स्वतंत्रता के पश्चात से लेकर 1980 तक के दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति

स्वतंत्रता से लेकर वर्ष 1980 के बीच उत्तर प्रदेश अनेक राजनीतिक दलों का अखाड़ा रहा है। विभिन्न विचारधाराओं से प्रेरित विभिन्न राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ इन्होंने आरम्भिक दौर में सफलता भी प्राप्त की तथा बदलते दौर में इन राजनीतिक दलों का पतन भी हुआ। उत्तर प्रदेश की आरम्भिक राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व रहा तथा यह पार्टी लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति पर विद्यमान रही। साथ ही अन्य विचारधाराओं के आधार पर गठित राजनीतिक दलों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने वर्ष 1952 के निर्वाचन में कुल पड़े मतों का लगभग 19.5 प्रतिशत मत प्राप्त किया तथा उन्होंने 14 स्थानों पर विजय प्राप्त की। दूसरा निर्वाचन जो वर्ष 1957 में सम्पन्न हुआ उसमें इन उम्मीदवारों ने 28.7 प्रतिशत मत प्राप्त कर 430 सीटों में 74 सीटें प्राप्त की किन्तु वर्ष 1957 के बाद के वर्षों में इनके प्रदर्शन में गिरावट आई वर्ष 1962 के चुनावों में इन्होंने 12.9 प्रतिशत मतों के साथ कुल 31 सीटें ही प्राप्त की। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि उम्मीदवारों ने अपनी राजनीतिक स्थिति को बरकरार नहीं रखा तथा इनके राजनीतिक प्रदर्शन में लगातार उतार-चढ़ाव आता रहा।

यद्यपि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक स्थिति में भी नियमित पतन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। वर्ष 1952 के निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों का 48 प्रतिशत प्राप्त कर राज्य विधानसभा में 390 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित की। वहीं वर्ष 1957 के निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत गिरकर 42.4 प्रतिशत हो गया तथा यह 286 स्थानों पर सिमट कर रह गई। वर्ष 1962 का निर्वाचन इसके लिए और भी निराशाजनक रहा तथा इसका वोट प्रतिशत गिरकर 36.3 प्रतिशत रह गया एवं इसे 249 स्थानों पर संतोष करना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्य दलों की भांति कांग्रेस पार्टी की स्थिति भी कमजोर हो रही थी।

यहां यह तथ्य भी रुचिकर है कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दल राजनीतिक प्रतियोगिता में संलग्न थे किन्तु उनमें से भी मात्र चार या पांच राजनीतिक दल की सम्मानजनक सीट प्राप्त कर सकते थे।

वैचारिक आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय राजनीतिक दलों को हम वामपंथी और दक्षिणपंथी दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वामपंथी दलों को पुनः दो वर्गों कम्युनिस्ट तथा सहयोगी दल एवं सोशलिस्ट दल में विभाजित कर सकते हैं। भारतीय साम्यवादी पार्टी भी अपनी स्थिति धीरे-धीरे सुदृढ़ कर रही थी। वर्ष 1952 के निर्वाचन में कुल पड़े वैध मतों का 1 प्रतिशत से कम मत प्राप्त हुए तथा यह एक भी स्थान पर अपनी जीत सुनिश्चित कर पाई। वर्ष 1957 के दूसरे निर्वाचन में यह 4 प्रतिशत मतों के साथ 9 स्थान जीतने में सफल रही, वही 1962 के निर्वाचन में 5 प्रतिशत मतों के साथ यह राजनीतिक दल कुल 14 स्थानों पर जीतने में सफल रहा। सोशलिस्ट दल की स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत हो रही थी। वर्ष 1952 के चुनाव में इस दल ने 12 प्रतिशत मत प्राप्त किए तथा विधानमण्डल में कुल 19 स्थानों पर विजयी रहा। अन्य सोशलिस्ट दलों तथा के.एम.पी.पी. तथा उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारी सोशलिस्ट दल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के उपरान्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस जैसी पार्टी के मजबूत होने के बाद भी छोटे-छोटे अन्य राजनीतिक दलों का उद्भव एवं विकास हुआ। इसमें से कुछ दलों ने सम्मानजनक राजनीतिक स्थिति को भी प्राप्त किया। बीच के कुछ वर्षों को छोड़ दिया जाए तो स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्ष 1988 तक उत्तर प्रदेश की राज्य राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व व्याप्त रहा। कांग्रेस ने सर्वणों के

साथ-साथ दलित एवं अल्पसंख्यक वर्ग को आधार बनाकर लम्बे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता पर काबिज रहा। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता जनता को यह बताने में सफल रहे कि 'उत्तर प्रदेश भारत है और भारत उत्तर प्रदेश है।' इस मिथक ने यहां की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा।

किसी भी देश की लोकतंत्र की प्रक्रिया को मापने के लिए दो प्रमुख चरों का विश्लेषण अति आवश्यक है। प्रथम विभिन्न राजनीतिक दलों के मध्य स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एवं दूसरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के मामले में तो उत्तर प्रदेश खरा उतरा किन्तु प्रतिनिधित्व के मामले में यह पिछड़ा रहा। राजनीतिक लाभों का वितरण केवल कुछ ही विशेष वर्गों तक ही सीमित रहा। बहुसंख्यक जनता मुख्य रूप से दलित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग इससे पूरी तरह वंचित रहा। वर्ष 1970 के दौरान विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र में निवेश अन्य भारतीय राज्यों की तुलना में निम्न रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने औद्योगीकरण के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया। राज्य का बुर्जुआ वर्ग निवेश हेतु अन्य राज्यों में जाने लगा जिससे उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गई। इन सभी सम्मिलित परिस्थितियों ने वर्ष 1980 एवं वर्ष 1990 के दशक में अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त किया।

2. मण्डलीकरण के दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति

भारत में मण्डल आयोग के प्रतिवेदनों का लागू होना राजनीतिक क्षेत्र में युगांतकारी घटना थी। इसने स्वतंत्रता के उपरान्त से संचालित परम्परागत राजनीतिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्वणवाद का वर्चस्व था वहीं इस आयोग के प्रभाव के कारण अन्य पिछड़ा वर्ग संगठित हुआ तथा उन राजनीतिक दलों का उद्भव हुआ जिनका आधार अन्य पिछड़ा वर्ग था। इस आयोग ने पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए 11 संकेतकों का प्रयोग किया तथा इसने जाति को पिछड़ेपन का कारण माना। मण्डल आयोग का गठन 1 जनवरी, 1979 में प्रधानमंत्री मोराजी देसाई के कार्यकाल में हुआ, इसने अपना प्रतिवेदन 1983 में प्रस्तुत करते हुये सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक आधार पर भारत की 53 प्रतिशत आबादी को अन्य पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया तथा केन्द्र सरकार की नौकरियों में इन्हें 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्राविधान किया। इन्दिरा गांधी एवं राजीव गांधी के लगभग 10 वर्ष के कार्यकाल के दौरान इस आयोग का प्रतिवेदन विमर्श क्षेत्र से बाहर था लेकिन वी.पी. सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान इसका स्वतः संज्ञान लिया तथा वर्ष 1990 में इसे लागू करने की घोषणा की। इस आयोग के प्रतिवेदन वर्ष 1992 में लागू कर दिए गए यद्यपि भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस की युवा शाखा द्वारा इसका व्यापक विरोध किया गया।

वर्ष 1990 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति की उपस्थिति सराहनीय रही। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव एवं बसपा प्रमुख मायावती तथा बाद के नेतृत्व ने लगभग 17 वर्षों तक शासन किया। इन दोनों ही राजनीतिक दलों का आधार अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के लोग थे। इन दोनों राजनीतिक दलों ने सर्वण राजनीति से इतर एक नए समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधने का प्रयास किया।⁹

3. वर्ष 1980 के दशक से 2010 के दशक तक उत्तर प्रदेश की राजनीति

उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1980 के बाद का दशक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण था। यह प्रदेश गैर कांग्रेसवाद, गठबंधन की राजनीति एवं मण्डलीकरण के मुद्दों पर खड़ा था। कांग्रेस पार्टी की उपेक्षा की राजनीति एवं पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित वर्ग के उत्थान ने नई राजनीतिक चेतना को जन्म देने का कार्य किया। भारतीय राजनीति ने मण्डलकरण ने क्षेत्रीय स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग को एकजुट कार्य करने का किया साथ ही साथ ऐसे नेतृत्व को भी जन्म दिया जो

उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आसीन हो सकता था। इस दशक में दो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दलों का जन्म हुआ जो वर्तमान समय में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी का उदभव हुआ। नए सामाजिक समीकरणों पर आधारित समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक नई दिशा प्रदान की। एक कृषकों की पार्टी के रूप में इसने लोकदल बी के सन्दर्भ में कार्य किया। तीसरे मोर्चे में रूप में जनता दल अथवा समाजवादी जनता दल जिसके नेता चन्द्रशेखर थे, के साथ कार्य किया। इस सम्पूर्ण परिदृश्य में जिस व्यक्ति ने पिछड़ों के आन्दोलन से अपनी पहचान बनाई तथा आगे चलकर वर्ष 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की, वे थे मुलायम सिंह यादव।¹⁰ मुलायम सिंह यादव पहली बार वर्ष 1967 में डॉ. राम मनोहर लोहिया की संयुक्त समाजवादी दल से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। डॉ. राम मनोहर लोहिया की मृत्यु के उपरान्त ये चौधरी चरण सिंह के दल में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में भारतीय लोकदल अस्तित्व में आया जो पूर्ववर्ती दलों भारतीय कृषक दल एवं सुयुक्त समाजवादी दल से बना था। वर्ष 1977 में यह जनता दल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया तथा मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश मंत्रीमण्डल में कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लिया तथा लोकदल की स्थापना की। मुलायम सिंह यादव चौधरी चरण सिंह के साथ बने रहे। वर्ष 1987 में चौधरी चरण सिंह की मृत्यु के उपरान्त लोकदल दो घड़ों में विभाजित हो गया। एक हिस्से का नेतृत्व अजीत सिंह कर रहे थे वहीं दूसरे घड़े का नेतृत्व मुलायम सिंह यादव के हाथों में आ गया। वर्ष 1989 में मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने गुट का विलय जनता दल में कर लिया तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए। इस प्रकार मुलायम सिंह यादव ने पहले चरण में अपनी राजनीतिक सूझबूझ के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ मंच साझा किया। इस काल के मध्य उन्होंने राजनीतिक अवसरवादिता का भी परिचय प्रस्तुत किया तथा अपने गुट के सामाजिक एवं राजनीतिक आधार को भी विस्तृत किया। वर्ष 1990 में जनता दल के विघटन के उपरान्त मुलायम सिंह यादव चन्द्रशेखर के राजनीतिक गुट के साथ बने रहे। वर्ष 1992 में सितम्बर में इन्होंने इस गुट का परित्याग कर समाजवादी पार्टी की स्थापना की तथा नए वैचारिकी के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में आगे बढ़ना शुरू किया

मुलायम सिंह यादव का प्रशिक्षण डॉ0 राम मनोहर लोहिया की समाजवादी नीति, चौधरी चरण सिंह की कृषक नीति तथा विश्वनाथ प्रताप सिंह के पिछड़ों की राजनीति के मध्य हुआ था इसलिए इन्होंने समाजवादियों, कृषकों तथा पिछड़ों को एकजुट कर राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया।

वर्ष 1980 के उपरान्त उत्तर प्रदेश का निर्वाचन इतिहास पिछड़े वर्ग की राजनीतिक उत्थान का इतिहास है। वर्ष 1989 के निर्वाचन में उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों की उपस्थिति तेजी से बढ़ी जब जनता दल ने कुल 30 प्रतिशत मतों के साथ 208 सीटें जीतने में सफल रही। समाजवादी पार्टी का जन्म मुख्यरूप से जनता दल के सामाजिक समर्थन के आधार पर ही हुआ था जो समाज के हाशिये पर स्थिति वर्ग यथा दलित एवं पिछड़े वर्ग के लिए एक नया राजनीतिक मंच उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा था लेकिन वर्ष 1990 में जनता दल के विखण्डन ने पिछड़ों के आन्दोलन को कई तरह से नुकसान पहुंचाया। समाजवादी पार्टी की अधिकांश राजनीति सामाजिक समीकरणों एवं गठबंधन के ईदगिर्द चक्कर लगाती हुई दिखाई पड़ती है। वर्ष 1993 के निर्वाचन में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ मिलकर एक सामाजिक संगठन बनाने का कार्य किया किन्तु उनका यह प्रयोग अल्पकालीन था। समाजवादी पार्टी एक दुष्कर प्रयास कर रही थी क्योंकि अन्य पिछड़े वर्ग का कृषक वर्ग दलितों का शोषक रहा है। वहीं दूसरी ओर सपा और

बसपा का गठबंधन आन्तरिक विरोधाभासों से ग्रसित था और ये दोनों दल मत प्राप्ति हेतु सामान्य वर्ग तथा पिछड़ों, दलितों और मुस्लिमों पर केन्द्रित थे।

समाजवादी पार्टी एक ऐसा सामाजिक समीकरण स्थापित करने का प्रयास करने पर जोर दे रही थी जिसके अन्तर्गत मुस्लिम और हिन्दू धर्म का पिछड़ा वर्ग सम्मिलित हो। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इसने दो प्रकार की रणनीति को अंगीकार किया पहला मुस्लिमों का मजबूत गुट निर्मित करने के लिए तथा इन्हें वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने के लिए भाजपा से भय के विचार को मुस्लिमों के मध्य फैलाना शुरू किया, वहीं दूसरी ओर रणनीति के तहत इन्होंने हिन्दू समाज को दो वर्गों यथा अगड़ों तथा पिछड़ों में विभाजित कर स्वयं को पिछड़े वर्ग का एकल रक्षक एवं प्रतिनिधि बताना शुरू किया।

समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार यादव थे यद्यपि कि पार्टी अन्य पिछड़े वर्ग के अन्य वर्गों का समर्थन का दावा करती रही है। बाद के वर्षों में पार्टी ने सवर्णों में राजपूतों को अपनी विचारधारा में मिलाने में सफल रही। मुलायम सिंह यादव का राजाभैया एवं अमर सिंह के प्रति नरम रूख इसका सबसे बड़ा उदाहरण एवं साक्ष्य है। राजपूत वर्ग के प्रति इस प्रकार की नीति ने सपा के राजनीतिक परिणाम उत्पन्न करने का कार्य किया। वर्ष 2002 आते-आते सपा अपने आधार को अन्य वर्गों तक विस्तारित करने में सफल रही।

समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गठजोड़ निर्मित करने की रणनीति कांग्रेसवाद और गैर-भाजपावाद से प्रेरित थी, वहीं राज्य राजनीति में भी उपस्थित अन्य पिछड़े वर्ग और दलितों के मध्य सम्बन्धों की नीति को प्राथमिकता प्रदान करने का कार्य किया।¹¹ गैर-भाजपावाद की राजनीति का प्रमुख कारण समाजवादी पार्टी की धर्म निरपेक्षता के प्रति वैचारिक प्रतिबद्धता थी इसलिए कांग्रेस पार्टी के साथ राष्ट्रीय राजनीति के सम्बन्ध के गठजोड़ स्थापित करना सरल था। बाद के वर्षों में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों यथा राष्ट्रीय क्रांति दल, समाजवादी जनता दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल इत्यादि से गठबंधन स्थापित किया। सपा की गठबंधन राजनीति उसकी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं का प्रतिफल थी।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की उपस्थितियों को देश की तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर हम समझ सकते हैं। ये महत्वपूर्ण घटनायें हैं – मण्डलीकरण का मुद्दा, बाबरी मस्जिद विध्वंस एवं वर्ष 1990 के दौर में उदारीकरण की नीति। प्रथमतः मण्डलीकरण के मुद्दे पर सपा को सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी थी। दूसरे राम मन्दिर के मुद्दे पर स्वयं की धर्मनिरपेक्षता की वैचारिक प्रतिबद्धता को स्पष्ट करना था और तीसरा बाजारवाद से सम्बन्धित उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करना था जो सपा की घोषित नीतियों यथा समाजवाद, ग्रामीणवाद तथा समतवाद के विरुद्ध था। चुनावी रणनीति की विवशता के कारण सभी राजनीतिक दलों ने मण्डलीकरण के मुद्दे का समर्थन किया लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय मुलायम सिंह यादव ने मण्डलीकरण के आन्दोलन में निहित लोकतांत्रिक शक्ति को नहीं पहचान पाए। मुलायम सिंह यादव ने सामाजिक न्याय के मुद्दे को आरक्षण के मुद्दे से आगे ले जाने का प्रयास नहीं किया।

राम मन्दिर का मुद्दा सपा के लिए एक सुनहरे अवसर की तरह था। रामजन्म भूमि का मुद्दा राजनीतिक रूप से एक ज्वलंतशील मुद्दा था जिसका प्रयोग समाजवादी पार्टी ने लाभ के लिए किया। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम समाज ने इस विध्वंस को संघ परिवार की गतिविधि के रूप में देखा जिसमें कांग्रेस की मौन सहमति थी। इसका परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम वर्ग का पूरा झुकाव समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ गया, जिसने बाबरी विध्वंस की घटना का मुखर विरोध एवं आलोचना की।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था या उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण का था जिसका समायोजन समाजवादी पार्टी ने बहुत शांत एवं सुनियोजित ढंग से किया। सपा ने इस मुद्दे पर अपने पूर्व घोषित मुद्दे यथा समतावाद, ग्रामीणवाद एवं समाजवाद को पीछे कर बाजार आधारित नवीन मुद्दों की आवश्यकताओं पर बल देना शुरू किया। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की आवश्यकताओं एवं विकास को ध्यान में रखते हुए अनेक पूंजीपतियों को आमंत्रित किया। स्वयं मुलायम सिंह यादव ने इस परिप्रेक्ष्य में अनेक सम्मेलनों का आयोजन भी कराया। उन्होंने अमर की अध्यक्षता में अनिल अंबानी, हिन्दुस्तान लीवर के एम.एस. बग्गा तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के के.वी. कामथ, बजाज ग्रुप के शिशिर बजाज इत्यादि इनके सम्मेलनों एवं नीतियों में शामिल थे।

समाजवादी पार्टी का दूसरा स्वर्णिम दौर 2012 से प्रारम्भ होता है जब मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव ने सर्वाधिक युवा मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की कमान सम्भाली। इस विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव का युवा नेतृत्व एवं लोक लुभावन वादों ने आम जनमानस को आकर्षित किया जिसके फलस्वरूप समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 29.15 प्रतिशत मतों के साथ प्रदेश में कुल 224 सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही। अखिलेश यादव भी जनता की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके, दलगत गुटबाजी, भ्रष्टाचार, जातिवाद की रणनीति के कारण वर्ष 2017 में सत्ता परिवर्तन हुआ तथा भारतीय जनता पार्टी एक लम्बे संघर्ष के बाद एक बार पुनः जनता का विश्वास एवं बहुमत प्राप्त कर सत्ता में वापसी करने में सफल रही।

यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि वर्ष 2000 की उपरान्त उत्तर प्रदेश की राजनीति ने तीन कार्यकाल पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाने का कार्य किया। योगेन्द्र यादव एवं सुहास पालीकर जैसे समाज एवं राजनैतिक वैज्ञानिकों ने गठबंधन की राजनीति को भारत का भविष्य बताया था लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति ने इसे मिथक साबित करने का कार्य किया है।

वर्ष 1980 एवं उसके बाद का समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का उद्भव एवं विकास अत्यन्त महत्वपूर्ण था। राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल अपनी उदासीन नीतियों के कारण राज्य की राजनीति में पिछड़ते जा रहे थे, वहीं क्षेत्रीय अस्मिता एवं विभिन्न जातियों जाग्रत राजनीतिक चेतना नए नेतृत्व की तलाश कर रहे थे।¹² ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में उद्भव हुआ। अपने आरम्भ से ही यह पार्टी दलित चेतना तथा दलित उद्धार पर केन्द्रित थी। उत्तर प्रदेश का दलित नेतृत्व दलितों के उत्थान के सम्बन्ध में एकमत नहीं था। एक वर्ग चाहता था कि इस लक्ष्य हेतु मुख्य राजनीतिक धारा के परम्परागत राजनीतिक दलों के साथ जुड़ा जाए तो वहीं दूसरा वर्ग दलित चेतना पर आधारित बसपा के संसर्ग में इन निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता था। पूर्व में दलित समुदाय कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा रहा क्योंकि कांग्रेस की सुरक्षा सम्बन्धी कार्यवाही एवं लोक-कल्याणकारी नीतियां दलित वर्ग के हित में थीं लेकिन दलित आन्दोलन की स्वायत्ता समाप्त होने के उपरान्त दलित वर्ग कांग्रेस का एक वोट बैंक बनकर रह गया था जब ये मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टी उत्तर प्रदेश में दुर्बल हुई तब लम्बे समय से एकीकृत सामाजिक समीकरणों ने अपने ध्रुवीकरण हेतु नए राजनीतिक केन्द्रों की खोज करने लगे और ऐसे में विखण्डित दलित चेतना का केन्द्र बिन्दु बना बसपा।

जातिगत अस्मिता एवं चेतना के आधार पर निर्मित राजनीतिक दल आरम्भिक दौर में अपनी प्रकृति से संकीर्ण होते हैं। बहुजन समाज पार्टी अपनी विचारधारा एवं पहचान के कारण समाज के कुछ वर्गों तक ही पहुंच सकती थी और इस प्रकृति के राजनीतिक दल जब एक बार निर्धारित विशेष वर्ग का निर्वाचन में समर्थन प्राप्त कर लेते हैं तब ये दल स्वयं को एक आकृति विशेष में बन्द कर लेते हैं तथा स्वयं की क्षमता के आधार पर शक्ति एवं सत्ता प्राप्त करने का

प्रयास नहीं करते। बसपा की वैचारिक प्रतिबद्धता उसे एक वर्ग विशेष तक सीमित कर देती थी। बसपा की दूसरी प्रतिबद्धता यह थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उपरान्त ही दलित उत्थान का लक्ष्य पूरा हो सकेगा लेकिन बसपा स्वयं के राजनीतिक सामर्थ्य के बल पर ऐसा करने में असमर्थ थी इसलिए उसे ऐसे दलों से गठबंधन की आवश्यकता थी जो सत्ता प्राप्ति में उसका सहयोग कर सकें। अब बसपा के समक्ष प्रश्न यह था कि उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्त करने हेतु वह स्वयं की वैचारिक मानसिकता से समानता रखने वाले राजनीतिक गठबंधन करके लोकनीति पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करे। अगर वह स्वयं की विचारधारा वाले राजनीतिक दल से गठबंधन करती है तो उसका संकीर्ण प्रकृति एवं सीमित आधार बना रहेगा तथा सत्ता प्राप्ति की राह कठिन ही रहेगी। अगर वहीं दूसरी ओर विपरीत वैचारिकी वाले राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करने का अर्थ होगा अपनी पहचान को धूमिल करना, वैचारिक प्रतिबद्धता का ह्रास तथा उस सामाजिक आधार का क्षय जिस पर सम्पूर्ण राजनीति आधारित है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी इस द्वंद से ग्रसित थी और वर्तमान में इस द्वंद से ग्रसित है। अपने सामाजिक आधार को विस्तारित करने तथा सत्ता तक पहुंचने के लिए उसने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ अनेक बार समझौता किया।

वर्ष 1984 से ही अपने उद्भव के बाद से ही बसपा इस विवशता के साम्राज्य से निकलकर अन्य दलों के साथ चुनावी ध्रुवीकरण करने हेतु प्रयासरत रही है। उत्तर प्रदेश के बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी दलित छवि एवं अम्बेडकरवादी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए अन्य महत्वपूर्ण समीकरण साधने का कार्य किया। बसपा के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने इसकी छवि को धूमिल करने के लिए इसको दलित बहुजन की संकीर्ण विचारधारा पर आधारित तथा सर्वणों का विरोध करने वाली पार्टी में रूप में चित्रित करना आरम्भ किया। बसपा ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए वर्ष 1990 में समाजवादी पार्टी एवं बाद के वर्षों में भारतीय जनता पार्टी तथा कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया।

वर्ष 1984 के बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में बसपा का आविर्भाव हुआ। यह समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का पतन एवं दलित चेतना के उभार का समय था। वर्ष 1985 से वर्ष 1993 तक बसपा ने एक दलित आधारित राजनीतिक दल एवं आन्दोलन के अपने वास्तविक चरित्र को बनाए रखा। इस क्रम में उसने अन्य राजनीतिक दलों से दूरी बनाए रखने तथा शत्रुतापूर्ण सम्बन्धों के लिए चर्चित भी रही। इस समय विशेष में बसपा ने न केवल अपना क्षेत्र विस्तार किया अपितु निर्धनों एवं गैर-विशेषाधिकार वर्गों को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया। इस दल ने परम्परागत राजनीतिक प्रणाली को अप्रसंगिक बनाने के लिए जाति आधारित विचारधारा का प्रयोग किया। इसने दलितों के उत्थान एवं राजनीतिकरण हेतु गांधी एवं उसके दर्शनों की आलोचना शुरू की। मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को उसने मनुवादी कहकर उसका तिरस्कार किया, हिन्दुत्व एवं दलित उत्पीड़न के नाम विपक्ष की मुखर आलोचना प्रस्तुत करने का कार्य किया।¹⁴

वर्ष 1985 से वर्ष 1989 तक यह पार्टी विभिन्न निर्वाचनों में एक भी सीट पर अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाई लेकिन वर्ष 1989 के लोकसभा चुनाव में इसने 9.9 प्रतिशत मतों के साथ दो सीटें जीतने में सफल रही, वहीं वर्ष 1991 के लोकसभा चुनावों में 8.7 प्रतिशत मतों के साथ एक सीट पर जीत दर्ज की। बसपा का आरम्भिक दौर संघर्ष और संक्षिप्त सफलता का दौर रहा, जिसने अपना सामाजिक आधार सुदृढ़ करने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश की तीन महत्वपूर्ण घटनाओं ने यहां की राजनीति को नया मोड़ देने का कार्य किया, जिससे बसपा समेत सभी दलों को लाभ प्राप्त हुआ वह था राम मन्दिर का मुद्दा, मण्डलीकरण एवं कांग्रेस का पतन है।

वर्ष 1993 के विधानसभा चुनावों के दौरान बसपा को यह ज्ञात हुआ कि उसका राजनीतिक आधार दलित वर्ग और अन्य पिछड़ी कुछ जातियों तक सीमित है जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता प्राप्ति के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए उसने गठबंधन की राजनीति को अंगीकार किया। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 21 प्रतिशत हिस्सा दलित वर्ग का है, जो राज्य की राजनीति में प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त नहीं है जहां मत मुख्य रूप से तीन वर्गों में विभाजित है – दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं सर्वण वर्ग। वर्ष 1993 में बसपा राजनीतिक प्रतिनिधित्व एवं सत्ता प्राप्ति हेतु गठबंधन की राजनीति को अंगीकार करते हुए सपा के निकट गई और अम्बेडकरवादी पार्टी होने के कारण उसने दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यकों के समर्थन से एक बहुजन समाज बनाने का प्रयास किया।¹⁵ सपा के साथ गठबंधन का निर्णय उत्तर प्रदेश के बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य का परिणाम था। हिन्दुत्व की शक्तियों, पिछड़े एवं निम्न जातियों के संघर्ष ने सामाजिक तनाव को जन्म दिया जिसके परिणामस्वरूप बाबरी विध्वंस की घटना कारित हुई। इस तरह की परिस्थिति ने दलित, पिछड़ों एवं मुस्लिमों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया ताकि एक ऐसा राजनीतिक गठबंधन किया जा सके जिससे भाजपा की सम्प्रदायवादी राजनीति पर अंकुश लगाया जा सके।

जाति आधारित ध्रुवीकरण की रणनीति पिछड़े वर्ग तथा निम्न जातियों को जोड़ने में ज्यादा सफल और प्रभावशाली सिद्ध हुई। चुनावी दृष्टिकोण से सपा एवं बसपा भाजपा के साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकने में सफल रही। वर्ष 1993 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में सपा को 106 सीटें, बसपा को 66 सीटें तथा भाजपा 177 सीटें पर सिमट गई जो उसके पिछले राजनीतिक प्रदर्शन की तुलना में कम था। बसपा के लिए यह दौर राजनीतिक प्रयोग का काल था। उसके समक्ष दो चुनौतियां थी – पहली अपने राजनीतिक आधार को विस्तृत करना तथा ऐसे दूसरे राजनीतिक दलों को साधना सत्ता प्राप्ति में उसकी सहयोगी बन सके।

इन दोनों की चुनौतियों के सन्दर्भ में बसपा आन्तरिक रूप से विभाजित थी। उसकी स्वयं की पहचान एवं विस्तार को लेकर उसका आन्तरिक नेतृत्व दो हिस्सों में विभाजित था। एक कठोर दलित विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने को आगे बढ़ाना तथा स्थापित करना चाहता था जबकि दूसरा बसपा की पहचान को लेकर उदार था एवं सत्ता प्राप्ति हेतु विभिन्न विकल्पों को लेकर सचेत था।

वर्ष 1990 का समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में व्यापक परिवर्तनों का दौर था। राज्य की राजनीति में सक्रिय सभी राजनीतिक दल प्रतियोगी रणनीति अंगीकार कर चुके थे। परिवर्तित परिदृश्य में सभी राजनीतिक दल नए सामाजिक समीकरणों को साधने में संलग्न थे। इसी समय बसपा ने अपनी दलित छवि को परिवर्तित करते हुए एक इन्द्रधनुष सदृश्य गठबंधन निर्मित करने का प्रयास किया जिसमें सर्वण एवं दलित एक साथ आगे बढ़ेंगे। बसपा ने इस रणनीति को तब अंगीकार किया जब दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस एवं भाजपा पतन की अग्रसर थे और मुख्य राजनीतिक प्रतियोगिता दो क्षेत्रीय दलों यथा सपा एवं बसपा के मध्य चल रही थी। बसपा ने अपने निर्धारित लक्ष्य को साधने के लिए गैर-दलितों को उम्मीदवार बनाना प्रारम्भ किया इस हेतु उसने बड़ी संख्या में टिकट भी प्रदान किया, अपने इस रणनीति के तहत बसपा सर्वणों का समर्थन प्राप्त करने में सफल रही। बसपा का प्रमुख लक्ष्य सर्वण, दलित एवं मुस्लिमों के समर्थन पर आधारित एक ऐसे समीकरण का निर्माण करना था जो उसे उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता प्राप्ति में उसकी सहायता कर सके। ये रणनीतिक समायोजन कांग्रेस की नीतियों की पुनरावृत्ति थी जिसने उसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक लम्बे समय तक बनाए रखा। इस समीकरण ने बसपा को उस परम्परागत दलित पहचान के बन्धन से मुक्त कर उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता तक पहुंचाने में उसकी सहायता की।

अपने राजनीतिक आधार को सुदृढ़ एवं सर्वगणों तक विस्तृत करने हेतु बसपा ने वर्ष 2005 में सम्पूर्ण प्रदेश के 21 जिलों में लगभग 60 ब्राह्मण जोड़ों सम्मेलनों का आयोजन किया। इस सम्बन्ध में गोरखपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गोण्डा एवं अवध, इलाहाबाद, कन्नौज, सीतापुर, दोआब तथा सहारनपुर में विभिन्न सम्मेलन आयोजित किए। इस तरह के आयोजन केवल ब्राह्मणों के लिए आयोजित किए गए थे, जिसमें दलितों को आमंत्रित नहीं किया गया था।¹⁶ इस सन्दर्भ में राज्यसभा सांसद सतीश चन्द्र मिश्रा ने बसपा की पुरानी पहचान को नया देने हेतु आयोजित किया था जिसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी।

राजनीतिक एवं रणनीतिक रूप से ब्राह्मणों को साधकर बसपा ने अपने निर्धारित दो लक्ष्यों को साधने का कार्य किया पहला उसने अपनी परम्परागत दलित पहचान वाली छवि का परित्याग कर अपने सामाजिक आधार को विस्तृत करने का कार्य किया वहीं दूसरा सर्वगणों को सम्मान एवं प्रतिनिधित्व देकर इसने अन्य दलों के उस आरोप का खण्डन किया जिसके अन्तर्गत उस पर यह आरोप लगाया जाता था कि बसपा सर्वगण विरोधी पार्टी अथवा दल है। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा में भाईचारा समिति का गठन किया जिसका नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथों में था। इसके सदस्य गांव-गांव भ्रमण कर दलितों तथा ब्राह्मणों के मध्य भाईचारा की भावना को प्रसारित करने का कार्य किया।

बसपा अपने राजनीतिक समीकरण में व्यापारी वर्ग को भी सम्मिलित करने हेतु प्रयासरत थी। 16 जुलाई, 2005 को इसने वैश्य समाज सम्मेलन की श्रृंखला प्रारम्भ की जो निकट के शहरों में भी आयोजित की गई। इस सम्बन्ध में एक महासम्मेलन का भी आयोजन बसपा द्वारा किया गया जिसका शुभारम्भ करते हुए मायावती ने वैश्य को बसपा से जुड़ने का आवाहन किया। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों एवं ठाकुरों के बाद वैश्य समाज की एक ऐसा वर्ग था जिसका समर्थन प्राप्त करने के लिए बसपा एवं सपा प्रयासरत थे।

इस प्रकार अध्ययन से यह विदित है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के रूप में क्षेत्रीय दल का उद्भव एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस दल ने संख्या बल से अधिक लेकिन हाशिये पर स्थित समाज को राजनीति की मुख्य धारा में शामिल करने का कार्य किया। अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा दलितों के स्वर को इसने केवल राज्य की राजनीति में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय राजनीति में भी इनका महत्व स्थापित करने का कार्य किया। इस दल ने विभिन्न प्रकार के सामाजिक समीकरणों का निर्माण कर परम्परागत राजनीतिक दल कांग्रेस के वर्चस्व को ध्वस्त कर नई पहचान की राजनीति को जन्म दिया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित व वंचित वर्ग में राजनीतिक चेतना सूत्रपात किया इसके उपरान्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वर्ग की सुदृढ़ भागीदारी को सुनिश्चित करने का कार्य किया। क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक समीकरण के आधार पर इसने राज्य राजनीति को एक नई दिशा प्रदान करने का कार्य तो किया ही साथ ही राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन स्थापित कर इसने संघवादी ढांचे को सुदृढ़ करने का कार्य किया।

REFERENCES

- Robinson, Francis (2001), The Ulama of Farangi Mahall and Islamic Culture in South Asia, Delhi, Permanent Black.
- Nandy, Ashis (2002), Creating a Nationality: The Ramjanmabhoomi
- Movement and Fear of the Self, Delhi , Oxford University Press, 2002,

- Kothari, Rajni (1970), *Politics in India*, New Delhi, Orient Longman.
- Kothari, Rajni (1990) *Caste and Politics: The Great Secular Upsurge* New Delhi, *The Times of India*, p. 8.
- Verma , K. Anil (2007), *Backward-Caste Politics in Uttar Pradesh: An Analysis of the Samajwadi Party in (Ed.) Political Process in Uttar Pradesh, Identity, Economic Reforms and Governance* by Sudha Pai, New Delhi, Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd.



संवैधानिक प्रतिबद्धता में महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकार

डॉ नीरज कुमार श्रीवास्तव

सारांश

मानवाधिकार संवैधानिक शासन काल का एक चुनौतिपूर्ण व संघर्षरत प्रयास है जो यह सुनिश्चित करता है कि समाज में महिला व पुरुष परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। मानवाधिकारों के बिना महिला सशक्तिकरण की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम समाज में महिलाओं की सशक्त भूमिका चाहते हैं तो हमें उनके पक्ष में मानवाधिकारों को देने की पहल करनी होगी। ऐतिहासिक तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि जबजब महिलाओं को अपने व्यक्तित्व विकास के लिए पुरुषों-तब तब उन्होंने अपनी योग्यता से पूरे समाज को उपकृत किया।, के समान मानवाधिकार और समान अवसर मिले मानवाधिकार यद्यपि पुरुष एवं महिला दोनों वर्गों की दृष्टि से एक ही हैं लेकिन महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में मानवाधिकारों का प्रश्न इसलिए अलग से विचारणीय और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पुरुष सत्तात्मक विश्व में स्त्री पुरुष के बीच-रंग आदि सभी,संप्रदाय, धर्म, असमानता की सबसे प्राचीन विभाजक रेखा यदि है तो वह लैंगिक मतभेद ही है। जाति विभाजक भेदों तथा भावात्मक प्रक्रियाओं का जन्म इसके बाद ही हुआ है। लैंगिक भेद की अवधारणा ने मानव जीवन को दो विरोधी ध्रुवों में बांट कर स्त्री व पुरुष को परस्पर पूरक होने का अवसर न देकर स्त्री को पुरुष की अनुगामिनी बना दिया है। प्रस्तुत आलेख में महिला संदर्भित अधिकारों की सुनिश्चितता पर प्रकाश डाला गया है।

प्रत्ययशब्द महिला मानवाधिकार संवैधानिक प्रतिबद्धता लैंगिक भेदभाव अधिकार हनन :

प्रस्तावना

सर्वप्रथम मानव अधिकार को समझने के लिए अधिकार शब्द को परिभाषित करना आवश्यक हो जाता है। वास्तव में अधिकार कुछ दावों के रूप में प्रकट होते हैं लेकिन सभी दावों को वैध करार होने का संज्ञा नहीं दी जा सकती। अधिकार वस्तुतः वे दावें हैं जिन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य के द्वारा लागू किया जा सकते हैं। मानव अधिकारों की उत्पत्ति मानव जीवन के प्रारंभ से ही हो गई क्योंकि मानवाधिकारों का संबंध मानव से ही तो है किंतु मानव समाज के, दलितों और महिलाओं को, प्रारंभिक काल में सत्ता और पितृसत्तात्मक व्यवस्था होने के कारण मानव समाज में दासों उत्पीड़न का सिलसिला चलता रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने, दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाने लगा और उनके साथ शोषण गठन के बाद मानवाधिकारों की आवाज बुलंद होने लगी और इन पीड़ित वर्गों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना आई।

वस्तुतः मानवाधिकारोंको मूलाधिकार अन्तः निरहिअधिकार तथा नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है ,आधारभूत अधिकार , मानव अधिकार की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है विभिन्न विद्वान इसकी परिभाषा देश काल के अनुरूप देते हैं। अनुच्छेद का 44 उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है ।अनुच्छेद का 44 उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है ।अनुच्छेद का 44 उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है।

आर०जी०विसेन्टने बताया कि "मानव अधिकार में अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण प्राप्त है इन अधिकारों का आधार मानव स्वभाव में निहित है।"

ए.एम.सईदकामतहै कि "मानव"अधिकारों का संबंध व्यक्ति की गरिमा एवं आत्म सम्मान के भाव से है ,जो व्यक्तिगत पहचान को रेखांकित करता है।"

लानोतथा ओल्टनने बताया कि "मानव अधिकार वे अधिकार है जो मनुष्य के जीवन उसके अस्तित्व वह व्यक्तित्व के" "विकास के लिए अनिवार्य है।

डी०डी०बसुके शब्दों में," मानव अधिकार व न्यूनतम अधिकार है जो किसी व्यक्ति को मानव परिवार का सदस्य होने की हैसियत से राज्य तथा अन्य लोक प्राधिकारी के खिलाफ प्राप्त होते हैं।"

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम मानव अधिकार को निम्न प्रकार से परिभाषित करता है 1993," मानव अधिकार से प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा से संबंधित ऐसे अधिकार अभिप्रेत हैं , जो संविधान द्वारा प्रत्याभूत किए गए हो या अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाओंमें सन्निहित और भारत में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय हो। अर्थात् मानवाधिकारों से" तात्पर्य उन सब परिस्थितियों व पर्यावरण से होता है जो मानव को मानव के रूप में अपने अस्तित्व को कायम रखने व व्यक्तित्व के विकास तथा निर्माण के लिए अनिवार्य होता है ।इस दृष्टि से मानवाधिकारों की परिधि में केवल प्राकृतिक उपहार जैसे हवा, जल, पानी इत्यादि ही नहीं आते, बल्कि उनके साथ साथ कर सम्मान जीन-े, पोषण व रक्षण प्राप्त करने सहित वे सब उपागम, जो व्यक्तित्व के विकास के लिए अपरिहार्य हैजैसे रोटी , कपड़ा, मकान, चिकित्सा, विकास के लिए शिक्षा, संस्कृति आदि आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। मानव के लिए अपरिहार्य इन सब सुविधाओं को अनेक लोकतांत्रिक राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के विकास के लिए अनिवार्य समझते हुए अपनी अपनी सामाजिक सांस्कृतिक- एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप अपने यहां की राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थान दिया है जिन्हें मूल अधिकारों के नाम से जाना जाता है।

मानव अधिकार मानव मात्र के नैसर्गिक , अविच्छेदएवं अन्य अधिकार है। मानव अधिकार व्यक्तित्व के विकास, शोषण सहित समाज के निर्माण , आर्थिक समृद्धि और विश्व शांति के लिए अपरिहार्य है । मानव अधिकारों की अपरिहार्यता पर, दीर्घकालिक संघर्ष के बाद आम सहमति संभव हो सकी है किंतु अधिकारों की आवश्यकता , प्रकृति एवं क्रियान्वित के विविध पक्षों पर आज भी विवाद है ।जिन पक्षों पर आम सहमति है वह भी सशर्त है। इसका मूल कारण है ,

समाज, राजनीति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था की सभी मूलभूत संरचनाओं में पितृसत्तात्मक सोच के सुदृढ़ अवस्थित। इसलिए सम्भवतः लोकतंत्र, प्रगति एवं विकास की उल्लेखनीय उपलब्धियां में लैंगिक न्याय लैंगिक क्षमता एवं वास्तविक महिला स्थिति हास्य पर ही है।

महिला एवं मानवाधिकार

वर्तमान काल में जब से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तभी से महिला और मानवाधिकार की सोच प्रारंभ हुई प्रकृति ने स्त्री को स्वाभाविक कोमलता प्रदान की है और पुरुषों को बोल । इसी कारण स्त्रियों की सारे संसार में स्थित पुरुष के पाश्चात्तानी जाती है, किंतु इस भिन्नता को असमानता में प्रकृति ने नहीं, अपितु सामाजिक संरचनाओं ने परिणत किया है। सेक्स एवं जेंडर दोनों अलग-अलग विचारधारा- हैं। प्रकृति से सेक्स का वही रिश्ता है जो संस्कृत से जेंडर का है। सेक्स शब्द पुरुष तथा स्त्री के बीच जैविक अर्थ की तरफ इशारा करता है जबकि जेंडर का तालुक्य उसके साथ गुणसांस्कृतिक अर्थों से है। अतः यह असमानता अधिकारहीनता अन्य की स्थिति परिवर्तनीय है यदि इसकी उचित व्याख्या एवं प्रतिरोध किया जाए तो उक्त व्याख्या एवं प्रतिरोध का सूत्र आधार है महिला की मानव के रूप में स्वीकारोक्ति तथा उन सभी अधिकारों की वैधता जो मानव अस्तित्व के रूप में उसके साथ जुड़े हुए हैं इस अर्थ में यह निर्विवाद होना चाहिए कि "महिला अधिकारों का हनन मानव अधिकारों का हनन है किंतु ऐसा नहीं है। इस सामान्य एवं सतही तौर पर निर्विवाद वक्तव्य के लिए कानूनी"

दर्जा हासिल करने के लिए भी महिला संगठनों को लंबे समय से संघर्ष की आवश्यकता पड़ी संघर्ष की लंबी अवधि में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही तथा महिला आंदोलन को समय समय पर संघर्ष को जारी रखने तथा त्वरित-करने के लिए सिंबल भी मिला।

में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के 1948 की सार्वभौमिक घोषणा की जिसे विश्व के अधिकांश देशों द्वारा स्वीकार किया जा चुका है। इस घोषणा में सभी प्रकार के भेदभाव- लैंगिक-भेदभाव को समाप्त करने का आवाहन किया गया। सन 1975 पहली बार महिलाओं की प्रस्थिति पर चिंता व्यक्त की गई तथा 1977 महिलाओं की व्यक्तिगत गरिमा का प्रश्न उठाया गया। सन 1978 महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने करने के लिए गठन का प्रस्ताव किया गया। इस समिति ने 1992 महिलाओं के प्रति हिंसा उनके खिलाफ भेदभाव की संज्ञा दी तथा इसी वर्ष महिलाओं के प्रति हिंसा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में चर्चित हुआ। सन 1993 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के 1993 अधिकारों को मानव अधिकारों के अभिन्न भाग के रूप में स्वीकार किया गया तथा महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के आशय से नवीन घोषणा जारी की गई। सन 1994 में उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1994, विभिन्न देशों में लैंगिक हिंसा के तथ्य संकलित करने के लिए विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति की गई। सन 1995 लंदन में महिला अधिकारों के लिए मानव अधिकारों के रूप में संघर्ष के विस्तृत रणनीति जारी की गई।

संवैधानिक भाषण में महिला अधिकार

भारतीय समाज में अंतर्निहित स्त्री पुरुष असमानता और उसके प्रभाव स्वतंत्रता पूर्व युग में भी भारतीय नेताओं के लिए चिंता के विषय थे। वस्तुतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विकास के लिए भारतीय महिलाओं ने आंदोलन के रूप में घनिष्ठ रूप

में अंतःपरिवर्तित हो गया। असमानता और संबंध मुद्दों के दृष्टिगत स्वतंत्र भारत के संविधान में न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी दी गई है, अपितु राज्य को यह शक्ति भी दी गई है कि वह महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से मानवाधिकारों साथ ही महिलाओं की मानवाधिकारों के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता का उद्घोष है।

संविधान के भाग III के अंतर्गत मूल अधिकारों के रूप में भी महिलाओं को मानवाधिकार प्राप्त है अनुच्छेद भारत के प्रत्येक नागरिक महिला एवं पुरुष क 14[ो] विधि के समक्ष समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15^{मं} ,मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिशोध करता है । अनुच्छेद (3) 15 महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में राज्य को विशेष सकारात्मक कदम उठाने का अधिकार देता है । अनुच्छेद के आधार पर प्रत्येक 16 नागरिक महिला एवं पुरुष को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्राप्त करता है। अनुच्छेद विधायिका एवं 21 कार्यकारी दोनों के अतिक्रमण से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद मानव के दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिरोध 23 करता है तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अनुच्छेद न्यायिक संरक्षण का लाभ देता है 32।

संविधान के भाग IV में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है , जो पुरुष एवं स्त्री को सामानता प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 39 जीविकोपार्जन के समान अधिकार तथा समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है । इसी प्रकार अनुच्छेद का 42 मकी न्याय संगत और मान वोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। अनुच्छेद में न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है तथा 43 महिला अधिकारों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 44 अनुच्छेद का 44 उद्देश्य कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव को दूर करना और देश भर में विविध सांस्कृतिक समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है । संविधान के भाग IV में के बाद 1976 में संशोधन 42 मूलकर्तव्यों के प्रावधान जोड़े गए जिनमें एक नागरिक कर्तव्य **महिला की गरिमा** का सम्मान करना भी है। संविधान के अन्य सामान्य प्रावधानों में भी लिंग भेद का प्रतिरोध है तथा अनुच्छेद में सभी नागरिकों स्त्री एवं पुरुषों दोनों को वयस्क मताधिकार के 326 एवं 325 आधार पर निर्वाचन प्रणाली में लैंगिक भेद का निषेध करते हैं। वस्तुतः भारतीय संविधान में कानून के शासन की बुनियादी प्रतिबद्धता में स्त्री पुरुष समानता अंतर्निहित है, जो महिलाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों को संरक्षित करती है। 74 वें एवं 73 में संशोधनों के बाद महिलाओं के लिए स्थानीय निकायों में प्रतिशत आरक्षण के बाद महिला अधिकारों की स्थिति में 33.3 गुणात्मक परिवर्तन की शुरुआत अच्छी जा सकती है, जो अवश्य ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की लोकतांत्रिक अधिकार के विवेचना संविधान में निर्मित मानवाधिकारों के तथ्यों को स्पष्ट कर अर्थपूर्ण बनता है। अतः मानवाधिकारों से तात्पर्य व्यक्तियों के उन अधिकारों से है जो उनके पूर्ण शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए तथा मानव के जीवन आत्म सम्मान और स्वतंत्रता के लिए अति आवश्यक है। इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मत है कि **मानव अधिकार विश्व भर में मान्य व्यक्तियों के वे अधिकार हैं, जो उनके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत बुनियादी माने गए हैं। यह अधिकार मानव शरीर में अंतर्निहित गरिमा और महत्व से निकल गए हैं। उनकी पूर्ति किए बिना गरिमा पूर्ण जीवन का उद्देश्य प्राप्त**

नहीं किया जा सकता अर्थात व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अनुकूल परिस्थितियों की जरूरत है, उनकी समग्रता का नाम ही मानवाधिकार है। मानव अधिकार सीधेसीधे मनुष्य के अस्तित्व के कारण उससे संबंधित है-, इसलिए यह जन्म से प्राप्त होते हैं, साथ ही इनकी प्राप्ति में जाति, धर्म, लिंग, भाषा, रंग अथवा राष्ट्रियता बाधक नहीं होती है और इस प्रकार समाज में महिलाओं की लोकतांत्रिक अधिकार को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

संदर्भ

- अंसारीएम ए26 महिला एवं मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन पृष्ठ 2007
- श्रीवास्तव सुधारानी 2006 भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति नई दिल्ली कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स पृष्ठ 280
- सारस्वत ऋतु 41 अक्टूबर पृष्ठ 7 50 महिला अधिकारिता एक विश्लेषण योजना वर्ष 2006
- श्रीवास्तव सुधारानी 2006 भारत में महिलाओं की वैधानिक स्थिति कॉमनवेल्थ पब्लिशर्स नई दिल्ली
- सिंह कारण बहादुर 13 मार्च पृष्ठ 5 52 महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण कुरुक्षेत्र वर्ष 2006
- व्होरा, आशा रानी 1986 भारतीय नारी अस्मिता और अधिकार नेशनल पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली





Dr. Rishikesh Singh

Editor in Chief

**INDIAN JOURNAL OF SOCIAL
SCIENCES & SOCIETIES**

Publisher

FLASH PUBLICATION

Basant Bihar, Janaki Nagar Colony, Bahraich Road, Gonda (U.P.)

Mob. 9415458974